खण्ड-327, अंक-6
सोमवार, 4 आश्विन, शक संवत् 1899
(26 सितम्बर, 1977 ई0)

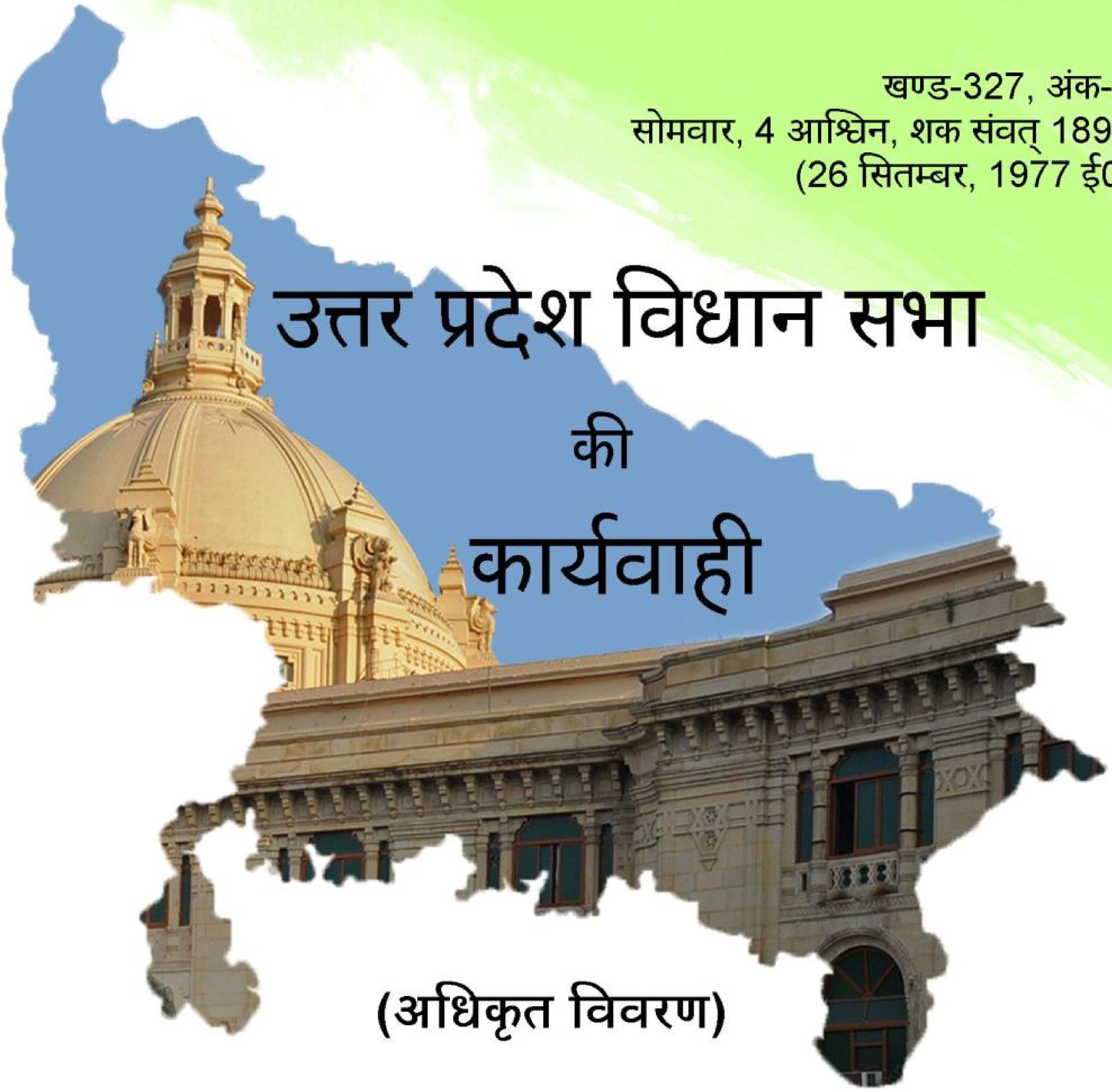

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 327 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	653–657
प्रश्नोत्तर	657–686
अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था	686–688
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा बोर्ड के परीक्षा आवेदन पत्रों को अंग्रेजी में ही भरे जाने के आदेशों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	688
बाराबंकी जनपद में नहर कट जाने से सैकड़ों बीघे फसल नष्ट हो जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	689
अलीगंज कालोनी, लखनऊ में जलपूर्ति की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	689–690
बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में प्रशिक्षार्थी नर्सों के छात्रावास में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	690
आजमगढ़ के घोसी और सगड़ी तहसीलों में शारदा सहायक नहर के चौड़ी किए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	690–691
सदन के चलते, नीति सम्बन्धी घोषणा सदन से बाहर किए जाने के सम्बन्ध में उद्योग राज्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	691–694
दैनिक जागरण समाचार-पत्र में छपे शीर्षक 'जनता विधायकों में प्रर्याप्त गम्भीरता का अभाव' के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	694–697
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	697
विभिन्न समितियों एवं निकायों के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचनार्थ	698
जिला सीतापुर के ग्राम दारानगर के पास बिजली के ढीले तार से टकराने के फलस्वरूप एक हरिजन बालक की मृत्यु पर होने वाले वक्तव्य का स्थगन	698
बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के 1976–77 के परीक्षार्थियों के परीक्षाफल घोषित न होने तथा 1977–78 के परीक्षा फार्मों के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	699–700
एटा तथा फर्रुखाबाद की सीमा पर अलीगंज व कायमगंज क्षेत्र में डकैती, हत्या और लूटमार का आतंक तथा पुलिस द्वारा अपराधियों को न पकड़े जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	700

विषय	पृष्ठ-संख्या
रायबरेली में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की जनसभा में जनता तथा कांग्रेसपार्टी में मारपीट के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	700
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे बिजली कटौती करने हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	701
युवक कांग्रेस के तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा का घेराव तथा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में उक्त विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन की जानकारी में लाय जाना	701–702
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन तथा अनुदान संख्या 22—कारागार (स्वीकृत)	702–754
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	754–755
समस्त उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर मुरादाबाद में मलेरिया के भारी प्रकोप तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं के अभाव के सम्बन्ध में होने वाले नियम 51 के वक्तव्य का स्थगन	755
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा उपकुलपति का घेराव व आमरण अनशन के सम्बन्ध में होने वाले नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन	755
सदन में आज होने वाले वक्तव्यों के स्थगन पर आपत्ति	755–757
तिथियां	758–761

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 26 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 96

अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करम सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्णा राय, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जय राम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल, हंस श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी ,श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसेन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक महमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री

अवर सदन

राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
संगम लाल, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती

अनुपम प्रदेश सभा

सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव तथा गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 26 सितम्बर, 1977

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के सदस्य होने के फलस्वरूप बाराबंकी के सेवा मुक्त किए गए अल्प सिंचाई विभाग के कर्मचारी

*1—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद बाराबंकी में अल्प सिंचाई विभाग में अपात् स्थिति के दौरान जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के सदस्य होने के नाते किन-किन कर्मचारियों को जेल भेजा गया और नौकरी से निकाला गया ? इन कर्मचारियों को वर्तमान सरकार ने क्या पुन: नियुक्ति दे दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बुढ़वल व बाराबंकी की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

*2—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1976-77 में चीनी मिल, बुढ़वल व चीनी मिल, बाराबंकी पर किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया रह गया है और इस बकाया रकम के भुगतान करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

वर्ष 1976-77 में चीनी मिल, बुढ़वल व चीनी मिल, बाराबंकी पर क्रमश: 1.09 लाख रुपया तथा 11.56 लाख रुपया किसानों का गन्ना मूल्य दिनांक 31 अगस्त, 1977 तक बकाया रह गया है। इसके भुगतान हेतु सम्बन्धित चीनी मिल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन बकायों का शीघ्र भुगतान करने की व्यवस्था करें।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा का नाम पुकारने तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

एक सदस्य--

यह मामला बाराबंकी से ताल्लुक रखता है। मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूं।

श्री अध्यक्ष--

यह बाद में लिया जायगा। †

पशुपालन निदेशालय, लखनऊ का निरस्त किया गया लिपिकों का चुनाव

*3--श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या पशुधन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पशु पालन निदेशालय, लखनऊ में जुलाई, 1976 में लिपिकीय वर्ग का चुनाव हुआ था जिसे शासन द्वारा माह नवम्बर, 1976 में अनियमित घोषित कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा प्रसारित आदेशों का अनुपालन निदेशक, पशु पालन विभाग द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता एवं पशुधन मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

नवम्बर, 1976 में शासन द्वारा निर्गत किए गए आदेश निम्नतम श्रेणी के लिपिकों की भर्ती के सम्बन्ध में थे। जुलाई, 1976 में कुछ उच्च स्तरीय लिपिकीय पदों का चुनाव पशुपालन निदेशालय में हुआ था। शासन ने उक्त चुनाव को 27 अगस्त, 1977 को अनियमित घोषित कर दिया और उसे निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए, जिसका अनुपालन निदेशालय द्वारा कर दिया गया है।

प्रत्यावर्तित कर्मचारियों में से 8 ने लोक सेवा अधिकरण III के समक्ष 30 अगस्त, 1977 को अपने प्रत्यावर्तन के विरुद्ध याचिका दायर कर दी है जो अधिकरण के विचाराधीन है।

उर्वरक मिक्सचर बनाने वाली संस्थाएं तथा उनका निरस्त किया गया लाइसेन्स

*4--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने लोगों को कहां-कहां (फर्टिलाइजर) मिक्सचर बनाने का लाइसेन्स दिया गया है? क्या उनके मिक्सचर को कभी टेस्ट भी कराया गया है और 1971 से लेकर अब तक कितने लाइसेन्स कैंसिल किए गए? लाइसेंसिंग कमेटी में कौन-कौन लोग हैं?

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

उर्वरक मिक्सचर बनाने के लिए 49 संस्थाओं को कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, लखनऊ, मथुरा, पीलीभीत, जौनपुर, रामपुर, आगरा, देहरादून, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, गाजीपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, देवरिया, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, गोरखपुर और बलिया में 96 निबन्धन प्रमाण-पत्र दिए गए हैं। जी हां, मिक्सचर को टेस्ट कराया गया था। वर्ष 1971 से लेकर अब तक 43 निबन्धन प्रमाण-पत्र निरस्त हुए। रजिस्ट्रेशन का अधिकार नियमानुसार उप निदेशक (उर्वरक एवं खाद) को है। जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी, मंडल स्तर से उप निदेशक, कृषि तथा राज्य स्तर

---

† समय समाप्त हो जाने के कारण प्रश्न का बाद में नम्बर नहीं आया।

से संयुक्त एवं अतिरिक्त कृषि निदेशक की संस्तुति के पश्चात एवं कृषि निदेशक की अनुमति लेने के बाद रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा निबन्धन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

[माननीय कृषि मन्त्री की प्रार्थना- पर 2रे सोमवार (12-9-77) का स्थगित प्रश्न।]

कृषि बीज भंडार, हरदोई की नीलामी के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा सम्बन्धित कथित जांच रिपोर्ट

*7—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई) तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व कृषि अधिकारी, हरदोई (श्री आत्मा राम) के विरुद्ध कृषि बीज भंडार, हरदोई की दिनांक 25 अप्रैल, 1974 की नीलामी में फर्जी कार्यवाही, धोखाधड़ी, जालसाजी तथा अन्य धांधलियों से सम्बन्धित उप निदेशक, लखनऊ मंडल की दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 की जांच रिपोर्ट में सही पाई गई? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री राजेन्द्र सिंह—

कृषि बीज भण्डार, हरदोई की दिनाँक 25 अप्रैल, 1974 की नीलामी से सम्बन्धित उप कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल, की दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 की कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है। कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि दिनांक 26 मार्च, 1977 फिर 25 अप्रैल, 1975 और फिर मूंगफली की खरीद तथा नीलामी, यह 1974 और 1975 में जो धांधली बरती गयी है, जिला कृषि अधिकारी द्वारा, जिसकी रिपोर्ट, जांच जो हुई, उसकी आख्या मन्त्री जी को प्राप्त हो गयी है और फिर जिला कृषि अधिकारी जी ने, कृषि अधिकारी को हटाकर दलहन अधिकारी नियुक्त कर दिया। बाद में जब शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की तो उन्हें पुनः कृषि अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तो उस जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध जितने अभियोग-पत्र प्राप्त हुए हैं. जिसकी जाँच समय-समय पर कृषि निदेशक ने की है वह आख्या उनको प्राप्त हो गयी है, तो उनको निलम्बित करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में काफी शिकायत जिला कृषि अधिकारी के लिए आयी हैं, उसकी जांच भी समय-समय पर होती रही है और मैंने अन्तिम निर्णय पुन: जांच के लिए किया है और यह चाहा है कि पूर्णरूपेण जांच की जाय और हम पुन: जांच करायेंगे।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

जब सारे जांच के तथ्य उनको प्राप्त हैं, तो जिला कृषि अधिकारी, आत्मा राम को निलम्बित करने में मन्त्री जी को कौनसी दिक्कत और परेशानी पैदा हो गयी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इस सम्बन्ध में ऐसा है कि कुछ शिकायतें प्राप्त हो गयी हैं और उसकी जांच एक विशेष अनुसन्धान, कृषि द्वारा करायी गयी। उसमें कुछ चीजें उनके खिलाफ पायी गयीं,

तो उनकी जो रिपोर्ट थी, उसके बाद कृषि विभाग ने सतर्कता विभाग से जांच कराए जाने की प्रार्थना की लेकिन विभाग के अन्दर कुछ तथ्य को छिपा दिया गया इसलिए संयुक्त निदेशक को जांच दे दी गयी। मैंने पूरी फाइल देखी है मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुछ तथ्य छिपाये गए हैं और पुन: जांच के आदेश दे रहा हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

जाँच रिपोर्ट से जितने तथ्य अभी तक सामने आए हैं क्या वह जिला कृषि अधिकारी को निलम्बित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

अभी पर्याप्त नहीं हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जाँच हुई और उनकी रिपोर्ट्स भी आयीं। जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध कुछ तथ्य पाए भी गए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनको फेबर करने के लिए जानबूझ कर, एक जाँच के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी जाँच का सहारा लिया जा रहा है। तो क्या माननीय मन्त्री जी, इसको छोड़ कर निश्चित तौर से यह देख कर कि उनके विरुद्ध कुछ चीजें साबित हो गयी हैं. उनको निलम्बित करेंगे और फिर जांच की कार्यवाही जारी रखेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अगर उन्होंने इन्टरफियर न किया होता, तो शायद यह जाँच पूरी हो गयी होती मेरी फाइल पर इन्हीं का एक पत्र है, जिसमें उन्होंने उस अधिकारी को बहुत अच्छा अधिकारी कहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि जाँच में कुछ तथ्य छिपा लिए गए। तो तथ्य छिपाने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार थे क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगें ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ, उनसे जवाब माँगने के लिए भी आदेश कर दिए गए हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए, उन्हें निलम्बित करेगी ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी ने चूंकि मेरा नाम लिया इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी इसकी भी जाँच करायेंगे कि किसी ने कोई फर्जी दस्तखत तो मेरे नहीं किए हैं, क्योंकि मुझसे हरदोई से क्या वास्ता है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह पत्र है, लखनऊ, दिसम्बर, 26, 1974 का जिसमें श्री मन्जूर अहमद, सदस्य विधान सभा ने यह लिखा है, आई0 एम बेरी सारी, गलती हुई।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि आत्माराम जी के खिलाफ जो जाँच की जा रही है, उसमें उनके खिलाफ कुछ बातें पायी गयीं हैं। तो क्या इस बिना पर माननीय मन्त्री जी, उन्हें तत्काल निलम्बित करके जाँच के काम को आगे बढ़ायेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

नहीं। ऐसा है कि जो जाँच रिपोर्ट अनुसन्धान शाखा की थी, उसमें उन पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया हैं। एक नीलाम के सम्बन्ध में है, जिसमें यह कहा गया हैं कि उनका भी नियन्त्रण उसमें होता है। अगर वह दोषी पाए जायं, तो मेरी तरफ से यह निश्चित है कि कठोर कार्यवाही जरूर की जाएगी।

[दिनाँक 26 सितम्बर, 1977 के लिए निर्धारित ताराँकित प्रश्न]

भूतपूर्व खण्ड विकास अधिकारी, बछरावां, रायबरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन खन्ड विकास अधिकारी, बछरावाँ, जनपद रायबरेली के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार, शासकीय धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में कोई 25 सूत्रीय शिकायती-पत्र दिनाँक 10 मई, 1976 अध्यक्ष, सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश को जाँच की कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हाँ, तो आरोप-पत्र पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

लघु सिंचाई उप मन्त्री (श्री छोटे लाल)--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मन्त्री जी ने उत्तर में कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है। श्रीमन्, आप देखें कि एक वर्ष में केवल सूचना एकत्र करने का काम किया जा रहा है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आरोप-पत्र क्या था और उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, यह आपका उत्तर स्पष्ट नहीं है। इसमें आप कहते हैं, सूचना एकत्र की जा रही है और उसमें पूछा गया है कि--''25 सूत्रीय शिकायती पत्र दिनाँक 10 मई, 1976 अध्यक्ष, सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश को जाँच की कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हाँ, तो आरोप-पत्र पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?'' तो इसका उत्तर तो आपको देना चाहिए था कि भेजा गया है कि नहीं भेजा गया। नियम के अनुसार उत्तर में किसी प्रकार का एवेजन नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ पूरी जानकारी उसके अन्दर हो।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, पूरी तरीके से जानकारी करने के बाद तभी एक स्पष्ट इसका उत्तर दिया जा सकता था, इसलिए अभी जानकारी की जा रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में जानकारी के बाद ही . . . .

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न है कि सतर्कता आयोग को कोई शिकायत गई कि नहीं ?

श्री छोटे लाल—

मान्यवर, सतर्कता आयोग को तो नहीं गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, 25 सूत्रीय शिकायती-पत्र दिनाँक 10 मई, 1976 अध्यक्ष, सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश को जाँच हेतु कोई पत्र भेजा गया है, इसका सन्दर्भ है।

श्री छोटे लाल—

मान्यवर, इसी बारे में पूरे तथ्यों की पूरी जाँच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कौन सी सूचना आप एकत्र कर रहे हैं। आपको यह भी नहीं मालूम कि सतर्कता आयोग की कोई शिकायत गयी या उसको जाँच के लिये भेजा। इससे सदन का समय नष्ट होता है। कृपया इस प्रकार की सूचना सदन के अन्दर पूरी जानकारी के बाद दें। आपको यह स्पष्ट उत्तर देना चाहिये था कि सतर्कता आयोग को गया कि नहीं गया। इस सवाल को मैं स्थगित करता हूं। पुन: पूरी सूचना के साथ उत्तर दिया जाय।

श्री गिरजा शंकर तिवारी, जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली के विरुद्ध आरोप-पत्र एवं तत्सम्बन्धी जांच की कार्यवाही

*2—श्री हरि केवल प्रसाद—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली के विरुद्ध बारह पृष्ठीय गबन व भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई आरोप-पत्र प्रधान मन्त्री भवन, नई दिल्ली से पत्र संख्या पी0एम0एच0/38/76(राय), दिनाँक 24 अक्तूबर, 1976 द्वारा जाँच व समुचित कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो आरोप क्या थे और उस पर कौनसी कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ।

आरोपों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

आरोपों की जाँच की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 758–759 पर।)

श्री हरि केवल प्रसाद—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आरोपों की जाँच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, संयुक्त कृषि निदेशक को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मान्यवर, 1 लाख, 25 हजार रुपए के गबन का आरोप माननीय मन्त्री जी के विभाग ने उन पर सिद्ध कर दिया था, जिसमें इसी सदन में 78 हजार का स्वीकार किया जा चुका है। एक प्रश्न के द्वारा एक लाख, 25 हजार का गबन टोटल में आकर हो गया। क्या उस अधिकारी के विरुद्ध माननीय मन्त्री जी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, श्री तिवारी को आरोप-पत्र दिनांक 30 मई, 1977 को दिया गया है और दिनांक 30 सितम्बर, 1977 तक का टाइम दिया गया है, उत्तर देने के लिए।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से विदित है कि सवा लाख रुपए के गबन और भ्रष्टाचार का मामला साफ है। तो सवा लाख रुपये मन्त्री जी के नजदीक क्या कम हैं ? क्या कोई अधिकतम सीमा गबन की है कि उसके बाद कसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी, तो क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी ने आदेश दिया है। यह तो तर्क है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब 1 लाख 32 हजार रुपए का प्रद्दमा-फेसी केस बन गया है, तो उनको निलम्बित करने और 409/420 का मुकदमा दर्ज करने के सम्बन्ध में शासन को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका तो उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, उत्तर नहीं मिला। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि जब 1 लाख 32 हजार रुपए के गबन का प्रश्न है, तो उनको निलम्बित करने तथा 409 की कार्यवाही करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, ऐसा है कि संयुक्त कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, डा0 अम्बिका प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रारम्भिक जांच की। जो उनकी रिपोर्ट है, उसमें कुछ तथ्य दिए गए कि बफर गोदाम में 70-80 हजार का उर्वरक कम होना सही है। इसके बाद प्रार्थना की गयी शासन स्तर से जांच कराई जाय। श्री सोहन वीर सिंह, संयुक्त निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उसके बाद श्री तिवारी को चार्जशीट दी गयी। उत्तर देने का अन्तिम समय दिनांक 30 सितम्बर, 1977 दिया गया है। उत्तर आने के बाद निश्चित रूप से जो कार्यवाही सम्भव होगी, की जायगी। शासन हेजिटेट नहीं करेगा कार्यवाही करने में।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि 1 लाख 32 हजार रुपए का जो यह मामला है, उस सम्बन्ध में स्थानान्तरण करने के आदेश हो गए हैं, तो किन परिस्थितियों में माननीय मन्त्री जी को रोकने के लिए बाध्य होना पड़ा ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

स्थानान्तरण कहां पर किया गया है, स्पष्ट करें ?

श्री अध्यक्ष--

स्थानान्तरण का आदेश हुआ है कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, नहीं। चार्जशीट दी गई है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

स्थानान्तरण के आदेश रोकने के लिए मन्त्री जी ने किस परिस्थिति में आदेश दिए ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

वह तो जिला कृषि अधिकारी हैं, उनका ट्रान्सफर नहीं किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, चार्जशीट तो दे दी है। लाखों रुपयों का मामला है तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अधिकारी को निलम्बित करने में कौन सी कठिनाई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही निश्चित रूप से कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गबन और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, धन आहरण और वितरण का वित्तीय प्रशासनिक अधिकार किसी प्रायोजना अधिकारी को प्राप्त था, यदि हां, तो प्रायोजना अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन, यह परियोजना अधिकारी रायबरेली के विरुद्ध आरोप पत्र श्री सोहन वीर सिंह, संयुक्त निदेशक, कृषि द्वारा बनाया जा रहा है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत उलझा हुआ है और एक लाख 32 हजार रुपए का गबन है। इसलिए मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस मामले में फौरन विजीलेन्स से इंक्यारी करायें। आपने यह भी कहा है कि रिपोर्ट आने वाली है, तो क्या उसके पहले ही उनको सस्पेन्ड करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं है। यह आपका सुझाव है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

अच्छा मुझे दूसरा प्रश्न कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। आपको इजाजत नहीं। (श्री शफीकुर्रहमान के खड़े रहने पर) आप कम से कम सोच समझकर सवाल करें। आपका कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चार्जशीट में चार्जेज क्या-क्या हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने स्वीकार किया कि गबन है, तो क्या गबन को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही किया है? यदि हां, तो कितनी वसूली हो गयी है?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर दिया जा चुका है।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित श्री वीरेन्द्र वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर विचाराधीन कार्यवाही

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, चौधरी चरण सिंह द्वारा नियुक्त श्री वीरेन्द्र वर्मा कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार राज्य में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण करने जा रही है? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती चन्द्रावती—

श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का मामला वर्तमान प्रदेश शासन के विचाराधीन है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस सदन में दिनांक 9जून, 1972 को राज्य सरकार ने स्पष्ट राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी और यह कहा था कि इसके बारे में केन्द्र से सम्पर्क बनाया गया है। पुन: दिनांक 21 अप्रैल, 1975 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने इस निर्णय की घोषणा की और कहा कि केन्द्र को दस्तावेज भेजी गयी हैं। उस दस्तावेज पर केन्द्र ने सरकार को पूर्ण अधिकार दे दिया कि राज्य सरकार इस मामले में सक्षम है चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने में। ऐसी परिस्थितियों में अब कौन से कारण हैं, जिनपर सरकार विचार कर रही है?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, यह जो विषय है कि राष्ट्रीयकरण का, यह गत सरकार ने भारत सरकार को 1971-72 में पत्र लिखा था। 1972 में जो पत्र लिखा गया था, उसमें प्रस्ताव किया गया था कि चीनी मिलों का स्वामित्व समाप्त करके उनको ले लें—राष्ट्रीयकरण के रूप में। उसमें और मुआवजा देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को लिखा था किन्तु भारत सरकार ने 1976 में उसका उत्तर दिया कि जो भार्गव कमीशन बैठा है, उसका जो निर्णय भारत सरकार का होगा, उत्तर प्रदेश सरकार उसकी प्रतीक्षा करे। 1977 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने पुन: भारत सरकार को लिखा किन्तु उसका उत्तर अभी नहीं दिया गया है इसलिए शासन के विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी अपनी सरकार की स्पष्ट घोषणा करेगी कि राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण के विषय में सरकार की क्या नीति है?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, इससे यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष —

ऐसा नहीं है। यह आपका उत्तर सही नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं पैदा होता। जो भी आप उत्तर देना चाहें, वह दें। जब प्रश्न करने की अनुमति दे दिया तो जोभी उत्तर देना चाहती हैं, वह हां या न में दें।

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रश्न स्पष्ट कर दीजिए।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मेरा प्रश्न यह है कि आपकी सरकार की नीति इस समय चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के विषय में क्या है?

गन्ना विकास उप मन्त्री (श्री तेज सिंह)—

इसके बारे में सरकार की नीति विचाराधीन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सन् 1971, 1972, 1973, 1975, 1977 में जो प्रदेशीय सरकार की नीति रही और यह संस्तुति रही कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तो क्या वर्तमान सरकार पुनर्विचार कर रही है कि राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए?

श्रीमती चन्द्रावती—

इसके ऊपर विचार कर रहे हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मन्त्री जी ने बतलाया कि यह पालिसी विचाराधीन है। क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगी कि कैबिनेट की कौनसी योजना है जिस पर विचार कर रहे हैं?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रश्न को स्पष्ट कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह था कि कौनसी योजना है जिस पर आप विचार कर रही हैं ?

श्री तेज सिंह—

सरकार की नीति राष्ट्रीकरण के बारे में क्या है, जब तक कोई चीज फाइनल न हो जाय, उससे पहले उसकी घोषणा करना न तो जनहित में है और न सरकार के हित में है। अगर राष्ट्रीयकरण होगा, तो यह घोषणा करना कि होगा, होगा, होगा, अभी यह जनहित और सरकार के हित में नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि पिछली सरकारों में किन-किन सरकारों ने राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की और मौजूदा सरकार उस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया कि अभी इस प्रश्न पर निश्चित रूप से विचार नहीं किया है कि राष्ट्रीयकरण हो या न हो।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो कर कुछ कहने पर।)

एक-एक कर के बोलिये। जिसको मैं कहूं, वह बोलें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पिछली सरकार ने राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में कौन-कौनसी कार्यवाही की है, क्या मन्त्री जी सदन को सूचित करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह बता तो दिया कि पिछली सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजा। अब अपनी नीति बतला दी कि अभी हमारा कोई विचार नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय उप मन्त्री जी के उत्तर के दूसरे भाग से सम्बन्धित। माननीय उप मन्त्री जी ने यह कहा कि राष्ट्रीयकरण हो राष्ट्रीयकरण हो। जब राष्ट्रीयकरण हो जायगा तभी घोषणा करनी चाहिए। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई गोपनीय निर्णय ले रही है और इसकी घोषणा करना उचित नहीं समझती ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मैं अपने बजट भाषण में इस ओर संकेत दे चुकी हूं कि गत सरकार ने जो राष्ट्रीयकरण का ढोल बजाया, उसका नतीजा यह हुआ था कि मिल मालिकों ने अपनी मिलों में पैसा लगाना खत्म कर दिया था और अब फिर माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इसे अभी जनहित में बताना हितकारी नहीं है और विचाराधीन है।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की नीति राष्ट्रीयकरण की थी, लेकिन उस ने राष्ट्रीयकरण नहीं किया। क्या आप अपनी नीति के अनुसार करेंगी या नीति से उलटा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय गन्ना विकास मन्त्री जी ने उत्तर दिया था कि यह मन्त्रि-मन्डल के विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कौनसी मन्त्रि-मन्डल की बैठक में क्या विचार हुआ, सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप तर्क कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार का जो पत्र व्यवहार हुआ है क्या मन्त्री जी केन्द्र सरकार का जो अन्तिम पत्र है, उसको सदन के पटल पर रखेंगी .?

श्रीमती चन्द्रावती—

वह अपेक्षित है।

(एक सदस्य के खड़े हो कर कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष—

अगर सरकार ने यह कह दिया कि इसका उत्तर देना जनहित में नहीं है तो सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

पिछली विधान सभा में यही प्रश्न—मूल प्रश्न—मैंत उठाया था लेकिन नेता विरोधी दल ने उस बारे में एक स्पष्ट उत्तर दिया था। जिस प्रकार वह सरकार चल रही थी, कथनी कुछ और करनी कुछ और क्या उसी प्रकार उसी परम्परा में चलने को मन्त्री जी भी सोच रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है आप टिप्पणी कर रहे हैं।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर।)

माननीय सुखपाल जी, एक प्रश्न करने की अनुमति आप को दे दी। एक मर्तबे के बाद कोई सस्दय अनुपूरक प्रश्न दुबारा नहीं कर सकता। इससे समय अधिक लगता है।

श्री अरुण कुमार—

मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वीरेन्द्र वर्मा कमेटी की संस्तुतियां क्या-क्या थीं ?

(माननीय गन्ना विकास मन्त्री द्वारा प्रश्न दोहराने के अनुरोध पर)

श्री अध्यक्ष—

गन्ना विकास मन्त्री जी, उन्होंने यह पूछा है कि वीरेन्द्र वर्मा कमेटी की सिफारिशें क्या थीं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

वह गोपनीय है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

वीरेन्द्र वर्मा कमेटी की सिफारिशों में मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, वीरेन्द्र वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 8 जून, 1970 को दी गयी थी। तत्कालीन सरकार ने उसको गोपनीय रखा। उसके बाद 1971-72 में, जो सरकार आई उसने भी उसे ओपिन नहीं किया। इसलिए मैं इस समय नहीं बतला सकती कि उसमें कौन-कौन मुख्य सिफारिशें थीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वीरेन्द्र वर्मा कमेटी की रिपोर्ट गोपनीय है तो जो अनुपूरक उत्तर दिए पिछली सरकार की नीति और भार्गव कमीशन के बारे में, वह किस आधार पर दिए गए ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

भार्गव समिति की जो रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है, उसमें राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है, इसका उल्लेख किया गया है और यह भी कहा है कि खुले बाजार में चीनी मिलती है, उसके लाभ का 40 प्रतिशत किसानों को दिया जाय, तो क्या यह सरकार उस निर्णय के अनुसार कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप पहले प्रश्न का उत्तर दें। दूसरा प्रश्न राष्ट्रीयकरण के बारे में नहीं उठता।

श्री तेज सिंह—

भार्गव समिति की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर विचार हो रहा है और विचार करने के पश्चात जो अमल में बात आएगी वह भी अभी विचाराधीन है। इसलिए इसका बतलाना उचित नहीं है।

वाराणसी जिले की कपसेठी बनेई कच्ची सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किए जाने की मांग

*4—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायतीराज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद वाराणसी के अध्यक्ष ने उप सचिव, पंचायती राज–1 विभाग, उ0 प्र0 शासन को एक पत्र अपने पत्र संख्या 853/नि0 वि0/75–76, दिनाँक 4 जुलाई, 1975 द्वारा कपसेठी-बनेई

की 8 किलो मीटर कच्ची सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु लिखा है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को हस्तान्तरित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ।

सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-11 के पत्रांक 6794-ई0/23—सा0नि0अनु0—11—133ई.0/75, दिनाँक 27 सितम्बर, 1975 द्वारा स्थानान्तरण पर रोक लगा देने के कारण स्थानान्तरण सम्भव न हो सका।

*5—श्री मन्ना लाल—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित।]

हापुड़, गाजियाबाद में नवीन मण्डी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि तथा परियोजना की रूप-रेखा

*6—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री, कृपया बतायेंगे कि हापुड़ में नई मन्डी बनाने की परियोजना के लिए किस-किस व्यक्ति की कितनी भूमि किस प्रकार तथा किन शर्तों पर प्राप्त की गयी है तथा नई प्रस्तावित मन्डी परियोजना की रूप रेखा तथा उस पर अब तक हुए व्यय का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि क्या उपरोक्त परियोजना में होने वाले कार्य को रोकने के आदेश दिए हैं ? यदि हाँ, तो किन कारणों से ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

हापुड़ मन्डी के नए स्थल के निर्माण हेतु 39 व्यक्तियों की भूमि जिसका क्षेत्रफल 72 एकड़ है भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत अध्याप्त की गई है। जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई है उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। नवीन मन्डी स्थल निर्माण की योजना 139 लाख रुपए की है। इसके अन्तर्गत जो निर्माण कार्य करने के प्रस्ताव हैं वह इस प्रकार हैं :—

(1) जानवर जलाशय, (2) आन्तरिक सड़कें (3) पेय-जल की व्यवस्था, (4) ड्रेनज की व्यवस्था, (5) कार्यालय भवन (6) नीलामी चबूतरा, (7) दुकाने बड़े गोदाम सहित, (8) दुकाने छोटे गोदाम सहित, (9) फुटकर दुकाने, (10) मन्डी स्थल में बिजली की व्यवस्था, (11) किसान विश्राम गृह, (12) कैटिल शेड्स, (13) कैन्टीन, (14) शौचालय की व्यवस्था, (15) पशु चिकित्सालय की व्यवस्था, (16) बैंक एवं पोस्ट आफिस, (17) साइकिल स्टैन्ड, (18) ग्रीन हट, (19) मन्डी समिति गोदाम आदि।

इस परियोजना में अब तक हुआ व्यय इस प्रकार है :—

(1) भूमि अध्याप्ति पर रु0 15,90,050.67,

(2) निर्माण पर भुगतान रु0 16,76,305.34,

(3) सीमेन्ट हेतु भुगतान रु0 7,25,512.92 ।

शिकायतों पर विचार किया जा रहा है तथा निर्णय होने तक निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 760–761 पर।)

रायबरेली में परिवहन विभाग के डिपो कार्यशाला के कर्मचारियों का निलम्बन तथा बहाली

*7—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि रोडवेज वर्कशाप, रायबरेली के कुछ कर्मचारियों को दिनाँक 22 जनवरी, 1977 को निलम्बित और अनेकों को बर्खास्त किया गया? क्या यह भी सही है कि इन सबको बगैर तनख्वाह या एलाउन्स के ड्यूटी पर वापस मार्च, 1977 में ले लिया गया? यदि हाँ, तो इन दोनों कार्यवाहियों के कारण क्या हैं? क्या इन लोगों को तनख्वाह या एलाउन्स का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

जी हाँ। दिनाँक 22 जनवरी, 1977 को रायबरेली डिपो कार्यशाला के 7 कर्मचारियों को एक मारपीट की रिपोर्ट पर निलम्बित किया गया। किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया। इन सातों कर्मचारियों को दिनाँक 11 मार्च, 1977 को अन्तिरम रूप से सेवा में बहाल कर दिया गया। इनके वेतन आदि का प्रश्न आनुशासनिक कार्यवाही अन्तिम होने पर ही तय किया जा सकेगा।

*8—श्री मन्ना लाल—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित।]

कृषि विभाग के कृषि सेवा वर्ग 1 के टेक्निकल असिस्टेंट (अभियन्त्रण) के स्थायीकरण की मांग

*9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग के कृषि अभियन्त्रण शाखा (कृषि सेवा वर्ग-1) के स्नातकों का स्थायीकरण [शासनादेश सं0 462/12(3) 1136–72, दिनाँक 5 मार्च, 1974 के अन्तर्गत] किन परिस्थितियों में आज तक नहीं किया गया जबकि कृषि सामान्य शाखा के कृषि सेवा वर्ग-1 में उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों का स्थायीकरण कर दिया गया तथा कब तक कर दिया जायगा?

श्री राजेन्द्र सिंह—

कृषि विभाग के भूमि संरक्षण प्रभाग के अन्तर्गत कृषि सेवा वर्ग-1 के टेक्निकल असिस्टेन्ट (अभियन्त्रण) के पदों के लिए कृषि अभियन्त्रण की योग्यता प्राप्त लोगों का चयन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा केवल 1970 तथा 1971 में किया गया था किन्तु इन पदों का संवर्ग निश्चित न होने के कारण उन पर स्थायीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

प्रश्नगत पदधारियों से अनिष्ठ लोगों का स्थायीकरण अभी नहीं हुआ है। संवर्ग निश्चित हो जाने पर स्थायीकरण किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का उत्तर देखने की कृपा करें, मान्यवर, मैंने कहा था कि कृषि विभाग के कृषि अभियन्त्रण शाखा (कृषि सेवा वर्ग-1) के स्नातकों का, स्थायीकरण शासनादेश संख्या अमुक-अमुक, किन परिस्थितियों में आज तक नहीं किया गया और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? इनका चयन मान्यवर, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 7 साल पहले हुआ था?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसीलिए नहीं हुआ मान्यवर, कि संवर्ग जो है वह तय नहीं हुआ कि वह किस संवर्ग में रखे जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप देखें मैं आपकी आज्ञा से पहले स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि यह कितनी आपत्तिजनक बात है कि 1970-71 में लोक सेवा आयोग ने सूची निर्धारित कर दी। संवर्ग निश्चित करने का काम आज तक 7 साल बाद तक नहीं हुआ। मेरी निश्चित जानकारी है कि जिस पत्र की संख्या का मैंने उल्लेख किया, उसके अनुसार भूमि संरक्षण संगठन में 107 पद दिनांक 1 जनवरी, 1974 को स्थायी किए गए। आदेश स्पष्ट है लेकिन उनका कार्यान्वियन अभी तक नहीं किया गया। मैं दो बातें जानना चाहता हूं एक तो यह कि 7 वर्ष तक संवर्ग क्यों नहीं निर्धारित किया गया उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और दूसरा यह कि 1974 के आदेश को कार्यान्वित करने में क्या बाधा है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, 107 पद स्वीकृत हैं उनमें से यानी स्वीकृत पदों में से दो श्रेणियों में 2/3 और 1/3 के हिसाब में रखा गया है कृषि सामान्य और कृषि अभियन्त्रण में दो प्रकार की सेवायें हैं? इसमें अभी निश्चय नहीं हो सका है किस वर्ग में रखा जाय। अभी तक नियमावली जो बनी हैं, वह 1934 की बनी है। यह बात भी हो रही है कि नई नियमावली बनायी जाय। इन पदों को स्थायी करना तभी सम्भव होगा जब संवर्ग निश्चित हो जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, फिर मेरी आशंका स्पष्ट है कि पिछली सरकार ने भेदभाव बरता, कृषि विभाग में सोयल कंजरवेशन शाखा में एवं अभियन्त्रण विभाग में भेदभाव बरता गया और इन अभियन्त्रण के पदों को स्थायीकरण से रोका गया। उनके स्थायीकरण न होने से उनको जो नुकसान हुआ है, उनके साथ के लगभग 80, 90 व्यक्तियों को पदोन्नत कर दिया गया, इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन, मैंने कहा कि इसका वर्गीकरण होना है कि किस वर्ग में रखा जाय 2/3 और 1/3 के आधार पर किस में रखा जाय। इसका वर्गीकरण जल्दी कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

यही तो आपका प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग में जाने के बाद भी उनका वर्गीकरण क्यों नहीं हुआ जब कि 6 साल का समय हो गया है। यही उनकी शिकायत है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसको दिखवा लेंगे। जल्दी कर रहे हैं।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

फाइनेलाईज होने में अभी कितना समय लग जायेगा कि किस वर्ग को किस में रखा जाय? वर्गीकरण कब तक हो जायगा?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैंने कहा जल्दी करा रहे हैं। यह निश्चय ही जल्दी हो जायेगा।

कृषि अभियन्त्रण शाखा के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव

*10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री बाबू राम शुक्ल—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सितम्बर, 1974 में कृषि सेवा वर्ग-1 में अभियन्त्रण शाखा के अभ्यर्थियों के कृषि निदेशक द्वारा प्रेषित पदोन्नति प्रस्ताव को किन परिस्थितियों में अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया जब कि इन कर्मचारियों से कनिष्ठ कृषि सामान्य शाखा के कृषि सेवा वर्ग-1 के कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी गई तथा कब तक कर दिया जायगा?

श्री राजेन्द्र सिंह—

कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ने अभियन्त्रण शाखा के रिक्त पदों पर प्रोन्नति से तदर्थ नियुक्ति के लिये जो प्रस्ताव भेजा था, उस पर विचार किया गया किन्तु भूमि संरक्षण इकाइयों में कार्य की मात्रा को देखते हुए उस समय रिक्त पदों को भरना उपयुक्त नहीं समझा गया। इसके अतिरिक्ति इन पदों के वर्गीकरण का और उनके लिए प्रोन्नति के क्षेत्र के बारे में भी निर्णय हाना था। अब इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुकाहै और उसके अनुसार प्रोन्नति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी, क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि जो निर्णय लिया जा चुका है, वह क्या है और उस पर कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इन पदों को अभी तक किसी संवर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सका, कुछ अब यह विचार हो गया है कि इन पदों का एक अलग संवर्ग बना दिया जाय तो इसके सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से राय मांगी गयी है। उसकी राय आते ही कोई निर्णय ले लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं मन्त्री जी से एक नीति सम्बन्धी प्रश्न यह जानना चाहता हूं आमतौर पर यह होता है कि जांच सम्बन्धी कार्यवाही में वर्षों लग जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि दोषी व्यक्ति को जल्दी निर्णय नहीं मिल पाता और निरपराध व्यक्ति फंस जाता है उसका अनावश्यक हैरेसमेंट होता है, इसे देखते हुए क्या वह ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जांच सम्बन्धी प्रक्रिया और उस पर कार्यवाही एक निर्धारित अवधि में पूरी हो जाया करे?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, इसका उत्तर आप दे पायेंगे?

श्री राजेन्द्र सिंह—

ऐसा है कि विरासत में जो चीजें हमें मिली हैं। उनको हम देख रहे हैं। जल्दी का मतलब कदापि टालना नहीं है, निश्चित रूप से उसको अविलम्ब करना ही होता है।

राजकीय कृषि बीज भण्डार, मऊनाथ भंजन, परदहां आजमगढ़ द्वारा उर्वरक एवं बीज वितरण में अनियमितता की जांच

*11—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1976 में राजकीय बीज भंडार, मऊनाथ भंजन परदहां, जिला आजमगढ़ में बाढ़ से प्रभावित गरीब किसानों को खाद तथा बीज मुफ्त में देने हेतु कितनी-कितनी मात्रा में दिया गया था? क्या यह सत्य है कि उसमें से बहुत ही कम वितरित किया गया और लाखों के सामान का कोई हिसाब नहीं दिया गया और जिसकी शिकायत दिसम्बर, 1976 से लेकर जुलाई, 1977 तक लिखित जिलाधीश, आजमगढ़, कृषि मन्त्री, निदेशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश को की गयी? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में जांच कराई गई और जांच का क्या नतीजा निकला?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वर्ष, 1976 में राजकीय बीज भंडार, मऊनाथ भंजन, परदहाँ, जनपद आजमगढ़ में बाढ़ से प्रभावित गरीब किसानों को मुफ्त वितरण हेतु 45.15 टन नत्रजन 29.47 टन फासफोरस तथा 53.24 टन गेहूं बीज उपलब्ध कराया गया था। 34.92 टन नत्रजन, 23.32 टन फास्फोरस तथा 45.81 टन गेहूं बीज का उपरोक्त कृषकों में वितरण किया गया था।

जी नहीं। वितरित किये गये उर्वरक तथा बीज का हिसाब उपलब्ध है। शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रारम्भिक जांच कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई। अभी अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाई है।

पन्नी जी शुगर मिल (बुलन्दशहर) में रिसीवर की नियुक्ति तथा देनदारी में हुई वृद्धि तथा बकाया गन्ना मूल्य

*12—श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)—

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर में रिसीवर किस वर्ष में नियुक्त किया गया और जब से रिसीवर नियुक्त हुए तब से मिल की देनदारी कितनी बढ़ी?

श्रीमती चन्द्रावती—

पन्नी जी शुगर एन्ड जनरल मिल्स, बुलन्दशहर में रिसीवर की नियुक्ति दिनांक 3 मार्च, 1970 को की गयी। रिसीवर की नियुक्ति के बाद रु0 163.56 लाख की देनदारी बढ़ी है।

*13—श्री बेनी प्रसाद माधव—

क्या गन्ना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पन्नी जी शुगर मिल पर किसानों का कितना रुपया बकाया है और उस रुपए के भुगतान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्रीमती चन्द्रावती—

पन्नी जी शुगर मिल्स पर किसानों का दिनांक 31 अगस्त, 1977 को लगभग रु0 22.66 लाख गन्ना मूल्य का बकाया है। बकाया के भुगतान कराने हेतु प्रयास जारी है।

श्री बेनी प्रसाद माधव—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि दिनांक 3 मार्च, 1970 को मिल की क्या देनदारी थी जब कि रिसीवर नियुक्त हुआ था ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जिस वक्त टेक-ओवर किया 61 लाख की थी, उसकी परिसम्पत्ति 20 लाख की थी और उसको घटाकर यह 40 लाख 84 हजार की है।

श्री बेनी प्रसाद माधव

क्या माननीय मन्त्री जी देखेंगे कि इसमें एक करोड़ 63 लाख 86 हजार रुपया बकाया में है तो जो मौजूदा रिसीवर हैं, उनके समय में कितनी देनदारी बढ़ी है ?

श्री तेजसिंह—

मौजूदा रिसीवर के सम्बन्ध में 60 लाख बढ़ी है, 1976-77 में 60 लाख बढ़ी है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं जानना चाहता हूं कि यह रिसीवर इसलिए नियुक्त हुए थे कि इस मिल की देनदारी कम हो सके, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता गया है, कर्जा बढ़ता गया है तो कर्जा बढ़ने का क्या कारण है ?

श्री तेज सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि यह बुलन्दशहर की फैक्टरी जिसका जिक्र है तीसरे स्थान पर मालिक ने पुरानी फैक्टरी उठा कर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लगाया है। इस फैक्टरी की मशीन तीसरी जगह पर लगने पर जैसी है वह आप समझ गये होंगे। इसके बाद सात साल में चार रिसीवर बदले हैं। मैंने इन चारों रिसीवरों में किसने अपने वक्त में क्या किया उसको देखा है। इस फैक्टरी में जो नुकसान है, उसका गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत भी एक कारण है। इस फैक्टरी में पुरानी मशीन का होना चार रिसीवरों का बदलना यह मुख्य कारण है। इसके लिए रिसीवरों के खिलाफ जिन-जिन पर आरोप आयेगा उसके लिए हमने यह सोचा है कि जाँच करा कर जो दोषी होगा, वह दन्डित किया जायगा।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मन्त्री जी ने एक बार कहा कि मैंने उसकी जाँच कर ली है और एक बार मन्त्री जी ने कहा कि मैं जाँच करवा रहा हूं, दोनों में कौन सही है और अगर जाँच कर ली है तो फैक्टरी में क्या तथ्य निकले हैं ?

श्री तेजसिंह--

जाँच कर ली है, मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह बताया कि उसको देखा है। जाँच कराने का प्रयत्न किया है। उसको देखना है कि किस वक्त में किस रिसीवर के कारण, किन कारणों से क्या कमी हुई। जाँच के बाद जो दोषी पाया जायगा उसको दन्डित किया जायगा। यह मैंने बताया।

(श्री देवबहादुर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मैं यह जानना चाहूंगा कि जो भी फैक्टरी पर बकाया है उसमें गन्ना उत्पादकों का कितना पैसा बकाया है और मजदूरों का कितना पैसा बाकी है ?

श्री तेज सिंह--

गन्ना मूल्य का इसमें 22 लाख 66 हजार बाकी है और मजदूरों का 4 लाख 85 हजार रुपया बाकी है।

श्री बेनी प्रसाद माधव--

एक करोड़ पैंसठ लाख का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

आपको दो प्रश्नों की अनुमति दे दी है और अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री बेनी प्रसाद माधव--

[* * * * *

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए यह प्रोसीडिंग का अंग नहीं होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। आप बैठ जाइए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[* * * * *]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। यह प्रोसीडिंग का अंग नहीं होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

नोट--[****] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों में व्यवस्था नहीं होती है।

पशु सेवा केन्द्र, जंगीगंज, वाराणसी को पशु चिकित्सालय बनाए जाने की मांग

*14—श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के महत्वपूर्ण स्थान जंगीगंज, पशुसेवा केन्द्र को पशु चिकित्सालय बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा खरीदी गयी लकड़ी

*15—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरशन पश्चिमी शुगर फैक्टरीज के लिये वर्ष 1973-74 में 1 लाख क्विन्टल जलाने की लकड़ी रु0 23 प्रति क्विन्टल की दर से खरीदी ? क्या यह सही है कि उस समय लकड़ी का बाजार भाव 16/27 पैसे प्रति क्विन्टल था ? यदि हाँ, तो कारपोरेशन के द्वारा अधिक दरों पर लकड़ी की खरीद किन परिस्थितियों में की गयी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी नहीं। वर्ष 1973-74 में यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन ने पश्चिमी शुगर फैक्टरीज मोहीउद्दीनपुर, सकौती टाँडा और डोईवाला के लिए लगभग 1.36 लाख क्विन्टल लकड़ी रुपया 12.48 से लेकर 20 रुपए प्रति क्विन्टल की दर से विभिन्न महीनों में खरीदी। उक्त खरीद के लिए विधिवत् निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और प्राप्त कोटेशन्स के आधार पर न्यूनतम दरों पर लकड़ी की खरीद की गई। उस अवधि में लकड़ी का बाजार भाव रुपया 13.00 से रुपया 26.00 प्रति क्विन्टल तक था। चूंकि फैक्टरी में खरीदी गयी लकड़ी की दरों के निर्धारण में कई बातें, जैसे उसकी क्वालिटी तथा साइज, उसका गीली या सूखी होना, सप्लाई के स्थान से फैक्टरी की दूरी व यातायात पर खर्च, लकड़ी पूर्ति के समय व भुगतान की शर्तें आदि प्रभाव डालती हैं, अत: लकड़ी एक दर पर न खरीदी जाकर विभिन्न अवधि में विभिन्न मिलों में अलग-अलग दर पर खरीदी जाती हैं।

नान-सल्फर केन क्रशरों की संख्या तथा उनके बन्द होने का कारण

*16—श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1973-74 में नान-सल्फर केन क्रशरों के कितने लाइसेन्स थें और सन् 1976-77 के सीजन में कितने ? क्या यह सही है कि 50 प्रतिशत से अधिक इकाइयाँ बन्द हो गयी है ? यदि हाँ, तो बन्द होने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार प्रान्तीय महत्व के इस घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्रीमती चन्द्रावती—

वर्ष 1973-74 व 1976-77 में प्रदेश के नान-सल्फर केन क्रशरों के लाइसेन्सों की कुल संख्या क्रमश: 3312 व 2377 थी। तदनुसार वर्ष 1973-74 की तुलना में वर्ष 1976-77 में नान-सल्फर केन क्रशरों के लाइसन्सों की संख्या में केवल 28 प्रतिशत की कमी हुई। इन इकाइयों के बन्द होने का मुख्य कारण केन्द्रीय आबकारी शुल्क की दर में निरन्तर बढ़ोत्तरी तथा सल्फर क्रशरों की तुलना में नान-सल्फर क्रशरों के चीनी परते में कमी और उत्पादित चीनी का खराब किस्म का होना है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अलाभप्रद हैं। तथापि शासन इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक प्रयास कर रही है।

श्री नन्द राम—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो नान-सल्फर केन क्रशर हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे समाप्त करेंगे ? मेरे जिले मुजफ्फरनगर की बात है कि जो गु बनाते हैं उन पर इतना कर लगा दिया गया है, जिससे वे परेशान हैं, तो क्या मन्त्री जी उसे समाप्त करने की योजना बना रहे हैं ?

श्री तेज सिंह—

यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री नन्द राम—

मान्यवर, अक्तूबर और नवम्बर के महीने में यह क्रशर चलेंगे और इसकी योजना अगर शीघ्र नहीं बनायी तो लाखों मजदूरों को हानि होगी। तो माननीय मन्त्री जी, इसे कबतक समाप्त करेंगे इसका स्पष्टीकरण हो जाए ?

श्री अध्यक्ष—

कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री तेज सिंह—

माननीय सदस्य बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्रशर चलने का समय नजदीक है और उसके लिए निर्णय भी शीघ्र ही हो जावेगा, सरकार सोचकर शीघ्र निर्णय लेगी। वह विचाराधीन है, जल्दी हो जावेगा और समय से पहले।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सन् 1973 में नान-सल्फर क्रशरों की संख्या 3313 थी, जब कि सल्फर क्रशरों से चीनी ज्यादा मिलती है और नान-सल्फर क्रशरों से कम। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने नान-सल्फर क्रशरों को सल्फर क्रशरों में परिवर्तित किया जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रावती—

यह प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी

यह जो क्रशर बन्द पड़े हैं, उनमें कितना धन लगाया गया है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार लि०, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

*17—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद के थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार लि0, देवरिया, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध गबन एवं अभिलेखों में जालसाजी तथा धन के दुरुपयोग (सन् 1972-76 तक) के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के कई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए जिसकी जाँच जिलाधीश, देवरिया तथा उप निबन्धक, सहकारिता द्वारा कराई जा चुकी है; यदि हाँ, तो जाँच की रिपोर्ट क्या है ? तथा उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार लि0, देवरिया के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता को निम्न शिकायती-पत्र जुलाई/अगस्त, 1977 में प्राप्त हुए हैं :—

(1) पत्र दिनाँक 14 जुलाई, 1977,
(2) तार दिनाँक 27 जुलाई, 1977,
(3) पत्र दिनाँक 6 अगस्त, 1977,
(4) पत्र दिनाँक शून्य, दिनाँक 26 अगस्त, 1977 को प्राप्त,
(5) पत्र दिनाँक शून्य, दिनाँक 30 अगस्त, 1977 को प्राप्त।

उपरोक्त भन्डार की वित्तीय अनियमितताओं के विषय में जाँच उप निबन्धक, गोरखपुर द्वारा की गई तथा भन्डार के सचिव, श्री राम बहाल तिवारी के विरुद्ध धन के दुरुपयोग/अपव्यय एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें पाई गईं। धन के दुरुपयोग सम्बन्धी दायित्व निर्धारण की कार्यवाही भी सहकारी समिति अधिनियम की धारा 68 के अधीन आरम्भ कर दी गई है। श्री तिवारी की सेवायें संस्था के प्रशासक द्वारा दिनाँक 17 सितम्बर, 1977 को समाप्त कर दी गईं।

श्री उमाशंकर श्रीवास्तव, ज्येष्ठ लिपिक, जिला विकास कार्यालय, सुल्तानपुर के बकाए का भुगतान

*18—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ज्येष्ठ लिपिक, सहकारिता अनुभाग, श्री उमाशंकर श्रीवास्तव, जिला विकास कार्यालय, सुल्तानपुर को दिनाँक 15 अगस्त, 1977 को प्रेषित आमरण अनशन का नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कानपुर जिले में इसी पद पर रहते हुए दिसम्बर, 1959 से दिसम्बर, 1963 तक देय धनराशि के भुगतान आदि की माँग की है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अतिशीघ्र इनकी न्यायोचित माँगों को पूरा करने की दिशा में आवश्यक आदेश दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नोटिस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ, श्री उमाशंकर श्रीवास्तव ज्येष्ठ लिपिक, जिला विकास कार्यालय, सुल्तानपुर का दिनाँक 15 अगस्त, 1977 का नोटिस प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा दिए गए नोटिस में उल्लिखित माँगें तथा उनको देय बकायों के शीघ्र भुगतान हेतु आदेश दे दिए गए हैं।

प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बस सर्विस से सम्बन्धित कथित निर्णय

*19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 1,200 प्राइवेट बस चलाने का निर्णय हाल में लिया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

जी नहीं ।

उप निदेशक, पशुपालन, लखनऊ मण्डल द्वारा पशु चिकित्सकों का स्थानान्तरण

*20—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पशुपालन, लखनऊ मण्डल द्वारा दिनाँक 19 अगस्त, 1977 को लगभग 40 पशु चिकित्सकों का स्थानान्तरण किया गया जबकि उनमें से अधिकांश पशु चिकित्सक दो वर्ष से भी कम अवधि से कार्यरत थे ? यदि हाँ, तो उनका स्थानान्तरण किस आधार पर किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उप निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ मण्डल द्वारा दिनाँक 19 अगस्त, 1977 को 58 पशु चिकित्सकों के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए गए जिनमें से 37 पशु चिकित्सकों को उन्होंने अपने स्तर से मण्डल के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया। स्थानान्तरित 37 पशु-चिकित्सकों में से 19 पशु चिकित्सक ऐसे थे जिन्होंने अपने तैनाती के स्थान पर 3 वर्ष से कम की सेवा अवधि पूर्ण की थी। इन 19 पशु चिकित्सकों में से 8 के स्थानान्तरण बाद में निरस्त कर दिए गए। स्थानान्तरित किए गए 11 पशु चिकित्सकों में से दो का प्रशासनिक आधार पर और 9 का विशेष पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी निजी प्रार्थना पर स्थानान्तरण किया गया ।

जिला स्तर पर विधायकों एवं संसद सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन

*21—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताएगी कि आगामी जिला परिषद् चुनाव तक प्रत्येक जनपद में विधायकों एवं संसद सदस्यों की सलाहकार समिति गठित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ ।

आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*22—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब के विरुद्ध गम्भीर शिकायती-पत्र माह

अगस्त, 1977 में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र में अंकित आरोपों की जाँच किसके माध्यम से करवाई जा रही है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री जमुना प्रसाद—

आरोपों की जाँच करने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को आदेश दिया गया था। उनकी जाँच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। अब इन आरोपों की जाँच सतर्कता अधिष्ठान के माध्यम से कराए जाने हेतु सतर्कता विभाग से अनुरोध किया गया है.।

अतारांकित प्रश्न

उन्नाव जिले के ग्राम परियर के प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ग्राम परियर, तहसील व जिला उन्नाव के प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आपात्काल के दौरान एवं बाद में प्राप्त हुयीं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

आपात्काल के दौरान दिनाँक 11 व 12 सितम्बर सन् 1976 को परगनाधिकारी, उन्नाव को प्रधान, ग्राम सभा, परियर के विरुद्ध मौखिक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें गलत व्यक्तियों को पट्टे दिलाने, मछली पतवार, कार्तिकी मेले, रेत की आय तथा शीरे की नीलामी गलत ढंग से किए जाने की शिकायत थी। इस पर आवश्यक कार्यवाही की गयी है और मामला विचाराधीन है।

आपात्काल के बाद दिनाँक 16 जुलाई सन् 1977 को दूसरा शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिसमें खड़न्जा निर्माण में की गयी अनियमितताओं व घपलों का उल्लेख था। जाँचोपरान्त शिकायत निराधार पायी गयीं।

सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र फार्म, मडुआडीह, वाराणसी के ट्रैक्टर की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

2—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र फार्म, मडुआडीह, वाराणसी में एक ट्रेक्टर है जिसे 1973 से ही मरम्मत पर 30,000 के करीब खर्च करने पर भी नहीं चलाया जा सका और किराए के ट्रेक्टर से काम कराया गया ? यदि हाँ, तो मरम्मत पर कितना खर्च हुआ तथा 1974–75 से अब तक कितने रुपए किराए में दिए गए ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र फार्म, मडुआडीह, वाराणसी द्वारा 1969-70 में एक ट्रैक्टर क्रय किया गया था जिसकी मरम्मत में अब तक कुल रु0 21,113.90 व्यय हुआ। इस ट्रेक्टर से क्षमता के अनुसार कार्य लिया गया। किराए के ट्रैक्टर से सभी कार्य कराया गया जब केन्द्र का ट्रैक्टर मरम्मत में रहा या कोई ऐसा भारी कार्य रहा जो विभागीय ट्रैक्टर द्वारा कराना सम्भव नहीं था। वर्ष 1974–75 से अब तक रु026,658.00 किराए के ट्रैक्टर हेतु दिए गए।

आपात्काल में देवरिया जिले की गन्ना विकास समिति, कठकुइयां के कर्मचारी श्री बृजनाथ सिंह की सेवा समाप्ति

3—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया (पडरौना) जिले के गन्ना विकास समिति, कठकुइयाँ के कौन-कौन से कर्मचारी आपात्कालीन स्थिति लागू होने पर बन्दी बनाए गए ? उनमें से अब कितने कार्यरत हैं ? स्थायी सामयिक लिपिक (श्री बृज नाथ सिंह) को अब तक किन कारणों से सेवा मुक्त रखा गया और अब तक उनका वेतन भी नहीं दिया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

इस समिति में केवल एक कर्मचारी, श्री बृज नाथ सिंह, सामयिक लिपिक, को आपात्-कालीन स्थिति लागू होने पर बन्दी बनाया गया था। श्री सिंह दिनाँक 25 दिसम्बर, 1975 से 26 दिसम्बर, 1975 तक का आकस्मिक अवकाश लेकर बाहर गए थे और दिनाँक 2 जनवरी, 1976 तक अनुपस्थित रहे। ज्ञात हुआ कि वे डी0आई0आर0 के अन्तर्गत बन्दी बनाकर जेल भेज दिए गए थे। अतएव नियमानुसार उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। अब शासन के वर्तमान आदेशों के सन्दर्भ में पुनः इन्हें सेवा में लिए जाने एवं उनके वेतन आदि के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

4—श्री श्री श्रीनारायण—

[12 सितम्बर, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित।]

किसान सहकारी चीनी मिल लि०, बीसलपुर पीलीभीत में नियुक्त किए गए कर्मचारी

5—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत जिले में बीसलपुर स्थित निर्माणा-धीन किसान सहकारी गन्ना मिल में अब तक कितने स्थायी व कितने अस्थायी वेतन भोगता कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ? इस सम्बन्ध में जो नियुक्तियाँ की गयी हैं उनमें कितने व्यक्ति बीसलपुर क्षेत्र के अन्य किन-किन जिलों के हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, बीसलपुर (पीलीभीत) में कुल 111 कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है। इनमें से 70 स्थायी प्रकृति के तथा 41 अस्थायी प्रकृति के हैं। इनमें से 60 स्थानीय तथा 51 कर्मचारी अन्य जिलों के हैं। इन 51 कर्मचारियों में से बरेली जिले के 7, मुरादाबाद के 5, फर्रुखाबाद के 4, शाहजहाँपुर के 3, नैनीताल, देवरिया, सीता-पुर, रामपुर, लखनऊ, पिथौरागढ़, बस्ती व लुधियाना (पंजाब) के दो-दो तथा 16 अन्य जिलों के एक-एक कर्मचारी हैं।

साधन सहकारी समिति लि०, सिमरा बोरीपुर जिला बरेली का अर्ध निर्मित भवन

6—श्री सिया राम सागर (जिला बरेली)—

क्या सहकारिता मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0, सिमरा बोरीपुर (जिला बरेली) का नया भवन अधूरा पड़ा है ? क्या उपरोक्त समिति ने

कई बार सहायक निबन्धक, बरेली को धन का प्रबन्ध करने तथा निर्माण पूरा कराने को लिखा किन्तु सहायक निबन्धक ने कोई भी कदम इस दिशा में नहीं उठाया, बल्कि समिति के संचालक मण्डल को ही भंग कर दिया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

यह सत्य है कि गोदाम अपूर्ण है। समिति ने धन के प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में केवल एक बार सहायक निबन्धक, बरेली को लिखा है। सहायक निबन्धक, बरेली ने धन की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की। संचालक मण्डल ने प्रस्ताव द्वारा उक्त भवन पूर्ण कराने हेतु वर्ष 1975–76 के लाभ में से 11,000 रुपए व्यय करने की अनुमति माँगी। सहायक निबन्धक ने समिति को निर्देशित किया कि शेष निर्माण कार्य के अनुमानित व्यय को अधिकृत ओवरसियर/सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) द्वारा स्वीकृत कराकर भेजें तथा साथ ही 9375 रुपये राजकीय ऋण एवं 5625 रुपये अनुदान में से व्यय की गयी धनराशि का विवरण भी भेजें, परन्तु समिति ने उक्त आदेश का पालन नहीं किया।

2—समिति का संचालक मण्डल सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29(4) के अन्तर्गत निर्धारित तिथि तक निर्वाचन न होने के कारण विद्यमान न रही। यह बात गोदाम निर्माण सम्बन्धी मामले से सम्बन्धित नहीं है।

7–8—श्री बाबू राम वर्मा—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित।]

सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, वाराणसी की आडिट रिपोर्ट

9—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र फार्म, वाराणसी का आडिट सन् 1973–74 से लेकर अब तक महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की आडिट पार्टी ने किया है और एतराज लिखा है कि फार्म की हालत बदतर है और खर्चे बढ़ रहे हैं, पैदावार नहीं बढ़ी है ? यदि हाँ, तो इसे दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, वाराणसी का दिसम्बर, 1971 से मार्च, 1975 तक की अवधि का सम्प्रेक्षण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की आडिट पार्टी ने दिनांक 3 अप्रैल, 1975 से 7 अप्रैल, 1975 तक किया था। प्रश्नगत सम्प्रेक्षण में यह आपत्ति नहीं लगाई गयी थी कि फार्म की हालत बदतर है और पैदावार नहीं बढ़ी है बल्कि यह आपत्ति थी कि वर्ष 1973–74 की तुलना में वर्ष 1974–75 में श्रमिकों पर अधिक व्यय हुआ है तथा अधिक संख्या में श्रमिक रखे गए जबकि खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल दोनों वर्षों में समान था। श्रमिकों की प्रति एकड़ संख्या विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित कर दी गयी है। इस प्रकार कृषि की प्राय: सभी मदों पर व्यय की सीमा निश्चित की जा चुकी है ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके।

10—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[12 सितम्बर, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित।]

मेसर्स रैलीज इंडिया, जौनपुर को फर्टीलाइजर का मिक्सचर बनाने हेतु दिया गया उर्वरक का परमिट

11—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रैलीज इंडिया कं0, जौनपुर को फर्टिलाइजर का मिक्सचर बनाने का लाइसेन्स किस सन् में दिया गया, तब से लेकर जुलाई, 1977 तक कितने टन यूरिया तथा दूसरे किस्म के फर्टिलाइजर इस कम्पनी को मिक्सचर बनाने हेतु प्रत्येक वर्षों में दिए गए ? क्या यह सत्य है कि जून-जुलाई, 1977 में इस कम्पनी को 10 हजार टन यूरिया खरीदने का परमिट दिया गया है ? क्या कभी इस कम्पनी का मिक्सचर टेस्ट के लिए भी सैम्पुल लेकर भेजा गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मेसर्स रैलीज इंडिया, जौनपुर को वर्ष 1968 में दो तथा 1969 में तीन उर्वरक मिक्सचर बनाने के लिए कुल पांच निबंधन प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

उल्लिखित अवधि में मेसर्स रैलिज इंडिया, जौनपुर को कोई उर्वरक आवंटित नहीं किया गया।

जी नहीं।

जी हाँ।

रामपुर के उर्वरक मिश्रण कारखाना (केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स) को दिया गया उर्वरक का परमिट

12—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्टिलाइजर से मिक्सचर बनाने का एक कारखाना रामपुर शहर में या आस-पास 10 वर्ष से चल रहा है और फर्टिलाइजर मिक्सचर बनाने का लाइसेन्स कब दिया गया, शुरू से लेकर जुलाई, 1977 तक प्रत्येक वर्षों में कितने टन यूरिया तथा दूसरे किस्म की खादों का परमिट दिया गया ? क्या जून-जुलाई, 1977 में इसे 10 हजार टन यूरिया खरीदने का परमिट दिया गया ? क्या कभी इसके मिक्सचर को टेस्ट कराया गया या नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां। रामपुर में उर्वरक मिश्रण का एक कारखाना (केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स) है। उक्त फर्म को मिक्सचर बनाने के लिए दो निबन्धन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं एक वर्ष 72 में तथा दूसरा वर्ष 1973 में।

इन्हें अब तक कोई यूरिया या अन्य उर्वरकों का आवंटन नहीं दिया गया है।

जी नहीं।

जी हां, टेस्ट कराया गया।

लक्ष्मी शुगर मिल लि०, महोली, सीतापुर में नियन्त्रक नियुक्त किये जाने पर विचार

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल लि0, महोली, जिला सीतापुर में सरकारी नियन्त्रक नियुक्त करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति हो जायगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

महौली चीनी मिल पर सरकारी नियन्त्रक नियुक्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। मिल पर गन्ना किसानों, श्रमिकों तथा शासन के विभिन्न देयों की वसूली के लिए 'वसूली प्रमाण-पत्र' जारी कर दिया गया है तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

14—श्री ऊदल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा क्रय की गयी कृषि रक्षा मशीन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त मशीन के निर्माण हेतु दिया गया लाइसेन्स

15—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्लान्ट प्रोटेक्शन विभाग (कृषि); प्रदेश में कीट मारने के लिए उत्तर प्रदेश में किस फर्म को मशीन बनाने का लाइसेन्स दिया गया है और 1971 से अब तक प्रत्येक वर्षों में कितने रुपए की मशीनरी खरीदी गयी है ? क्या यह सत्य है कि अब तक लाखों रुपए की मशीनरी प्रदेश के ब्लाक तथा प्लान्ट प्रोटेक्शन के स्टोरों में खराब हो जाने की वजह से बिक नहीं पायी ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

कृषि विभाग द्वारा कृषि रक्षा मशीनें बनाने के लिए लाइसेन्स नहीं दिया जाता है। उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार सर्वश्री सिन्टेक्स ट्यूब वर्क्स, प्लान्ट प्रोटेक्शन डिवीजन, कमला टावर, कानपुर को एग्रीकल्चरल स्प्रेयर्स एवं डस्टर्स बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 के अन्तर्गत लाइसेन्स दिया गया है —

वर्ष	धनराशि जिसकी मशीनरी क्रय की गयी
1971–72	13,75,548 रु0
1972–73	13,96,714 रु0
1973–74	10,79,525 रु0
1974–75	2,04,692 रु0
1975–76	3,13,108 रु0
1976–77	शून्य

कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा कृषि रक्षा मशीनों का विक्रय नहीं किया जाता है। उक्त मशीनें केवल कृषि कीट/रोग नाशक रसायनों के छिड़काव हेतु कृषकों को जनपद तथा विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध करायी जाती हैं।

16—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—
[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के चुनाव की मांग

17—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के चुनाव कब सम्पन्न होने जा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मण्डी समितियों के चुनाव शीघ्र कराए जायेंगे। अभी कोई तिथि नियत नहीं की गयी है।

अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष जी, यह सही है कि आप मन्त्रि परिषद को किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते परन्तु मन्त्रि परिषद के लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि माननीय सदन के मांग किए जाने पर प्रश्नों का उत्तर दें। आज जिस प्रकार से गन्ना विकास मन्त्री जी ने उत्तर दिया है और जानबूझ कर यह कहना कि यह गोपनीय है, यह जनहित में नहीं है या यह विचाराधीन है, इस प्रकार के उत्तरों से सदन की गरिमा व प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है क्योंकि जिस समय अनुपूरक प्रश्न होते हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उन प्रश्नों का समुचित उत्तर दिलवा दें। श्रीमन्, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। परन्तु जब आपने मन्त्री जी को अपने विवेक से कह दिया कि वह उत्तर दे दें तो उस समय विचाराधीन है, गोपनीय है आदि कह कर अपने को बचाने का प्रयत्न करना, यह सदन की सम्मानित प्रतिष्ठा के खिलाफ है। अतः मेरी आप से प्रार्थना है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दें, जिससे मन्त्रि परिषद द्वारा दिए गए किसी विशेष प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया जाय जिससे सदन की बेइज्जती न होने पाए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रश्न 16-17 के उत्तर के सन्दर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं। जिस समय मन्त्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, उसी समय मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था। मन्त्री जी ने यह बताया था कि जो बुलन्दशहर से सम्बन्धित चीनी मिले हैं कि चीनी की कीमत ज्यादा होनी चाहिए या गन्ने की कीमत कम होनी चाहिए। इस प्रकार का जो तर्क है वह पिछली कांग्रेसी सरकार का है, यह जनता पार्टी का तर्क नहीं है। जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में गन्ने की कीमत बढ़ाने की बात कही है। मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सरकार की घोषित नीतियों के खिलाफ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है आप कृपा करके बैठ जायं। इस पर आप विवाद कर रहे हैं प्रश्नों पर विवाद नहीं हो सकता उसका भी नियम है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। नियम 49 आप देखिए।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

मैं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। अगर किसी प्रश्न का असन्तोषजनक उत्तर मिला है तो आप नियम 49 के अन्तर्गत लिखित रूप से सम्बन्धित मन्त्री से पूछ सकते हैं। प्रश्नों के बारे में कोई विवाद सम्भव नहीं है। में उसकी अनुमति नहीं देता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, अभी जो मन्त्री जी ने उत्तर दिया है वह अखबारों को. . .

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। अब इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता।

*श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न किस अहमियत का है इस पर आपको विचार करना चाहिए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप किसी प्रश्न को एलाऊ करें या न करें, लेकिन जिसमें करोड़ों रुपयों का मामला हो तो उसको इतनी आसानी से टाल देना उचित नहीं है और एसा हमको प्रतीत होता है कि जितने कायदे से जो सदस्य विहेव करे उसकी बात न सुनी जाय और टाली जाय और जो ज्यादा से ज्यादा बोले, अनर्गल बोले उसको आप प्रश्रय देते हैं, यह नीति गलत है और इस प्रकार की भावना सदस्यों में बढ़ती जायगी।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्नों की बात, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों पर इस प्रकार का विवाद करना नियम विरुद्ध है। जितने प्रश्न हैं, सब महत्वपूर्ण हैं, जिनको स्वीकार किया गया है। एक प्रश्न पर सारा समय नहीं खर्च किया जा सकता। जो प्रश्नकर्ता हैं उनको उत्तर मिलता है और अनुपूरक प्रश्न जो हुए वह 6—7 मिनट से कम का समय नहीं लगा। आपको अधिकार है, यदि आप समझते हैं कि प्रश्नों का उत्तर ठीक नहीं है तो आप आधा घंटे का विवाद माँग सकते हैं और उसको लिख कर दे सकते हैं।

जहाँ तक नीति आदि का सवाल है सदन में आप किसी भी प्रस्ताव के द्वारा इसको उठा सकते हैं। जिस प्रश्न का जिक्र अभी माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा ने किया है, जहाँ तक आपके घोषणा-पत्र का सवाल है, यह दल की मीटिंग में जाकर कीजिए। अलग से भी आप इस सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव रख सकते हैं और उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रियासत हुसैन—

हमारा था. . . .

श्री अध्यक्ष—

रियासत हुसैन साहब ने कहा, तो नियमावली को देखें, यह सरकार का अपना अधिकार है। यदि सरकार यह कहती है कि यह प्रश्न जनहित में बतलाना उचित नहीं है, तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

इसको बाध्य नहीं किया जा सकता। नियमावली के अनुसार यह है कि सरकार वही सूचना सदन को दे सकती है जिसे कि वह जनहित के अन्दर समझे। तो इसलिए इसमें बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, जब शुरू में नम्बर 2 वाला सवाल पेश हुआ था तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विचार होना चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि यह बाद में ले लिया जायगा। अगर समय नहीं है तो स्थगित कर दिया जाय। यह बाराबंकी. . .

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। आप बैठ तो जाइए।

जब कोई प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं होता तो उस सवाल को बाद में लेने का मतलब है, यदि समय रहे। अगर 12 बजे से पहले तमाम प्रश्न समाप्त हो जाते तो इस प्रश्न को ले सकते थे। इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा बोर्ड के परीक्षा आवेदन-पत्रों को अंग्रेजी में ही भरे जाने के आदेशों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अंग्रेजी प्रेम की ओर आदरणीय सदन एवं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने प्रदेश के सभी प्रधान निरीक्षकों को यह निर्देश प्रेषित किया है कि अपने क्षेत्र के विद्यालयों को यह आदेश दिया जाय कि बोर्ड के परीक्षा आवेदन-पत्र अंग्रेजी में ही भर कर भेजे जायं।

प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है। हाई स्कूल एवं इण्टर की शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी है। अब तक छात्रों से फार्म हिन्दी में भराए जाते थे। उल्लेखनीय है कि फार्म हिन्दी में ही छपे हुए हैं।

परिषद् का यह आदेश जन-भावना एवं नियमों के बिलकुल विपरीत है। हाई स्कूल के छात्र का यह स्तर भी नहीं होता कि वह अंग्रेजी में फार्म भर सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री से माँग करता हूं कि वह परिषद् को स्पष्ट आदेश दें कि अंग्रेजी की दासता को प्रकट करने वाला यह जनभावना विरोधी आदेश अविलम्ब वापस लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मन्त्री जी, इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि कृपया वक्तव्य दें कि यह फार्म अंग्रेजी के अन्दर क्यों लिए जा रहे हैं और इस की व्यवस्था करें। कृपया इस सम्बन्ध में कल एक वक्तव्य दें, इसमें समय की आवश्यकता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाराबंकी जनपद में नहर कट जाने से सैकड़ों बीघे फसल नष्ट हो जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं बाराबंकी जनपद में शारदा कैनाल दरियाबाद समानान्तर शाखा के 71 मील 4 फर्लांग पर स्थित पुल के निकट नहर कट जाने से उत्पन्न भयंकर स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि दिनाँक 21 सितम्बर, सन् 1977 की रात को उपरोक्त स्थान पर नहर में खांदी हो गयी (नहर टूट गयी) जिससे उस क्षेत्र के किसानों की अरहर, उरद, मूंगफली, सरसों (लाही), ज्वार तथा पकी हुई धान की सैकड़ों बीघे फसल पानी में डूब कर नष्ट हो गयी।

नहर टूटने का कारण यह था कि पुल के पश्चिम नहर की पटरी की पटाई समुचित रूप से नहीं की गयी थी। यद्यपि किसानों ने नहर टूटने के काफी पहले क्षेत्रीय ओवरसियर को सचेत कर दिया था कि इस स्थान पर अधिक पानी चलने पर नहर के टूटने का खतरा है। इसके बावजूद भी नहर विभाग के कर्मचारियों ने असावधानी बरती।

मान्यवर, किसानों की उपरोक्त सैकड़ों बीघे फसल नहर विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नष्ट हुई है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूं कि किसानों को उनकी फसल का मुआवजा दिया जाय और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

अलीगंज कालोनी, लखनऊ में जलपूर्ति की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

महोदय, माननीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान लखनऊ नगरपालिका के विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अलीगंज कालोनी के नागरिकों की समस्याओं के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, यह कालोनी करोड़ों रुपया खर्च कर महापालिका द्वारा विगत दस वर्षों से बननी शुरू हुई। इस कालोनी में सैकड़ों आवास गृहों का निर्माण हो चुका है और इस समय सैकड़ों कर्मचारी, गजटेड आफिसर्स, क्लास 1 और 2 के उच्च पदस्थ अधिकारियों को इस्टेट डिपार्टमेंट द्वारा आवास के लिए मकान आवंटित हो चुके हैं। किन्तु दुर्भाग्य से अभी तक पानी पहुंचाने का कोई प्रबन्ध नहीं है, जलकल की व्यवस्था दोषपूर्ण है, धीमी गति से, जल निकास द्वारा पानी टंकी का निर्माण प्रारम्भ हुआ है, महापालिका की पानी लेकर जाने वाली टंकी किसी दिन जाती है, किसी दिन नहीं, अधिकांश हैण्ड पाइप खराब हो चुके हैं। उनकी मरम्मत की ओर शासन का ध्यान नहीं है। विगत दो दिनों से इस कालोनी में बसने वाले समस्त अधिकारी और कर्मचारी पानी के अभाव में तड़प रहे हैं। सरकार के त्रुटिपूर्ण नियोजन का यह जीता जागता नमूना है, कालोनी बन गयी है पानी नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

मैं आपके माध्यम से शासन के माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से अपील करता हूं कि यहां जलकल का शीघ्र प्रबन्ध हो। जब तक जलकल की टंकी नहीं बन जाती तब तक के लिए प्रातः, दोपहर और संध्या सचल टंकी से पानी पहुंचाया जाय। जगह-जगह हैण्ड पाइप गाड़े जायं।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में प्रशिक्षार्थी नर्सों के छात्रावास में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) —

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करता हूं।

यह कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ की प्रशिक्षार्थी नर्सें जो कि हजारों मील दूर दक्षिण भारत के प्रदेशों से आती हैं और अपने देश को ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवाएं अर्पित करती हैं उनके रहने के छात्रावास को प्रबन्धकों ने उसे बहुत गन्दा बना दिया है और एक तरह से वह अपना नारकीय जीवन व्यतीत कर रही हैं। इन नर्सों को केवल 135 रु0 छात्रवृत्ति मिलती है जिसमें लगभग 70 रुपये भोजन के कट जाते हैं। यह और भी उपहासप्रद है कि इन नर्सों को पिछले सौ वर्षों से केवल 6 रुपया महीना धुलाई का भत्ता मिलता है जबकि आज मंहगाई चौगुनी बढ़ गयी है। बलरामपुर प्रशिक्षार्थी नर्सें छात्रावास में जो छात्राएं रहती हैं उसमें स्थान भी बहुत कम है और उनके भोजन की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। यह भी आश्चर्य की बात है कि जब यह छात्राएं अपनी कठिनाइयां सामने लाती हैं तो अधिकारीगण उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस वातावरण में सन्देह हो रहा है कि दक्षिण भारत से नर्सों का आना बन्द हो जाय और देश तथा प्रदेश के सामने एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाय क्योंकि सारे देश के लिए दक्षिण भारत से नर्सों का मिलना सम्भव है। इन परिस्थितियों में उत्पन्न समस्या पर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान मैं इस प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कृपया जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है, उस पर शीघ्र जांच कराकर माननीय सदस्य को सूचित कर दें।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

मान्यवर, जो सूचना दी है, आपके माध्यम से सूचना सब आ ही जायगी और उसकी अवश्य जांच करा कर माननीय सदस्य को सूचित कर देंगे।

आजमगढ़ के घोसी और सगड़ी तहसीलों में शारदा सहायक नहर के चौड़ा किए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में तहसील सगडी और घोसी में शारदा सहायक नहर चौड़ी की जा रही है, वहां पर चकबन्दी भी हो रही है। खेतों में फसल खड़ी है। इसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बावजूद भी सिंचाई विभाग की ओर से किसानों को नोटिस दी गयी है कि दस दिन के अन्दर अपने फसल को उखाड़ लें और खेत को खाली कर दें। इसके पूर्व सिंचाई विभाग ने निर्णय लिया था कि उन ग्रामों में जहां चकबन्दी हो गयी है, दुबारा चकबन्दी करा कर नहर के लिए जमीन ली जायगी, ताकि किसान उजड़ न सकें। इसका खर्च भी सिंचाई विभाग–राजस्व विभाग को देने के लिए तैयार था। परन्तु आज तक राजस्व विभाग ने इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया है, इससे हजारों परिवारों के उजड़ने की स्थिति पैदा हो गई है। दस दिन के अन्दर फसल उखाड़ कर खेती खाली कर देने की नोटिस से समस्त क्षेत्र में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है। सैकड़ों किसान इस सम्बन्ध में लखनऊ में आये हुए हैं। परन्तु ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे असन्तोष बढ़ रहा है।

अस्तु, लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष––

मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी के पास आपकी सूचना तुरन्त आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं।

सदन के चलते, नीति सम्बन्धी घोषणा सदन से बाहर किए जाने के सम्बन्ध में उद्योग राज्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष––

एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना माननीय हरिकेवल प्रसाद ने माननीय रेवतीरमण जी के विरुद्ध दी है। श्री हरि केवल प्रसाद, सदस्य, विधान सभा ने यह सूचना दी है कि लघु उद्योग राज्य मन्त्री जी ने दिनांक 25 सितम्बर, 1977 को कानपुर के अपने एक प्रेस सम्मेलन में इस बात की घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के हर दस ग्रामों के बीच एक उद्योग लगाया जायगा। इसमें काम करने वाले कर्मचारी ही शेयर होल्डर हो सकेंगे। उन्हें शेयर का भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। कारखाने के लाभ से ही वेतन दिया जायगा। यह योजना अभी प्रयोग के तौर पर ही प्रदेश के पांच–छः जिलों में लागू की जायगी जिसमें एक कारखाने में 50 से 100 व्यक्ति कार्य करेंगे। यदि किराए का भवन नहीं मिलेगा तो छप्पर डाल कर कार्य किया जायगा।

जब सदन बैठा हो तो उस समय कोई नीति सम्बन्धी घोषणा सदन के बाहर नहीं की जानी चाहिए। किन्तु यदि ऐसी घोषणा पहले सदन के बाहर की जाय तो उसमें कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है। यह जो प्रश्न माननीय हरि केवल प्रसाद जी ने उठाया है, यह विशेषाधिकार का नहीं, लेकिन औचित्य का प्रश्न अवश्य है। जिस दिन उद्योग का बजट यहां पर पेश था, पहले फौरन माननीय मन्त्री जी को यह चाहिए था कि उद्योग बजट पर इसकी घोषणा करते। लेकिन इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गयी और यदि इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण घोषणा करनी है तो माननीय मन्त्री जी का यह कर्तव्य है कि वह पहले सदन के अन्दर इसकी सूचना दें, फिर आप देखेंगे कि कार्य-सूची नं0 5 जिसमें होता है मन्त्रियों द्वारा कोई वक्तव्य, तो इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न

[श्री अध्यक्ष]

तो नहीं, औचित्य का प्रश्न तो है। मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि भविष्य में वे इस बात का ध्यान रखें कि जब सदन बैठा हो, तो इस प्रकार की घोषणा सदन के अन्दर ही की जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य हरिकेवल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने औचित्य का प्रश्न उठाया। श्रीमन्, ऐसी ही घोषणायें इस समय की जा रहीं हैं।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, बजट भाषण हुआ, माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट के सम्बन्ध में घोषणायें कीं। लेकिन बजट भाषण के दूसरे दिन हमने देखा कि सिंचाई की दरें बदली गयीं, कि ट्यूबवेल के कमान्ड एरिया पर इतनी और खरीफ पर इतनी रहेंगी। बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं है और सात दिन के अन्दर ही सिंचाई की दरें बढ़ायी गयीं या घटाई गयी। इसी तरह अध्यापकों के सम्बन्ध में, कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की तनख्वाह उनको देंगे। इसकी भी घोषणा की गयी जो बजट भाषण में नहीं थी। लेकिन 7 दिन के बाद घोषणाएं की, सदन के बाहर जिसको अखबारों में पढ़ा गया। सिंचाई की दरों के बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं था। तो इतना बड़ा अनौचित्य पूर्ण कार्य किया है। जब बजट चल रहा है, बजट भाषण में दिया गया है, बजट में प्राविधान नहीं हैं लेकिन घोषणाएं बाहर हो रही हैं। रेवतीरमण जी ने ही नहीं बल्कि मन्त्रि-परिषद् ने ऐसे प्रस्ताव किए हैं जिनका बजट में कोई उल्लेख नहीं है। सदन में कोई घोषणा नहीं हुई है लेकिन अखबारों में उल्लेख है। इसमें मन्त्रि-परिषद् अनौचित्यपूर्ण कार्य कर रही है जिसके 2 उदाहरण मैंने दिये।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल से कतई इत्तफाक नहीं करता। यह जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के रिकमेन्डेशन्स के मातहत जो सुविधायें उनको पहले दी जानी थीं, जिसका निर्णय पहली सरकार ने लिया है उसमें एक जी0 ओ0 के द्वारा हमने केवल विस्तार करके लागू करने का काम किया है। यह कोई नयी घोषणा नहीं है। इसकी सुविधा पुरानी सरकार ने ही कर दी है। हमको इसमें कुछ नहीं करना है। हमने तो केवल इसमें जो काम किया है, उसको हमें देखना है, कि जो निर्णय लिया गया है, वह उसी प्रकार सभी लोगों पर लागू करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठावें। निर्णय ले लिया पिछली सरकार ने जिसको हम स्वीकार करते हैं यह तो मन्त्रि-परिषद् का अधिकार है, उस पर कभी भी निर्णय लिया जा सकता है, बजट में प्राविधान करने की कोई आवश्यकता नहीं और न आगे चलकर कोई परेशानी प्राविजन्स करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में है। सिंचाई की दरों के सम्बन्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में, जो बजट भाषण है उसमें यह कहा गया है कि जो पुरानी सरकार ने निर्णय लिए थे उन निर्णयों को कैसे लागू करना है वह मन्त्रि-परिषद् विभिन्न स्तरों पर उसकी जाँच पड़ताल करके उसमें निर्णय लेगा। मन्त्रि-परिषद् का यह अधिकार है, जिसके सम्बन्ध में चर्चा कर दी गई है, उस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है, जिसका असर बजट पर नहीं पड़ने वाला हो। यहाँ करों का कोई प्राविधान नये तरीके से नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस पर विवाद का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं, पहले इसे समाप्त हो जाने दीजिए तब मैं आपका प्रश्न लूंगा।

एक सदस्य—

मान्यवर, आज का जो एजेन्डा है . . .

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो समाप्त होने दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे केवल यह निवेदन करना है कि बहुत अच्छा आपने किया। हम तो पहले से माँग कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार ने अच्छे काम किये हैं उनको माने जाइए। लेकिन मेरी केवल आपत्ति यह है कि महत्वपूर्ण घोषणा थी। अगर पुराने बजट में पुराने सिंचाई रेट से सिंचाई प्राप्तियाँ लिखी गयी हैं तो गलत हो गयीं। तो इसमें दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जो सिंचाई की रिसीट साइड है, रेवेन्यू साइड है उसमें आमदनी पुराने रेट पर निर्धारित की गयी है या नए रेट पर? क्योंकि सिंचाई पुराने रेटों पर हुई, कमान्ड एरिया लिखा हुआ था। तो इसलिए मन्त्रि-परिषद् ने बजट को खुद बदल दिया। यह अनैतिक पूर्ण कार्य हुआ। काम अच्छा हुआ लेकिन उसका बजट में प्राविधान हो जाना चाहिए था। जब सिंचाई बजट आएगा तब मैं जानना चाहूंगा कि जो आय लिखी गयी है वह कमान्ड एरिया को जोड़कर लिखी गयी है या नहीं।

मान्यवर, इसी प्रकार यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की बात मंजूर कर लिया आपने। लेकिन क्या शिक्षा विभाग के बजट में जो राजकीय डिग्री कालेज के अध्यापक हैं उनके लिए बजट में प्राविधान यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के स्कूल पर किया है कि नहीं? यदि नहीं है तो यह अनैतिक कार्य हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

नीति के सम्बन्ध में जितने प्रश्न हैं जब सदन बैठा हो तो उसमें प्रथम उसकी घोषणा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक कार्यान्वित करने का प्रश्न है मन्त्रि-परिषद् को पूर्ण अधिकार है और इस प्रकार की घोषणा कार्यान्वित करने के लिए की जा सकती हैं। तो मैं

[श्री अध्यक्ष]

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नीति सम्बन्धी जो भी घोषणाएं हों और सदन बैठा हो तो पहले उसी में उसकी घोषणा करना चाहिए और कार्यान्वित करने के लिए मन्त्रि-परिषद् को अधिकार है। बजट के बाद में भी वह अपना निर्णय ले सकते हैं और उसकी घोषणा की जा सकती है।

दैनिक जागरण समाचार-पत्र में छपे शीर्षक 'जनता विधायकों में प्रर्याप्त गम्भीरता का अभाव' के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपके सामने एक औचित्य का प्रश्न उपस्थित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, दिनाँक 26 सितम्बर, 1977 को कानपुर से प्रकाशित दैनिक जागरण अखबार में पृष्ठ 4 में एक समाचार लिखा है जिसमें लिखा गया है कि "जनता विधायकों में पर्याप्त गम्भीरता का अभाव"। श्रीमन्, इससे न केवल जनता के विधायकों का बल्कि इस सदन के लोगों को भी काम करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। मान्यवर, यह प्रश्न कोई कर सकता है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। लेकिन श्रीमन्, मैंने जानबूझ कर इसको सदन में चर्चा के लिए औचित्य का प्रश्न बनाकर उठाया हैं। इसका कारण यह है कि मैं यह नहीं समझता कि कोई प्रेस के ऊपर ऐसा अनुभव हो कि वह यह अनुभव करे कि उसकी आजादी के लिए हमें कोई कहीं बाधा हैं। यहां एक प्रश्न और पैदा होता है कि श्रीमन्, आप देखें कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री राम अधार राय के बारे में लिखा गया है कि—'गम्भीरता का अभाव इनमें पाया जाता है।' इसी तरह श्री बांके लाल के बारे में लिखा गया है, इसी तरह कुछ मन्त्रियों के बारे में कहा गया है जैसे शिक्षा मन्त्री और गन्ना विकास मन्त्री और अध्यक्ष की व्यवस्था के विरोध के सिलसिले में भी कुछ बातें लिखी गयी हैं। तो श्रीमन्, इससे सदन की कार्यवाही पूरी तरह से प्रभावित होती है। इसलिए माननीय सदस्यों के कर्त्तव्यों पर जब तक कि ,आप इस बात की व्यवस्था न कर दें कि कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द अनुचित है और वह नहीं लिखा जायेगा, कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा,अमुक-अमुक चीज प्रेस में नहीं छपेगी, तब तक यह सारी चीज अखबारों में छप सकती है। लेकिन वहीं एक दूसरी बात हुई है कि उस पर क्या किसी प्रकार की टिप्पणी हो सकती है। यदि कोई टिप्पणी हो सकती है तो वह किस प्रकार की टिप्पणी हो सकती है। और यदि वह टिप्पणी आक्षेप के लिए है और वह टिप्पणी इस प्रकार की है कि जिससे सदन के सदस्यों के काम करने में कुछ बाधा उत्पन्न हो तो ऐसी परिस्थिति में इस सदन के सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। अगर यह बात मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों तक ही सीमित होती तो बात दूसरी थी लेकिन अध्यक्ष पद से जो कार्यवाही संचालित की जाती है उसमें कुछ सदस्यों का नाम है कि उनके बार-बार कहने के बावजूद भी बोलते रहे जैसे माननीय राम अधार जी का नाम है कि वह बोलते गए और फिर कहा गया है कि उनमें गम्भीरता का अभाव है। कौन सदस्य बोलता गया किसको आप इजाजत दें तो यह आपके विवेक का प्रश्न है। अगर इसको भी अखबारों में टिप्पणी का विषय बना देंगे तो आपको कार्यवाही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संचालित करने में कठिनाई होगी। जहां तक मन्त्री परिषद् का सवाल है तो आपने आज ही कई मन्त्रियों को कहा और प्रश्न को स्थगित करने की स्थिति आ जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर सदन विचार करे कि क्या मन्त्रियों के कर्त्तव्य होंगे, क्या विधायकों के कर्त्तव्य होंगे और क्या अखबार का कर्त्तव्य होगा। इस पर आपकी व्यवस्था चाहिए।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय सदस्य, गोरखपुर श्री कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है वह इस मायने में महत्व का है कि हमारे देश और प्रदेश के समाचार-पत्र हमारे सदन की कार्यवाही में कहां तक टिप्पणी कर सकते हैं। मैं जानता हूं माननीय कल्पनाथ सिंह जी इस सदन के पुराने अनुभवी सदस्य रहे हैं। उन्हें शासन का भी अनुभव रहा है और अगर वह किसी प्रश्न को उठाते हैं तो उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि बहुत बार हम माननीय सदस्यों में आपस में वाद-विवाद हो जाता है तो उसके क्रम में कभी गर्मागर्मी हो जाती है और भले ही हम पार्लियामेन्टरी भाषा का प्रयोग कर रहे हों तो भी ऐसा लगता है कि हम गम्भीरता से अपनी बातों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इस बात में दो राय हो सकती है कि हम कितने गम्भीर रहे अपने विचारों को व्यक्त करने में और कितने नहीं हैं। मैं स्पष्ट कर दूं मैं माननीय रामअधार राय जी का बड़ा आदर करता हूं और साधारणत: जितना गम्भीर अपने को मानता हूं उतना ही उनको भी मानता हूं। हो सकता है इस समय मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत से लोग यह समझें कि यह भी गम्भीर नहीं है जो मैं कह रहा हूं। मैं समझता हूं संविधान के अन्तर्गत किसी भी समाचार-पत्र को यह अधिकार है फ्रीडम आफ प्रेस के अन्तर्गत कि वह सम्पादकीय लिखे या टिप्पणी लिखे। यह जरूरी नहीं कि हम उसकी हर टिप्पणी से सहमत हों। आप जागरण पढ़ें या कोई दूसरा अखबार पढ़े तो कभी-कभी लगता है कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप जिस विषय का जिक्र कर रहे हैं तो माननीय कल्पनाथ सिंह ने पत्र की स्वाधीनता पर टिप्पणी नहीं की। उन्होंने केवल यह कहा है कि जो विषय जागरण के अन्दर लाया गया है उस पर सदन विचार करे, उन्होंने औचित्य का प्रश्न रखा है। उसमें उन्होंने संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुसार प्रेस की स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध लगाने की बात नहीं कही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतन्त्रता हनन हो जाती है, अगर हम कह दें कि प्रेस को टिप्पणी करने का अधिकार ही है। अब अगर नेता विरोधी दल ने कोई अच्छी बात कही तो टिप्पणी करने का अधिकार है . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि यह प्रश्न विचाराधीन ही नहीं है। अगर विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय कल्पनाथ सिंह जी लाते कि दैनिक जागरण ने माननीय सदस्यों के आचरण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

पर जो टिप्पणी की है उससे सदन का अपमान होता है तो उन का प्रश्न ठीक था। उन्होंने राय प्रकट की है कि हम स्वयं इस पर विचार करें कि सदन की कार्यवाही किस प्रकार से चले। यह औचित्य का प्रश्न है। तो मैं केवल उसी प्रश्न पर . . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

केवल आंतरिक हम लोगों को काम करना है तो उन्होंने जो जागरण का समर्थन किया है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर टिप्पणी का समर्थन अधिक गम्भीरता से है, अधिक गम्भीरता से कार्यवाही चले तो इसका स्वागत करते हैं। गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही चलनी चाहिए और जागरण की टिप्पणी का स्वागत है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है बुनियादी प्रश्न है। मूल विषय यह है कि क्या सम्वाददाता को, जो आचरण यहां पर हम करते हैं उस आचरण पर टिप्पणी करने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि पत्रकार को पूरा अधिकार है। क्योंकि यहां पर जो बैठते हैं सार्वजनिक रूप से बैठते हैं और हमारे आचरण पर तमाम प्रदेश की जनता की नजर रहती है। हर एक पत्रकार का यह कर्तव्य है कि हम गलत आचरण करें तो उस पर टीका देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह अधिकार समाचार-पत्र का अक्षुण्ण है और इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

यह कल्पनाथ सिंह जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है मैं समझता हूं कि यह सीधे-सीधे विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है क्योंकि जब यह . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम अधार जी विशेषाधिकार के प्रश्न की चर्चा का विषय नहीं है। इसका आप नोटिस देंगे तब विशेषाधिकार पर विचार करेंगे। आप लिख कर दें।

श्री राम अधार—

[× × × × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। आप विशेषाधिकार की सूचना दें। विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना नियम 63-64 के अनुसार देने की प्रक्रिया है। आप बैठ जाइए। आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप लिखित सूचना दीजिए।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है मैं समझता हूं वह अपनी जगह पर इतना सही नहीं है जितना होना चाहिए था। अभी जो नेता विरोधी दल ने बात कही है मैं समझता हूं कि वह बात सही जंचती है। अखबार की स्वतन्त्रता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[×××××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

के लिए यहाँ पर कोई पुरानी सरकार का मीसा या डी0 आई0 आर0 नहीं लगा है। यदि हम बुद्धिमानी की बात करते हैं तो अखबार बुद्धिमानी की बात छापें। यदि खराब बात करते हैं तो अखबार को स्वतन्त्रता से उसको छापना चाहिए इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अखबारों की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहना चाहिए। अगर इस तरह की बात नहीं रहेगी तो इन बातों के छपने से हम माननीय सदस्यों को अपना आचरण सही करने का मौका मिलेगा। आए दिन इस तरह की बातें फिर नहीं होंगी। मैं माननीय नेता विरोधी दल के मत से सहमत हूं कि अखबारों को हमारी विद्वतापूर्ण तथा गलत बातों दोनों पर टीका टिप्पणी करने की पूरी आजादी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

कल्पनाथ सिंह जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। जहाँ तक सदस्यों का सवाल है नियम मौजूद हैं उनको पढ़ कर वे स्वयं उन पर आचरण करेंगे।

श्री शत्रुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

इसका नतीजा क्या निकला ?

श्री अध्यक्ष—

इसका नतीजा यह निकला कि मैंने इसको औचित्य का प्रश्न नहीं माना।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी 26 सितम्बर, 1977 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

शिक्षा मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 28 एवं 90, 4 अक्तूबर, 1977 को लिए जायेंगे।

सदन की बैठक 13 अक्तूबर, 1977 को भी हो और उस दिन 4 बजे अपराह्न तक वन मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 55-तथा 83-और संस्थागत वित्त मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 6, 8 तथा 11 और वित्त मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 1, 14, 20, 26, 27 तथा 97 लिए जायेंगे।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन, कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न समितियों एवं निकायों के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह सदन को सूचित किया जाता है कि आज कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के सुझाव पर समितियों एवं निकायों के निर्वाचन के लिए पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम में परिवर्तन किया गया है, जो अब इस प्रकार होगा :—

(1) नाम-निर्देशन-पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय—दिनाँक 3 अक्तूबर, 1977 को 4 बजे अपराह्न तक।

(2) नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय—दिनाँक 4 अक्तूबर, 1977 को 3 बजे अपराह्न (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।

(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय—दिनाँक 8 अक्तूबर, 1977 को 4 बजे अपराह्न तक।

(4) मतदान यदि आवश्यक हुआ तो —

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा, लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा, आगरा विश्वविद्यालय की सभा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, कानपुर विश्वविद्यालय की सभा, काशी विद्यापीठ की सभा, मेरठ विश्वविद्यालय की सभा, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा, अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड, राज्य भूमि एवं जलसंरक्षण बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड (जिसमें एक महिला सदस्य भी होगी) के सदस्यों के लिए—दिनाँक 13 अक्तूबर, 1974 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न 5 बजे तक (कमरा नं0 48 में होगा)।

(ख) 29 स्थायी समितियों के सदस्यों के लिए—दिनाँक 14 अक्तूबर, 1977 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे अपरान्ह 5 बजे तक (कमरा नं0 48 में होगा)।

जिला सीतापुर के ग्राम दारानगर के पास बिजली के ढीले तार से टकराने के फलस्वरूप एक हरिजन बालक की मृत्यु पर होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

आइटम नम्बर 5 के सम्बन्ध में माननीय विद्युत् मन्त्री जी ने चाहा है कि इस पर वह वक्तव्य कल दे सकेंगे और चूंकि वह विधान परिषद् के अन्दर हैं इसलिए उन्होंने प्रार्थना की है कि जब यहाँ का कार्य अनुदान सम्बन्धी हो जाय उसके बाद इसको ले लिया जाय। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के 1976–77 के परीक्षार्थियों के परीक्षाफल घोषित न होने तथा 1977–78 के परीक्षा-फार्मों के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

बेसिक शिक्षा उप मन्त्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की वर्ष 1978 की हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्धारित पंजीकरण केन्द्रों अर्थात् उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों के माध्यम से परिषद् को अग्रसारित किए जाते हैं। अग्रसारण अधिकारी प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 1 रुपया निर्धारित अग्रसारण शुल्क प्राप्त किया करते हैं। अब केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में अपना पारिश्रमिक बढ़वाने तथा अग्रसारण शुल्क 1 रुपया से बढ़कर 5 रुपया कराने के लिए प्रधानाचार्य–परिषद् के आवाहन् पर बड़े जिलों के कतिपय प्रधानाचार्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों को न तो जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ से उठा रहे हैं और न वे उन्हें अग्रसारित कर रहे हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाँशत: प्रधानाचार्यों ने व्यक्तिगत छात्रों के आवेदन-पत्रों को जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों से उठा लिया है और उन्हें वे बाँट रहे हैं। बड़े जिलों मे केवल लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में यह समस्या विद्यमान होने की सूचना है। इन जिलों में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों ने व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र उपलब्ध कराने और उन्हें अग्रसारित कराने की आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। प्रत्येक नगर में आवश्यकतानुसार संख्या में नवीन वैकल्पिक आवेदन-पत्र पंजीकरण केन्द्र क्रियाशील हैं। इन नवीन पंजीकरण केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को उन्हें प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। इस प्रकार उचित वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है।

2—व्यक्तिगत छात्रों से आवेदन-पत्र बिना किसी विलम्ब शुल्क के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 5 अक्तूबर, 1977 तक बढ़ा दी गयी है उसके उपरान्त भी विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र दिनाँक 31 अक्तूबर, 1977 तक प्राप्त किए जाते रहेंगे।

3—माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने इस वर्ष भी विगत वर्षों की ही भांति छात्रों द्वारा अनुचित साधन प्रयोग, प्रतिबन्धों की पूर्ति न करने आदि के कारण विवशतावश जिन परीक्षार्थियों के परीक्षाफलों को रोक रखा है, उन्हें यह सूचित कर दिया गया है कि वे वर्ष 1978 की परीक्षा के लिए अपने आवेदन-पत्र भर सकते हैं। अत: उनके सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं है, वे आवेदन पत्र भरने के लिये स्वयं परिषद् के परामर्श के अनुसार ही स्वतंत्र हैं। परीक्षाफल रोकने के सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि परीक्षाफल घोषित करते समय अर्थात 30 जून, 1977 को अनुचित साधन प्रयोग व्यक्तिगत छात्रों द्वारा प्रतिबन्धो की पूर्ति न करने आदि तथा अन्य सूचियों में कुल 47131 परीक्षार्थियों के परीक्षा फल रोके गये थे जिनमें से अब तक 30323 के परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं और 16808 परीक्षाफल घोषित होने शेष रह गये हैं। इनमें से 15202 (अर्थात 99–5 प्रतिशत) परीक्षाफल केवल अनुचित साधन प्रयोग, अनुशासन हीनता आदि के अन्तर्गत ही आते हैं। इन पर उचित कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

श्रीमन्, मैं इस पर स्पष्टीकरण करना चाहता हूं --

श्री अध्यक्ष--

इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें प्रश्नों की अनुमति नहीं। इसमें प्रश्नों का कोई नियम नहीं है। यहाँ पर नियमानुसार कार्यवाही हो रही है। मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

मेरा आरोप है कि शिक्षा मन्त्री जी ने सदन को गलत सूचना दी है। मेरी जानकारी है कि कहीं पर प्रार्थना-पत्र अग्रसारित नहीं किए जा रहे हैं। 14 लाख विद्यार्थियों को आवेदन-पत्र नहीं मिले हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

नियमों में है कि कोई गलत सूचना . . .

श्री अध्यक्ष--

इसकी किसी को इजाजत नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह है नियमों में कि अगर कोई गलत सूचना दे तो उसे देखा जाए--(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसका मतलब तो यह हुआ कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि केवल नियम 51 में एक ही सूचना स्वीकार करूं और वक्तव्य देने के लिए मैं मन्त्रियों को किसी प्रकार का निर्देश न करूं। नियमों के अनुसार यह केवल वक्तव्य देने के लिए है, उसके बारे में अनुपूरक प्रश्नों की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

एटा तथा फर्रुखाबाद की सीमा पर अलीगंज व कायमगंज क्षेत्र में डकैती, हत्या और लूट-मार का आतंक तथा पुलिस द्वारा अपराधियों को न पकड़े जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

आइटम नम्बर 7 के वक्तव्य को मुख्य मन्त्री के प्रार्थना पर 4 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

रायबरेली में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की जनसभा में जनता तथा कांग्रेस पार्टी में मारपीट के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

रायबरेली से सम्बन्धित आईटम नम्बर 8 को 28 तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वह अस्वस्थ हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली कटौती करने हेतु राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

9 नम्बर के आईटम को माननीय विद्युत् मन्त्री की प्रार्थना पर 27 तारीख के लिए मुल्तवी कर दिया गया है।

युवक कांग्रेस के तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा का घेराव तथा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में उक्त विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन की जानकारी में लाया जाना

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

महोदय, मैं दिनाँक 19 सितम्बर, 1977 को फीरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर विधान सभा की बैठक में भाग लेने लखनऊ आ रहा था तो वहाँ पर युवक काँग्रेस के लोग व शहर के उच्छृंखल तत्व, जो शराब के नशें में धुत थे, श्रीमती इन्दिरा गाँधी का स्वागत करने स्टेशन पर झण्डे लेकर आए हुए थे। मुझे उन्होंने घेरकर बुरी-बुरी गालियाँ दीं और धक्के भी दिए और जान से मार डालने की धमकी दी और यह भी कहा कि विधान सभा में तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुमने बहुत जनता पार्टी का हल्ला मचा रखा है। मैंने उन्हें बार-बार शान्तिपूर्ण ढंग से समझाया, तो भी वह नहीं माने और बलपूर्वक मुझे काफी देर घेरे रखा। घटना स्थल पर पुलिस आ गई, तब पुलिस ने इनके घेरे से मुझे बचाया तथा इन लोगों ने यह भी कहा कि आप इस घटना की सूचना विधान सभा में देंगे तो फिर फीरोजाबाद में तुम्हारा रहना मुश्किल कर देंगे। इस घटना से स्टेशन पर तहलका मच गया और यात्री भाग खड़े हुए। अत: सदन को इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की सूचना देना चाहता हूं और सरकार से स्पष्टीकरण की माँग करता हूं।

मेरा यह निवदेन है कि सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष में हर स्तर पर आचार संहिता का पालन होना चाहिए, जिसका पालन नहीं किया गया है। सभा स्वागत जुलूसों में पक्ष-विपक्ष के लोगों द्वारा अचानक ही विधायकों के साथ अभद्र व्यवहार व घिराव नहीं करना चाहिए। शराब जैसी नशीली वस्तुओं का प्रयोग कर इस प्रकार के जुलूसों में नहीं आना चाहिए, शराब की हालत में ही मुझे जानबूझकर घेर कर पटरी पर ढकेल कर मारने की योजना काँग्रेसियों ने बनाई है।

विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने को आने पर रोकने का प्रयास किया गया है। मेरे जीवन को खतरा है तथा उच्छृंखल काँग्रेसी तत्वों के आचरण से भय और आतंक की स्थिति से सम्पूर्ण फीरोजाबाद की शान्त व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है।

मान्यवर, यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन अलीगढ़ में जब दो मन्त्री आ रहे थे, उन पर थूका गया, पथराव हुआ और घिराव हुआ और इस सबके विरोध में फीरोजाबाद में 10 हजार आदमियों की सभा हुई ---

श्री अध्यक्ष--

अब अलग से कुछ नहीं, आप बैठें।

राजनैतिक पेंशन उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, इस घटना के सिलसिले में श्री वर्मा जी ने या उनके किसी साथी ने जी0 आर0 पी0 चौकी ,फीरोजाबाद या किसी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखायी। फिर भी इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि पूरी तरह से जाँच करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) माननीय नेता विरोधी दल, इस पर न कोई प्रश्न पूछा जाता है न कोई विवाद होता है, नियम 301 के अन्दर, आपने पहले भी एक प्रश्न उठाया था। इस पर मैं विवाद की अनुमति नहीं दूंगा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

नियम 301 ऐसी सूचना के लिए नहीं है, जैसी दी गयी है। श्रीमन्, अलग से बातचीत कर सकता हूं, नियम 301 के बारे में। यह बिल्कुल नया प्रिसीडेंट है, यह नए तरीके से उठाया गया है, अभी तक इसका इस तरह से उपयोग नहीं हुआ है। नियम 301 इसके लिए नहीं बना है। जहाँ तक सुरक्षा का सम्बन्ध है और आचार संहिता का सम्बन्ध है, मैं उससे सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि जरूर आचार संहिता बने। रायबरेली वाले प्रश्न में मैंने स्वयं माँग की थी और उसके लिए मैं आग्रह भी करूंगा, जब तक राजनीतिक फोरम नहीं बनता तब तक आप स्वयं, माननीय मुख्य मन्त्री और हमको बुला लें, कम्युनिस्ट पार्टी को बुला लें, और दलों को बुला लें, जरूर आचार संहिता बने, हम यह चाहते हैं, पब्लिक मीटिंग कैसे चलायी जायं और उनमें कोई इस प्रकार के खिलवाड़ न हों, हिंसात्मक कार्यवाही न हो, इसके सम्बन्ध में आप पहल करें। लेकिन नियम 301 इस प्रकार की व्यवस्था के लिए नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मुझे जो सूचना दी, मैंने इसको स्वीकार किया। मन्त्री जी का उत्तर आ गया। आचार संहिता बने लेकिन जहाँ तक इस प्रकार के प्रश्नों का सवाल है आप मेरे कक्ष में बात कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस पर विचार करूंगा, विभिन्न दलों के नेताओं से मिल कर कि इस पर क्या किया जाय। इस पर विवाद समाप्त।

एक सदस्य—

श्री अध्यक्ष— अध्यक्ष महोदय . . . .

आप बैठिए। नियम के अनुसार इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होता।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 4, न्याय प्रशासन तथा अनुदान संख्या 22—कारागार

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,03,52,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

कारागार का भी पढ़ दूं साथ ही में।

श्री अध्यक्ष—

साथ ही में कर दीजिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,28,42,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्ययर, लोक तंत्र में अगर कोई सबल लोकतंत्र को सुरक्षित करने वाला स्तम्भ है, फैक्टर है तो न्यायपालिका है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा, न्यायपालिका के प्रति विश्वास और उसमें जनता की आस्था जब तक नहीं रहेगी तब तक किसी देश का लोकतन्त्र सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन पिछले 30 वर्षों में विशेषकर 7-8 वर्षों में न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास, जनता की आस्था बढ़ने के बजाय थोड़ी कम हुई है। न्यायपालिका में जो आस्था कम हो गयी है उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इतना मानना पड़ेगा कि न्याय पालिका की प्रतिष्ठा, उसका सम्मान और उसके प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए जितना किया जाना चाहिए था, उतना किए जाने की कौन कहे, उसके विपरीत कार्य शासन की ओर से हुआ है जिसके कारण न्याय पालिका की स्वतन्त्रता, उसकी निष्पक्षता और उसकी अखंडता खंडित हुई है। मैं इस शासन की ओर से इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को यह शासन भविष्य में कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता में आँच आवे।

मान्यवर, न्यायपालिका की शिकायतें भी बढ़ी हैं। उसमें अनेकों सुधार की आवश्यकता है। वहां इतने अधिक मुकदमें लम्बित हैं और उन मुकदमों में विलम्ब से निर्णय हो रहा है कि वह कहावत जो है 'जस्टिस डिलेड, इज़ जस्टिस डिनाइड' चरितार्थ हो रही है। यह किसी भी प्रदेश की न्याय पालिका के प्रशासन के अच्छे लक्षण नहीं हैं। मुकदमों का निर्णय 5-5; 6-6 और 7-7 साल में हों इसके लिए कई फैक्टर्स हैं, कई कारण जिम्मेदार हैं। मान्यवर, इन कारणों के सामूहिक रूप से सुधार करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। जिस गति से मुकदमें बढ़ रहे हैं उस गति से जितने अधिकारी होने चाहिए वह नहीं हुए हैं, लेकिन मान्यवर, इसकी स्थिति यह है कि केवल अधिकारियों के बढ़ाने से मुकदमों के निबटारे में तेजी नहीं आ सकती है। कानून का प्रोसीजर ऐसा है जिसके कारण कुछ अनावश्यक ढंग से मुकदमों में एडजर्नमेन्ट, स्टे और पोस्टपोनमेन्ट कराए जाते हैं। जिससे विलम्ब होता है। एक बड़ी अजीब बात है कि छोटे–छोटे केसेज जिनमें 25, 50 रुपया दन्ड होता है, उनके मुकदमें डेढ़-डेढ़ और दो-दो साल चलते हैं, उसका परिणाम यह होता

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

है कि जितना जुर्माना नहीं होता है उससे कई गुना ज्यादा दौड़ने में खर्च हो जाता है। पुलिस का प्रोसीजर भी मुकदमों के विलम्ब का कारण है। इसके निवारण के लिए एक योजना गम्भीर रूप से विचाराधीन है और वह योजना जल्दी ही लागू कर दी जाएगी। हमारे जो न्यायालय हैं उनको बढ़ाया जाएगा, कानून के प्रोसीजर में परिवर्तन किया जाएगा, ऐसे छोटे-मोटे केसेज जिनमें 20 रुपया 50 रुपया और 100 रुपया जुर्माना होता है ऐसे केसेज को नियमित कोर्स से हटाकर एक ऐसी व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है जिससे तत्काल उसका निर्णय कर दिया जाए। उसमें विलम्ब न हो। पुलिस विभाग से भी इस बारे में गम्भीर रूप से मन्त्रणा की जा रही है कि किस तरह से ऐसे मुकदमों के निपटारे को तीव्रतर किया जाए। वह अपनी कार्यवाही में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, न्याय पालिका से सम्बन्धित विकेन्द्रीकरण की नीति शासन ने बनाई है। सस्ता न्याय देने का जो वायदा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत जहां भी आवासीय व्यवस्था हो गई है, हम मुन्सिफ कोर्टों का स्थानान्तरण करने जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी न्यायालय और कारागार जो अभी तक वहां नहीं थे, उनकी स्थापना की जा रही है। विशेष रूप से विकेन्द्रीकरण नीति का अनुसरण कर जनता को शीघ्र एव सुलभ न्याय दिलाने की दृष्टि से जिला टेहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, ललितपुर तथा गाजियाबाद में जिला जज के न्यायालयों एवं हापुड़, फिरोजाबाद, बलरामसुर, रावर्ट्सगंज कर्वी, दुद्धी, नौगढ़, बागपत, हरिद्वार, चकिया, सैदपुर तथा महोबा आदि स्थानों में मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं।

जिला ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, पिथौरागढ़, टेहरी, अल्मोड़ा तथा पौड़ी में सिविल जज के न्यायालयों की स्थापना की जाएगी जिसके फलस्वरूप इन जिलों की वादकारी जनता को 20,000 रुपए तक के मूल्य के मामलों में अपीलें जिला जज के ही न्यायालयों में दायर करने की सुविधा तथा साथ ही साथ एक अपील के बजाए दो अपीलें करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा जब कि अब तक केवल 5,000 रुपए तक ही अपीलें करने का प्राविधान था, जिन्हें जिला जज सुनते थे। उसकी एक ही अपील होती थी जो उच्च न्यायालय में दायर करनी होती थी।

अभी तक जिला सरकारी वकीलों एवं अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ताओं को प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता देय था। इसके स्थान पर उनको मासिक फीस दी जाएगी। इसके साथ ही साथ सहायक जिला सरकारी अधिवक्ताओं को किसी दिन ढाई घंटा से कम कार्य के लिए देय आधे दिन की फीस के स्थान पर पूरे दिन की फीस दी जाएगी।

मान्यवर, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना-- शासन द्वारा की गई है। जिसमें सामूहिक जीवन बीमा की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत 60 वर्ष तक की आयु के वकीलों के लिए सामूहिक जीवन बीमा पालिसी की योजना घोषित की गई है। इससे पूर्व किसी अधिवक्ता की इस आयु से पूर्व मृत्यु होने की दशा में उसके आश्रितों को 5,000 रुपया दिया जाता था जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया है।

निर्धनों एवं गरीब जनता तथा हरिजनों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने का बड़ा प्रचार किया जाता रहा है। मान्यवर, इस शासन ने हरिजनों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति व विमुक्त जातियों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता देने की योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर समितियों का गठन किया था। इन समितियों का अब पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे इस योजना के अन्तर्गत सही ढंग से बड़ी संख्या में निर्धन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श प्राप्त होगा और इसके लिए मान्यवर, पांच लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।

इसके अलावा यह है कि हम सब जानते हैं, न्यायालयों में न्याय प्रशासक के बैठने के लिए कक्ष, वादकारियों के बैठने के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था व शौचालय आदि की एक अच्छी खासी व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण प्रदेश के कोने-कोने से कचेहरियों में आने वाली जनता को बैठने के लिए स्थान तक नहीं मिलता था। दूर-दूर से आए ग्रामीणों को बैठने के लिए छाए तक की व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण उन्हें बड़ी कठिनाई होती थी।

मान्यवर, इसके लिए पिछले वर्ष बजट में न्यायालय के भवनों को निर्मित करने और आवासीय भवनों को निर्मित करने के लिए दो करोड़ रुपए का प्राविधान था, लेकिन इस शासन ने इसे बढ़ा कर 2.94 लाख रुपया किया है। इतना ही नहीं, पर्वतीय जिलों में न्यायालयों और आवासों के भवनों के निर्माण के लिए 85 लाख रुपए का प्राविधान पर्वतीय विकास विभाग में किया गया है। इतना बतला दूं कि जिस गति से यह सरकार ने भवनों के निर्माण की योजना बनायी है, मैं आशा करता हूं कि 5-7 साल के अन्दर न्यायालयों के भवनों की कमी नहीं रह जायगी और निष्पक्ष न्याय देने के लिए, न्यायाधीशों के रहने के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था कर दी जायगी। अभी होता क्या है कि मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश लोगों के मकानों में किराए पर रहते हैं। स्वाभाविक है कि वह भी मानव हैं। जो दूसरे के मकान में किराए पर रहेंगे, वकीलों के मकान में किराए पर रहेंगे, किसी पैसे वालों के मकानों में किराए पर रहेंगे तो वह भी मानव है, स्वाभाविक रूप से उन पर भी दबाव पड़ सकता है। इसलिए न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से सामाजिक प्रभाव से, व्यक्ति के प्रभाव से दूर रह कर, स्वतन्त्र रहकर निष्पक्ष न्याय दे सकें, इसलिए शासन ने नीति के रूप में स्वीकार किया है कि न्यायाधीशों के लिए आवासीय व्यवस्था का पर्याप्त रूप में जुटाना आवश्यक है।

जहां तक अहाते की बात है, अभी तक कोर्ट के कम्पाउन्ड में क्या स्थिति होती है? बैठने के लिए जगह नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है नित्य क्रिया के लिए। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को जोड़ने के लिए सड़कें नहीं हैं, बीच में पानी और कीचड़ भरा रहता है। इन अहातों के विकास के लिए, सुधार के लिए शासन ने बजट में 7 लाख रुपए का प्राविधान किया है।

मान्यवर, जैसा कि मैंने बतलाया, प्रशासनिक सुधार के लिए, मुकदमें काफी निपटें, न्याय सस्ता मिले, इसके लिए शासन ने 3 बातों को अन्तिम रूप देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। उसमें न्यायालयों के बढ़ाने की बात है, कानूनों की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना जिससे कि मुकदमों का निपटारा जल्दी से हो सके, छोटे-छोटे मुकदमों को रेगुलर

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

न्यायाधीशों से अलग करके उनका शीघ्र निर्णय करना और पुलिस द्वारा विलम्ब किए जाने की व्यवस्था और नियमों में परिवर्तन किया जाना। यह एक साथ सभी व्यवस्था विचाराधीन हैं और इसी वर्ष के अन्दर यह पूरी व्यवस्था लागू कर दी जायगी जिसके परिणाम स्वरूप इस बात की हमें पूरी आशा और विश्वास है कि यह काम सुचारुरूप से चल सकेगा और सभी दिक्कतें दूर हो जायेंगी। साथ ही न्यायालयों में जो पद हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र भरने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श और परामर्श हो रहा है और इस साल में सब कार्यवाही पूरी हो जायगी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1 वर्ष के अन्दर छोटे-छोटे अपराध सम्बन्धी मुकदमों का निस्तारण 3 महीने में होने लगेगा और बड़े-बड़े मुकदमों का निस्तारण जो 5 वर्ष में होता है वह 6 माह से लेकर 12 माह के अन्दर कर दिया जायगा, ऐसी व्यवस्था यह शासन इसी वर्ष के अन्दर लागू कर देगा।

इतना ही नहीं जब मुकदमों का निस्तारण जल्दी होने लगेगा तो न्याय सस्ता हो जायगा। आज न्याय केवल महंगा इसलिए नहीं है कि फीस अधिक है बल्कि इसलिए है कि व्यक्ति को 5-6 साल तक दौड़ना पड़ता है तो जब वह खर्चा जोड़ता है तो वह मुकदमों पर इतना अधिक हो जाता है कि वह महंगा पड़ जाता है अपने आप। इतना ही नहीं, न्याय को और गति देने के लिए उसमें निष्पक्षता लाने के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स की जगह मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स स्थापित किए जायेंगे। लेकिन यह कार्य यकायक नहीं हो सकता। इस समय 200 स्पेशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं। उनको मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा रिप्लेस करने में 1-2 वर्ष का समय लगेगा क्योंकि मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। 150 मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट्स की परीक्षा जो लोक सेवा आयोग ने ली थी उसका फल आना बाकी है। वह भी नियुक्त हो जायेंगे और पिछली परीक्षा के आधार पर 50 मुन्सिफ मैजिट्रेट्स को पास किए जाने की सूचना मिली है।

इतना ही नहीं, एक बात और जो न्यायालयों में व्याप्त है, जिससे लोग पीड़ित हैं वह है न्यायालयों का भ्रष्टाचार। और जो सब से बड़ी बात इस प्रदेश को खटकती थी और जिसके लिए कुछ नहीं किया गया वह है न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग। भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता विभाग ने एक छापा मारने के अभियान का कार्य-क्रम निश्चित किया है। लेकिन वह लागू इसलिए नहीं किया जा रहा है कि यह शासन न्याय पालिका की प्रतिष्ठा, उसकी स्वतन्त्रता, उसकी निष्पक्षता और उसको सर्वोच्च सम्मान देने की नीति में विश्वास करती है। इसलिए हाई कोर्ट से इस पर सहमति प्राप्त की जा रही है और उनकी सहमति प्राप्त होते ही न्यायालयों का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा छापे का अभियान शुरू किया जायगा, केवल इक्का-दुक्का छापा ही नहीं डाला जायगा।

जहां तक न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की बात है, यह जरूर है कि हम अपने को हिन्दी प्रदेशीय मानते हैं और इस पर गर्व भी करते हैं। लेकिन हमारे न्यायालयों में जिस गरीब जनता को न्याय दिया जाता है वह कानून को और निर्णयों को नहीं समझ पाती। इसका कारण यह है कि अभी भी जिस स्तर तक हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये था वह नहीं हुआ। इसके लिए कुछ कार्य किए गए हैं। अंग्रेजी के मूल अधिनियमों का हिन्दी पाठ प्रस्तुत किया गया है। यू0 पी0 कोड को द्विभाषी कोड के रूप में छापा जा रहा है, एक तरफ

अंग्रेजी और उसी का हिन्दी रूपान्तर इतना कार्य तो पहले से चल रहा है। इसमें और गति देने की नीति अपनायी गयी है क्योंकि इतने से ही हिन्दी का प्रसार नहीं हो पाएगा। आज हिन्दी का प्रसार इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो न्यायाधीशों से शिकायतें मिली हैं कि उनके पास हिन्दी के टाइपराइटर्स नहीं है जिससे चाहते हुए भी वह हिन्दी में काम नहीं कर पाते। शासन ने इस बात को स्वीकार किया है कि अवश्यकतानुसार हिन्दी के टाइपराइटर्स उपलब्ध कराए जायेंगे जिससे कि टाइपराइटरों की कमी के कारण हिन्दी के प्रसार में बाधा न पड़े। इसके अतिरिक्त आई0 एल0 आर0 जो अभी तक अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी उसको हिन्दी में प्रकाशित करने का विचार यह शासन कर रहा है। इससे लाभ यह होगा कि आज जो न्यायाधीश और वकील लोग यह कहते हैं और यह सही भी है कि उनके पास इतना पर्याप्त हिन्दी में कानूनी साहित्य नहीं है कि वे अपने व्यवहार में अंग्रेजी की तरह धड़ल्ले से हिन्दी का प्रयोग कर सकें। इसी चीज को हिन्दी का साहित्य देने में उत्तर प्रदेश अगुआई करे। आई0 एल0 आर0 की रिपोर्ट जो अंग्रेजी में अब तक होती रही है, उसको हिन्दी में करने का विचार किया जा रहा है। अभी अन्तिम निर्णय विचाराधीन है। मान्यवर, इतना सब कुछ करने के बाद और हिन्दी के प्रति जो हिन्दी को प्रसारित करने के लिए जो कार्य-क्रम इस शासन के विचाराधीन है, उसमें इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि उनके लागू कर देने पर प्रदेश के जिले स्तर के न्यायालयों में 5 वर्ष के अन्दर वह कार्य हिन्दी में होने लगेगा। कोई भी कार्य अंग्रेजी में नहीं होगा। ऐसी हम आशा करते हैं। इन कार्यक्रमों को लागू कर देने के बाद इतना ही नहीं, जिस गति से जनता की भावना हिन्दी के लिए आ रही है, उन आकांक्षाओं को देखते हुए मुझे विश्वास है कि जिस तरह से अपने माननीय उच्च न्यायालय, के न्यायाधीश भी इस ओर जागृत हो रहे हैं, आगामी 5 वर्षों में अनेक न्यायाधीश भी अपना निर्णय हिन्दी में देने लगेंगे, मुझे ऐसी आशा है। जन भावना को देखते हुए मान्यवर, मेरी हार्दिक इच्छा है, इस शासन की हार्दिक इच्छा है कि देश के न्यायपालिका के इतिहास में हिन्दी का साहित्य इतना प्रचुर मात्रा में दिया जाय कि सभी न्यायालयों में हिन्दी का प्रचार, हिन्दी के साहित्य की कमी के कारण, उसका प्रसार न रुकने पाए। इस शासन की हार्दिक इच्छा है कि इस क्षेत्र में इतना कार्य किया जाय। लोगों का सहयोग मिले। लोग हिन्दी के प्रति अग्रसर हों।

इसके साथ-साथ जैसी कि हमने पहले घोषणा की थी कि इस प्रदेश में न्याय विभाग का इस प्रदेश के जितने भी कानून हैं, उनको अधिकाधिक व्यवहारिक बनाने और सरल बनाने के लिए सभी कानूनों को रिव्यू किया जा रहा है, इसके लिए एक सेल भी खोल दिया गया है और उस सेल में सी आर0 पी0 सी0 का कार्य सर्वप्रथम लिया है। यह पहला अवसर है जब कि शासन ने बार एसोसिएशन का विश्वास प्राप्त किया है। उनके अनुभव का लाभ उठाने का निश्चय किया है। जो भी रिपोर्ट यह सेल तैयार करेगा, उसको प्रत्येक बार एसोसिएशन में भेजा जायगा और उनके व्यावहारिक अनुभव के आधार पर वह पूरा किया जायगा। वह सादा हो, उसके लिए आवश्यक है कि पूरी छानबीन करने के बाद कोई कानून बनाया जाय कि अब तक जो भी कानून बनाए जाते थे, जल्दी में ही बनाए जाते थे, जिसके कारण उन पर पूर्ण जितना विचार-विमर्श होना चाहिए था वह नहीं हो पाता था। इसीलिए सी आर0 पी0 सी0 को परिवर्तित करने से पहले बार एसोसिएशन के पास

[श्री ओम प्रकाश सिंह]--

भेजा जायगा। उनकी परामर्श जो आएगी, फिर एडवोकट जनरल की एक 13 सदस्यीय समिति जो है, उसमें विचार-विमर्श के लिए रखा जायगा। मान्यवर, उसमें दो-तीन अनुभवी वकील भी रखे गए हैं। मान्यवर, उनके देखने के बाद कार्यवाही के लिए रखा जायगा। मान्यवर, इस प्रदेश में कानून की अनभिज्ञता के कारण भी अपराधों में वृद्धि हुआ करती है। कुछ लोगों के द्वारा कानून की अनभिज्ञता के कारण लोगों को परेशान करने की घटना घटती थी, मान्यवर, जो नित्य जीवन में व्यवहार में आते हैं, ऐसे कानून की जानकारी देने के लिए एक बार नियमित प्रति सप्ताह एक कानून का रेडियो के माध्यम से प्रसार किया जायगा, लोगों को कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए। हम आकाशवाणी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और अक्तूबर से उसका नियमित प्रसारण करने के लिए स्वीकृति दी है।

इतनी बातों के बाद अब मैं चाहता हूं कि इस सदन को जेलों की ओर ले चला जाय। (हंसी)

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

ऐसा न करिए मान्यवर, यहीं करेंगे आप। मान्यवर, सदन को जेलों की ओर ले जाना चाहते हैं खुद जायं तो ठीक है। (हंसी)।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैं जानता था कि जिन्होंने दूसरे लोगों को जेलों में बन्द किया था, मानव को मानव नहीं समझा था वह ऐसे अनौपचारिक वाक्य को सुनकर सहम जायेंगे। भयभीत हो जायेंगे। लेकिन शासन की नीति है कि किसी के साथ प्रतिशोध या बदले की भावना से कार्य नहीं होगा। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। अपने अन्दर झांक लें कि दोषी हैं या नहीं? जो दोषी नहीं हैं वे भयभीत न हों।

मान्यवर, जेल प्रशासन के बारे में क्या कहा जाय। जेल प्रशासन या जेलों की तुलना किसी चीज से की जाय तो कम ही होगी। इसकी जितनी आलोचना की जाय वह भी कम ही होगी। हमने खुद देखा, मान्यवर, कुछ जेलों की बिल्डिंग, उदाहरण के लिए अभी मैं मथुरा गया था, वहाँ की जो जेल हैं वह क्या है, मैं नहीं कह सकता। अगर उसे यह कहा जाय कि पुरातत्व विभाग का खंडहर है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इस समय जेलों की जो स्थिति है, खासतौर से पूर्व शासन ने जो की है उसके बारे में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी इसमें सुधार कराइएगा अपने अनुभव के आधार पर।

(हंसी)

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जेलों के बारे में अपने साथी सुझाव देंगे, मैं उनके सुझाव चाहूंगा। जेलों से सम्बन्धित सुझाव इधर से ही आयेंगे क्योंकि उधर के लोगों को जेलों का अनुभव नहीं है, तो वह कैसे सुझाव देंगे ?

एक सदस्य––

आप लोगों से ज्यादा जेलों में रहने का अनुभव है।

श्री अध्यक्ष––

सुविधायें तो आपको इन्हीं के लिए विशेष करनी है। (हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––

शायद माननीय मन्त्री जी को मालूम नहीं है, न जाने कितने-कितने कारागार देखे हैं। आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

मान्यवर, इन कारागारों की, तिवारी जी के प्रशासन, 30 सालों के प्रशासन ने यह स्थिति की है।

श्री अध्यक्ष––

अब आप उनका गलत अनुकरण मत कीजिएगा। (हंसी)

श्री ओम प्रकाश सिंह––

मान्यवर, जेलों के प्रशासन के सम्बन्ध में दो बातें मुख्य हैं, रख-रखाव, रहन-सहन, की व्यवस्था। तीसरी बात यह है कि जेलों का वातावरण कैसा हो जिससे लोगों का सुधार हो। तो इन मूल बातों को ध्यान में रखकर जेलों के प्रशासन को बनाना पड़ेगा। जेल प्रशासन मैनुअल से चलता है। यह मैनुअल इतना पुराना हो चुका है और इसमें इतने परिवर्तन होने के बावजूद भी यह अपर्याप्त है। असन्तोषजनक है। इसलिए सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है शासन का कि जेलों के मैनुअल के बारे में सोचें। मान्यवर, इसीलिए शासन ने निर्णय किया है कि जेल मैनुअल में संशोधन न करें बल्कि इसको हटा कर एक नया मैनुअल बनाया जाय। जिसमें मानव को मानव की तरह समझा जा सके तथा जो दोषी या अपराधी हैं, उनके सुधार के लिए परिस्थितयाँ पैदा की जा सकें। इन सबको देखते हुए नये जेल मैनुअल के बनाने की नीति को स्वीकार किया गया है। इसके लिए एक कक्ष की स्थापना कर दी गयी है और कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जायगा और कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

भोजन की जो व्यवस्था है, जो मैनुअल में निर्धारित है उसके अनुसार नहीं दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि मैनुअल में जो निर्धारित है वह अपर्याप्त मात्रा निर्धारित है। इस सम्बन्ध में कमेटियों की रिपोर्टें आई हैं। जाँच चल रही है। अधिकारियों के सुझाव माँगे हैं। 30 तारीख को बैठकर अन्तिम निर्णय लेने जा रहे है कि भोजन व्यवस्था में क्या-क्या किया जाय? इतना ही नहीं 8 जेलों में इस बात के निर्देश दे दिये हैं कि मानव को मानव के रूप में देखें और उसमें भारतीय दृष्टिकोण यह है कि समूह के रूप में नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता देखी जाय और उसकी पूर्ति की जाय। अभी तक यह था कि 410 ग्राम रोटी मिलेगी, चाहे व खाये या नहीं। परिणाम यह होता था कि कोई जब नहीं खा पाता था तो वह फेंक देता था और किसी को कम पड़ जाती थी। इसलिए हमने निर्देश दे दिये हैं कि प्रति व्यक्ति को जितनी मात्रा निर्धारित हैं उसको सामूहिक रूप में सब बंदियों

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

को पेट भर खिलाया जाय और एक महीने तक यह कार्यक्रम चले। उसमें जो कठिनाई आये और जो अनुभव हो उसके अनुसार मैनुअल में परिवर्तन किया जाय।

दूसरी बात मान्यवर, भोजन में चोरी होती थी। इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया है कि भोजन व्यवस्था में कैदियों को भागीदार बनाया जा सके। अब कैदी भोजन वितरित करेंगे। इसलिए जो भोजन अधिकारी वितरित करते थे उसमें अब कैदियों को भागीदार बनाया जायेगा ऐसा निर्णय हमने ले लिया है।

मान्यवर, रिहाई के बारे में शिकायत आती थीं लेकिन इस पर विचार चल रहा है कि उस रिहाई के भ्रष्टाचार को, उस अनियमितता को दूर कैसे किया जाय। हम ऐसा कोई कार्य जल्दी में नहीं करना चाहते हैं कि जो अपर्याप्त हो। लेकिन हमने आदेश दिये हैं कि रिहाई गर्मियों में जो 5 बजे होती थी वह साढ़े 5 बजे तक कर दी जाय और जाड़ों में जो 4 बजे थी उसके स्थान पर साढ़े चार बजे तक कर दी जाय। यही नहीं हमने यह भी आदेश दे दिये हैं कि जो रिहाई करवाने आये थे और रिहाई नहीं करते थे, उनसे सौदेबाजी करते थे उसको दूर करने के लिए कुछ प्राविधान, कुछ नियम बनाने की बात विचाराधीन है और जल्दी ही 1-2 महीनों में लागू कर दिये जायेंगे।

मान्यवर, वस्त्र के मामले में जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति गर्मियों में बिना कपड़े के रह सकता है लेकिन जाड़े में बिना पर्याप्त कपड़ों के नहीं रह सकता है। हम लोगों को राजनैतिक आधार पर बन्द किया गया था लेकिन जिस तरह के कपड़े दिए गए थे उनको देखकर आभास होता था कि कैदियों को कैसे दिए जाते होंगे और देखते थे कि जाड़ों में फटे कम्बल दिए जाते थे जिनमें हवा आती थी। इसलिए मैंने आदेश दिए हैं कि जाड़े में किसी भी बन्दी को फटे कम्बल नहीं दिए जायंगे और जाड़े के घटने बढ़ने के अनुसार कम्बल दिए जायं। यह भी हमने कहा है कि यदि हमारे या और किसी के निरीक्षण के समय खराब कम्बल पाये गये तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायगी।

मान्यवर, यही नहीं, देश की कितनी बड़ी शक्ति जेलों में बन्द हैं। वहां सुधार की बात की जाती है। जब आदमी जेल से निकले तो एक मानव बनकर निकले, वह समाज बनाये और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए मान्यवर एक कैदी को इस रूप में परिवर्तित करने का कार्यक्रम विचाराधीन है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाया जा सके। अभी तक कारागारों में मान्यवर, सामूहिक कार्य जैसे दरियां, कालीन और फर्नीचर बनाए जाते थे। अधिक पैसा लगाकर कई आदमी मिलकर काम कर सकते थे। लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कम पैसा लगाकर कैसे वहां काम सीख कर, कैसे समाज में आकर स्वावलम्बी बने। कौन से वे उद्योग हो सकते हैं, ऐसे उद्योगों को वहां स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि एक वर्ष के अन्दर यह कार्य क्रम कार्यान्वित कर दिया जायगा।

इतना ही नहीं, उद्योग और कृषि के विकास हेतु जेल एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की स्थापना पर विचार किया जा रहा है जिससे कि बैंकों से पैसा मिल सके और बन्दियों को पर्याप्त धन देकर उन्हें रोजगार के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाया जा सके।

इसी प्रकार भवनों के लिए भी पर्याप्त पैसे का प्राविधान किया गया है। एक-एक करके उसको गिनाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। पहाड़ी क्षेत्र में तीन स्थानों पर कारागार स्थापित करने का भी निर्णय लिया जा चुका है। आज भी कुछ कारागारों में कंधे पर शौच उठाया जाता है। लोग उसी बैरक में रहते हैं और वहीं शौचालय बने हुए हैं जो बड़ा अमानवीय लगता है और यह अस्वास्थ्य कर भी है। कुछ जेलों में पी0 आर0 ए0 टाइप लैट्रिन की व्यवस्था करने के लिए 10 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है और कुछ वर्षों में यह सुविधा सभी जगह हो जायगी।

बन्दियों में सुधार की भावना विकसित हो तो इसके लिए हमने दो तीन कार्यक्रम लिए हैं। अभी तक इनको 15 रुपया पाकिट एक्सपेन्स मिलता था, लेकिन उसको बढ़ा कर 30 रुपया कर दिया गया है। वह जेल के अन्दर या बाहर से सामान मंगाकर उपयोग कर सकते हैं। अभी तक बन्दियों को धारीदार कपड़े पहनने को दिए जाते थे। लेकिन हमने प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह नियम बनाया है कि जिस बन्दी का अचरण कुशल होगा, सन्तोषजनक होगा उसको बिना धारी के सादे कपड़े दिए जायगे। आदर्श कारागार और शिविरों में उनको सादे कपड़े देंगे।

एक और नीति सुधार के लिए अपनाने जा रहे हैं। अभी तक बन्दियों को एक अपराधी और प्रतिशोध की भावना से देखा जाता था। लेकिन हमारे विचाराधीन यह नीति है कि उनमें सुधार की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए जिन बन्दियों का आचरण सन्तोषजनक हो उनको वर्ष में एक माह का पैरोल दिया जाय जिससे कि वह अपने परिवार में और समाज में जाय और उसके अन्दर मानसिक और शारीरिक जो तनाव है उसमें परिवर्तन आए। इसी प्रकार जेल प्रशासन में भी सुधार हेतु नीति अपनायी गयी है। एक अतिरिक्त कारागार महानिरीक्षक, तीन उप कारागार महानिरीक्षक, 14 प्रथम श्रेणी के कारागारों के अंशकालिक अधीक्षकों का पद पूर्णकालिक पद में सृजित किया गया है। यह इसलिए किया गया था कि जेल प्रशासन में सुधार हो लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन पदों के सृजन करने के बाद भी अपेक्षित सुधार नहीं आया है। मैंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि नए पदों के सृजन के बाद भी जेल प्रशासन में सुधार नहीं हुआ तो इन पदों के रखने या न रखने के बारे में शासन गम्भीरता से विचार करेगा। हो सकता है कि इसको समाप्त कर दें और हो सकता है कि इसको कुछ और रूप देकर के नये शासन प्रणाली की व्यवस्था लागू की जाय। इन थोड़े शब्दों के साथ इस थोड़े समय में इस शासन ने जो नीतियां अपनायी, जो निर्णय लिए वह मैंने आप सबके समक्ष, इस सदन के समक्ष रखे। मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस बजट को स्वीकर कर के और मौका देंगे कि जनता की अपेक्षा के अनुसार इन दोनों ही विभागों में परिवर्तन आये। जिस न्यायपालिका को अभी तक जितना प्रतिष्ठित होना चाहिए था, जितना सम्मानित होना चाहिए था, जिस पर जनता की आस्था और विश्वास जितना अधिक होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। शासन अपनी तरफ से न्यायपालिका की निष्पक्षता, स्वतन्त्रता और आस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। इसका अवसर आप इस बजट को पास करके देंगे, मुझे विश्वास है।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना तथा अनुदान संख्या 22—कारागार—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

(इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

मान्यवर, अभी हमारे सुशिक्षित—मैं तो यह कहूंगा कि कानून के प्रकाण्ड पंडित—न्याय मन्त्री जी का भाषण सुना और मैंने आपके द्वारा जो कारागार और न्याय सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश किया उनको भी पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि इस सदन को ही नहीं, न्यायपालिका को ही नहीं सारे उत्तर प्रदेश को निराशा हुई। हम मंजूर करते हैं कि हो सकता है कि तीस साल के कांग्रेस के राज्य में कमियां रही होंगी लेकिन आप जब इसी सदन में विपक्ष के सदस्य थे आपने तब अपने भाषण दिए थे, बहुत सी बातें कही थीं, क्रान्तिकारी परिवर्तन की बात कही थी लेकिन आज जब आपका न्याय प्रशासन का प्रतिवेदन पढ़ा और आपका भाषण सुना तो किसी भी प्रकार से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जो वादे किये थे पूरे कर रहे हैं।

एक विषय मुख्य भ्रष्टाचार सम्बन्धी है जिसके बारे में मुझे उम्मीद थी कि आप शायद कुछ शब्द बोलेंगे लेकिन आपने कोई बात नहीं कही। मैं समझता हूं कि इस समय हमारे हिन्दुस्तान की जो जुडिशियरी है उसका प्रभाव प्रदेश में भी है। विदेशों में भी इसकी इज्जत करते हैं और समझते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर न्याय—न्याय है और जिसे मिलता है। वह समझता है कि मुझे न्याय मिल रहा है। अगर इस मूल भावना पर कुठाराघात हो तो मैं समझता हूं कि बहुत ही खेद का विषय है। माननीय अधिष्ठाता जी हमारे कोर्ट्स के अन्दर जिस तरीके से रिश्वत पनप रही है यह चीज किसी से छिपी नहीं है। आज हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ और अच्छे जजेज भी रिश्वत ले रहे हैं लेकिन उनको कोई रोकने का प्रयास नहीं है। आप मगर तीस साल के प्रशासन को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपने कोई नई बात नहीं कही कि आप किस तरीके से इस भ्रष्टाचार को रोकने जा रहे हैं। आप यह जो कहते हैं कि न्याय महंगा है। आप जो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड होता है तो वह जस्टिस नहीं है। यह सही है कि अगर जस्टिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है तो मुझे न्याय—न्याय नहीं दिखेगा, मुझे यह प्रतीत नहीं होगा कि न्याय मिल रहा है।

आज आपने डिले केसेज के लिए बताया कि हमारे जजेज की कमी है। न्यायालय हमारे कम हैं। उनकी संख्या बढ़ाने की बात कही है यह कहा कि इन कमियों का इन्तजाम हो रहा है कि जस्टिस डिलेड है और जस्टिस महंगा हो रहा है। हमारी जनपदों के अन्दर न्याय जो मिल रहा है वह तो महंगा है ही लेकिन हाई कोर्ट तथा उच्च न्यायालय में जो जस्टिस मिल रहा है वह सर्वाधिक महंगा है। पिछले वर्षों में यह माँग उठाई जा रही थी कि एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बैंच उच्च न्यायालय की बनाई जाय पश्चिमी जिलों में। मैं समझता था कि न्याय मन्त्री जी इस पर कुछ विचार प्रकट करेंगे लेकिन उन्होंने इस पर अपने कोई भी विचार प्रकट नहीं किए। यह बात कह कर कि उत्तर प्रदेश के ऊपर यह आरोप है कि मेरठ या बरेली में कोई बैंच खोल दी जाती है तो यह न्याय पर कुठाराघात होगा, इस तर्क के आधार पर आप बैंच खोलने को तैयार नहीं हैं। जिस तरह से आप अस्पताल से दवा लेते हैं और दूसरा अस्पताल खोलते हैं तो वहाँ से भी दवा लेते हैं तो इससे दोनों जनपद की एकता में कोई फर्क तो नहीं पड़ता। पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिमी जिलों के व्यक्ति जब इलाहाबाद जाते हैं न्याय पाने के लिए उसका कितना रुपया खर्च होता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। विरोध पक्ष में बैठ कर आपने यह कहा था कि पश्चिमी जिलों के लिए एक बैंच खोलने की आवश्यकता है जिससे जो न्याय महंगा है, जनता को आने-जाने में असुविधा होती है और वहाँ के लोगों को न्याय मिलने में मुश्किल हो रही है अगर वहाँ पर एक बैंच आप खोल देते हैं तो इससे जस्टिस जल्दी भी होगा और सस्ता भी सुलभ भी होगा। लेकिन इस विषय पर आपने कोई बात नहीं कही। पिछली बार विरोधी पक्ष के सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह ने, जो आज कैबिनट रैंक के मन्त्री हैं, यह कहा था कि मेरठ में एक बैंच होनी चाहिए। आज उनकी सरकार है। जिस 30 साल के लिए आप पिछली सरकार पर आरोप लगाते हैं, आज आपके हाथ में सत्ता है, जिन माँगों की बात आप विरोध में रह कर किया करते थे उनको आप पूरा कर सकते हैं लेकिन इस पहलू को आप पहली सरकार की तरह से छोड़ते जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

मैं चन्द सुझाव न्याय व्यवस्था के बारे में देना चाहता हूं। आपने अप्रैल, 1974 के अन्दर यह किया कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करें लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि वह पूर्ण रूपेण अलग नहीं है। आज भी दफा 145, 107/117 के जो मुकदमे हैं उनको आपके एस0 डी0 एम0 तय करते हैं जो न्याय नहीं दे पाते हैं। अगर न्याय की बात थी तो इनको मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट्स को तय करना चाहिए था। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। फिर जो हमारी ग्रामीण जनता है जिसके मुख्य रूप से खेती तथा काश्तकारी से सम्बन्धित मुकदमे होते है उनको एम0 डी0 ओज0 तय करते हैं और पिछले शासन में यह आदेश दिए गए थे, फिर आज आप विकेन्द्रीकरण की नीति पर चलें यह आपकी नीति है और उस विकेन्द्रीकरण की नीति के आधार पर यह तय कर दिया गया था कि एस0 डी0 ओज0 दो दिन तहसील हेडक्वार्टर्स पर रहेंगे और बाकी समय जिला हेडक्वार्टर्स पर रहेंगे। आज हम यह देखते हैं कि इन माल के मुकदमों के सम्बन्ध में पहले जुडीशियल आफिसर्स थे उनको समाप्त कर दिया गया है और इसका अंजाम यह हुआ है कि माल के मुकदमे 5, 6 साल से पड़े हुए हैं और उन पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है। देहात की 70 फीसदी जनता का सम्बन्ध खेती काश्तकारी से है। उनके मुकदमें वहाँ किसी तरह से निपट नहीं पा रहे है। मेरा सुझाव है कि आप इस विषय पर जुडिशियल आफिसर्स निर्धारित करें। अगर जुडिशियल आफिसर्स जो नियुक्त होते है तो जो मुकदमें 5-6 साल से तय नहीं हो रहे है वह तय हो जायेंगे इससे आप न्याय में क्रान्तिकारी कदम जोड़ सकते हैं।

दूसरी बात आपने अपने प्रतिवेदन में और अपने छोटे-छोटे से भाषण में भी कही है कि आपने एडवोकेट्स की भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं और जो उनकी

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

असामयिक मृत्यु हो जाने पर 5 हजार रुपए की धनराशि थी उसको बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है। यह अच्छी बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वकील समुदाय, अधिवक्ता समुदाय जिसको आप क्रीम आफ दि सोसाइटी कहते हैं, जिसको आफिसर आफ दि कोर्ट कहते हैं उनके बैठने के लिए कोई सुविधा आपने प्रदान की है? मैं कहना चाहता हूं कि एक गरीब मजदूर या किसान जो खेत में काम करता है वह भी 11 बजते हैं तो अपने घर को चला आता है और 4 बजते हैं तो खेत में काम करने के लिए जाता है लेकिन यह एडवोकेट जब 11 बजते हैं तो कोर्ट में जाते हैं और 4 बजने पर घर को आते हैं उनके लिए आपने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की है ।

आप लगभग दो सौ न्यायालय खोलने जा रहे हैं। 60 न्यायाधीशों के लिए बंगले बना रहे हैं और कुछ कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण कर रहे हैं लेकिन उन एडवोकेट्स के लिए जिनका सहयोग प्राप्त कर आप आज यहाँ आए हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। मन्त्री जी आप नोट करें आपने बिल्डिगों के लिए 6 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है और आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। हमारे यहां शाहजहाँपुर में 25 लाख की एक योजना भेजी है जिसके अन्दर पंचमंजिली बिल्डिग बनेगी। (व्यवधान) इस पंचमंजिली बिल्डिग बनाने के लिए आपने शाहजहाँपुर की बार एसोसिएशन की जो बिल्डिग है, जहाँ पर एडवोकेट बैठते हैं, उसको आप गिरवा देंगे। उनके लिए आपने कह दिया कि कोई व्यवस्था नहीं होगी आप मुसाफिर बन कर सड़कों में घूमिए और सड़कों के किनारों में बैठिए और वहाँ पर पेटीशन्स लिखिए। जो समुदाय लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जगह बैठता था उसको आपने गिराने का निर्णय लिया है यह कोई क्रान्तिकारी बात नही है। यह कोई जनता के हित की बात नहीं है। विकेन्द्रीकरण की बात आप करते हैं जो मैजिस्ट्रेट तहसीलों में निर्णय लेते हैं वह आवास की सुविधा न होने के कारण वहाँ नहीं रह पाते हैं उनके लिए तहसील हेडक्वार्टर पर क्वार्टर बनाइए जहाँ एस0 डी0 ओज0 रुक सकें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका कहना गलत होगा।

मुझे एक बात यह भी कहनी है कि आपने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए एक योजना बनाई है, "फ्री लीगल एडवाइस की" उसमें आप कहते हैं कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है पिछड़े वर्ग के लिए और हरिजनों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं जो आप 30 साल के इतिहास के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। उसमें आपने कौन सा कदम उठा दिया है। मैं अपने जनपद की बात नहीं करता उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों की यही स्थिति है। इसमें आपने कितने हरिजन और पिछड़े वर्ग के वकील रखे हैं। आप कहते हैं कि बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और उनको फ्री लीगल एड देंगें जिस पिछड़े वर्ग ने आपको 54 प्रतिशत वोट दिया है उनके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। आज हरिजन वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए आपसे कोई मतलब नहीं है, उनका आप पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। आपने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी के विषय में आपने कहा है, उसके उत्थान की बात कही है, लेकिन मुख्य बात यह है कि माननीय मन्त्री जी जब तक ला

रिपोर्टिंग और अन्य पुस्तकें आप हिन्दी में नहीं छपवा देते हैं, तब तक हिन्दी का न्यायालयों में सही रूप से समावेश नहीं हो सकता है। एक तो अब भी अदालतों में अधिकारियों और मैजिस्ट्रेटों के अन्दर अंग्रेजी का फैशन बना हुआ है––कुछ भी हो वह अंग्रेजी में फैसला देंगे। मामूली से मैजिस्ट्रेट और मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट तक आज अंग्रेजी में मुकदमा करते हैं, जमानत के फैसले तक अंग्रेजी में देते हैं, सारे मुकदमें अंग्रेजी में चलाते हैं। इसलिए जब तक आप ला-रिपोर्टिंग और आवश्यक लिटरेचर की हिन्दी में व्यवस्था नहीं करवा देते, तब तक आपकी यह कामना पूरी होने वाली नहीं है।

एक प्रश्न एन्टीसेपेटरी बेल का था। कुछ समय पूर्व माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उसका अब तक कुछ नहीं हुआ। यह सही है कि इसका फायदा कुछ ला-ब्रेकर्स, हार्डेन्ड क्रिमिनल्स और गुन्डे लोग न उठाने पावें, वहाँ आपको यह भी मानना पड़ेगा कि बहुत से समाज के विभिन्न वर्ग के ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको झूठा फंसा दिया जाता है, जो राजनीतिक मनमुटाव के शिकार हो जाते हैं। इसे देखते हुए, आप इस बारे में अवश्य कुछ निर्णय लें, जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके और जैसी व्यवस्था अन्य प्रदेशों में विद्यमान है वैसी ही यहाँ भी हो।

लम्बित मुकदमों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। 1 लाख 20 हजार मुकदमें हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में दीवानी और फौजदारी के कोई 6 लाख केस पेंडिंग हैं। इनके बारे में आपकी नीति अभी औचित्यपूर्ण नहीं है। हाई कोर्ट में 47 जजों में 40 स्थायी तथा 7 पद अतिरिक्त न्यायधीशों के हैं, मेरी निश्चित जानकारी है कि 10 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। यह हो जाए, तो पेंडिंग मुकदमों की संख्या निश्चय ही कम हो जाए। लेकिन यह आप नहीं कर रहे हैं। इसमें प्रक्रिया भी कुछ कठिन है। आप पुराने 30 साल के काँग्रेसी शासन को कोस कर केवल अपनी कमी को छिपाना चाहते हैं। आज जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया जिस तरह की है मुख्य मन्त्री के यहाँ के जजों के नाम पर प्रपोजल मुख्य न्यायाधीश के पास जाता है और फिर उनके यहाँ से फिर मुख्य मन्त्री के पास जाता है, उसके बाद वहाँ से फिर वह माननीय राज्यपाल के पास जाता है, वह देखते हैं, तो इस तरह से यह बड़ी लम्बी चौड़ी प्रक्रिया है और बड़ा इसमें समय लगता है। किन्तु आज आपके पास सत्ता है, क्यों नहीं उसका आप इस्तेमाल करते हैं और जो 10 स्थान रिक्त हैं उनकी पूर्ति करते हैं, जिससे लम्बित पड़े मुकदमों पर फैसले हो सकें।

यह कोई नई बात नहीं हैं, जिस जगह पर देखिए यही मिलेगा, रजिस्ट्रार का जो विभाग हैं, सेल डीड आदि जहाँ लिखे जाते हैं, जिनके रजिस्ट्रार आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इसके बारे में कौन नहीं जानता है, उत्तर प्रदेश में कोई जनपद ऐसा नहीं हैं, जहाँ यह न होता हो, सेल डीड में जितना रुपया लिखा जाता है, उसका एक निश्चित प्रतिशत असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नाजायज तौर पर लेता है। ऊंचे अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट जजेज रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, क्या इस भ्रष्टाचार की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता? आपने जब आप विरोध पक्ष में थे, अवश्य सोचा होगा कि इसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, लेकिन सत्ता में आने पर सब भूल गए। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट्स की संख्या बढ़ाने मात्र से काम नहीं चलेगा। इस चल रहे भ्रष्टाचार से आप आँख मूद रहे हैं, तो वह उसी तरह से है, जैसे आज

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

मंहगाई मुह फैलाए खड़ी हुई है मगर फिर भी आपकी आँखें बन्द हैं। भ्रष्टाचार की समस्या उससे कम गम्भीर नहीं है। तीस साल को कोसने से आप बच नहीं जायेंगे। अगर देश और प्रदेश की आस्था आप में नहीं रहती है तो आपका लोकतन्त्र सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अस्थाना साहब, जो लायन्स क्लब के प्रेसीडेन्ट भी थे, दावतें खाते फिरते हैं। एक तरफ न्यायपालिका के लिए कहा जाता है कि न्यायाधीश वह होता है जैसे हमारे यहाँ विधवा होती है। अगर वह किसी से भी बातचीत करती है तो उसके चरित्र पर जरूर शक किया जाता है। उसी प्रकार का चरित्र होता है न्यायाधीश का। लेकिन इसके बरखिलाफ वह दावतें खाते हैं। मन्त्री जी ने कह दिया है कि वह भी इन्सान हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को रोकना चाहिए कि वह दावतों में न जाएं। जरूरत नहीं है कि इस तरह से दावतें खाएं और इनागरेशन करें।

आपने आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के अप्वाइंन्मेंट्स किए हैं। यह मैजिस्ट्रेट स्थानीय हैं, जिलों के अन्दर स्थानीय लोगों से, स्थानीय राजनीति से प्रभावित हुए बिना नहीं बच पाते हैं। इसलिए कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें जरूर आचार संहिता कायम कीजिये जिससे न्याय मिल सकें। अधिकाँश लोग कहते हैं कि फलाँ आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पिता से मिल कर, दोस्तों से मिल कर अपने माफिक लोग फैसला करा लेते हैं। लोगों को इन्साफ नहीं मिलता है। इस तरफ ध्यान दिया जाय।

आवश्यक चीजों में इतनी मिलावट होती है। उम्र कैद की सजा आपने कर दी है। लेकिन वास्तव में कभी भी किसी को उम्र कैद की सजा नहीं मिलती। उनको हजार पाँच सौ रुपया जुरमाना करके छोड़ दिया जाता है। इससे आपका प्रोग्राम सफल नहीं हो पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

मैं थोड़ी सी बातें जेल के विषय में कह दूं। माननीय मन्त्री जी, आपके समाज का एक वर्ग ऐसा है जो जेल में रहने के बाद फिर उसी समज में आ जाता है। आप भी जेल में रह चुके हैं। आपको ताजा तजुरबा होगा। हमारे कुछ नेता आजादी के जमाने में जेल में रहे थे, कुछ लोग उसके बाद भी जेल में रहे हैं। मुझे भी थोड़ा सा जेल का तजुरबा है। (व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर कुछ कहने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शान्ति बनाए रखेंगे। यह टोकाटोकी ठीक नहीं।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

भोजन के विषय में जो आपने बात कही है, मेरी निश्चित रूप से जानकारी है कि आपके प्रदेश के अन्दर शायद ही कोई जेल हो जहाँ पर भोजन का इन्तजाम करने वाला

चोरी न करता हों, जिसमें बड़े-बड़े सुपरिन्टेंडेंट इसमें शरीक हैं। (व्यवधान) बात सुनिए। मेरा कहना यह है कि इस विषय में जेल के जो गेट्स हैं वहां जिस प्रकार से रेलवे में लोको वगैरह में गेट होते हैं और वहां पर इस तरह से चेकिंग होती है कि कोई भी सामान चोरी नहीं जा सकता है। मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार से जेलों में भी गेट बनवाए जायं और पुलिस का पहरा रखा जाय तो जो चोरी जेल में होती है वह न होती। यह कदम चोरियों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है।

मान्यवर, वहां पर उद्योगों की बात कही गयी है, इसके विषय में भी मैं कहना चाहता हूं कि वहां निगम बनाया जाय जिससे लोगों का इन्टरेस्ट बढ़ जायगा और जो उद्योग जेल में होते हैं उनकी उन्नति होगी। कैदी सही रूप में काम नहीं कर पाते हैं जिससे आपकी नीति सफल नहीं हो पा रही है। जेल में जो कृषि फार्म हैं वहां पर सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

एक मिनट और दे दीजिए मैं समाप्त कर रहा हूं। एक बात का और मैं माननीय कारागार मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर जो शौचालय हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां पर इतना सफोकेशन रहता है कि वहां का वातावरण बहुत दूषित रहता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त। माननीय नरेन्द्र सिंह।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गत 30 वर्षों से जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है, विश्व में न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय देने के कारण अपना विशेष स्थान रखती है। यह ठीक है कि आपात्कालीन समय में कांग्रेस ने न्यायपालिका का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने पुनः उसे उसके गौरवपूर्ण स्थान पर बैठा दिया है। माननीय मन्त्री जी ने अभी इस सम्बन्ध में कुछ कहा, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं। श्रीमन्, भारत एक गरीब देश है और विशेष रूप से हमारा प्रदेश जो है वह बहुत गरीब है। हमारे उत्तर प्रदेश में जिस न्याय की जरूरत है उसमें विशेष रूप से यह आवश्यक है कि वह सस्ता हो और शीघ्र होना चाहिए तथा निष्पक्ष होना चाहिए। इसके साथ ही साथ न्याय जो हो वह स्वतन्त्र हो। मैंने बड़े ध्यान पूर्वक माननीय न्याय मन्त्री जी के भाषण को सुना लेकिन इस ओर उनका ध्यान नहीं गया है कि न्याय किस प्रकार से सस्ता हो। आप देखें कि कोर्ट फीस बराबर बढ़ रही है। अगर एडजर्नमेंट के लिए डेढ़ रुपया का टिकट लगता था उसके स्थान पर 3 रुपया का कर दिया गया है और जो कमिश्नर्स कोर्ट्स और हैं वहां पर 3 रुपए का टिकट लगाया जाता था उसके स्थान पर 6 रुपया का कर दिया गया है। श्रीमन्, इस प्रकार से माननीय सदस्य देखेंगे कि लिटीगेन्ट्स इन्टरेस्ट इज सुप्रीम और इसे प्रत्येक न्यायालय में लगाया हुआ है।

[श्री नरेन्द्र सिंह]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता को सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने के लिए विशेष रूप से इस ओर ध्यान देना होगा।

दूसरी बात मान्यवर, यह है कि जैसा कि मन्त्री जी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं मैं उनके भाषण का समर्थन करता हूं लेकिन जो प्रोसीजर आज के न्यायालयों में चल रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1892 में लागू किया गया था और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में लागू किया गया और उसके बाद इनमें अमेन्डमेन्ट्स भी किये गये। लेकिन आजकल जो प्रोसीजर है उसमें भी 4, 4, 5, 5 व 6, 6 वर्ष लग जाते हैं, जब तक इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किए जाते, जनता को सस्ता न्याय नहीं मिलने वाला है।

जैसा कि हमारे न्याय मन्त्री जी ने अभी कहा कि हम न्याय का विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार कई जिलों में न्यायालयों की स्थापना करने जा रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि बीसियों वर्ष हो गए पश्चिमी जिलों की बड़ी जबर्दस्त मांग है और आज वहां की जनता इस जनता सरकार से आशा लगाए बैठी है कि मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जायगी। इसके लिए कई बार इस माननीय सदन में भी चर्चा उठी, लेकिन शासन के कानों पर जूं नहीं रेंगी। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि जनता की इस आशा को पूरा करने के लिए मेरठ में अविलम्ब हाई कोर्ट की एक बैंच की स्थापना की जायगी। हमारे कांग्रेसी भाई उधर बैठे हैं, उन्होंने अपने समय में बेंच के पक्ष में निर्णय लिया, लेकिन जनता सरकार से इतना भी नहीं हुआ कि इस सम्बन्ध में कोई सन्तोष-जनक वक्तव्य दिया जा सके।

हमारे पश्चिमी जिलों के वकीलों का एक प्रतिनिधि मण्डल केन्द्र सरकार के पास गया था और यह बात मालूम होने पर हमें बहुत दुख हुआ कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोई फरदर बेंच मेरठ में बना दी जायगी तो इससे हाई कोर्ट का स्तर गिर जायगा, मेरी समझ में मान्यवर, यह कोई दलील नहीं है। श्रीमन्, ब्रिटिश काल में बोर्ड आफ रेवेन्यू की एक बेंच समय-समय पर मेरठ में जा करके वहां की अपीलें सुनती थी लेकिन तीस वर्षों के बाद आज भी हजारों लोगों को अपनी अपीलों के लिए इलाहाबाद और लखनऊ बेंचों पर आना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि लिटीगेंट्स इन्टरेस्ट इज सुप्रीम। इसलिए इस बारे में व्यवस्था ठीक करना चाहिए। शासन ने भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया कि एक बेंच की स्थापना मेरठ में भी की जा सके। कितने ही लोग हजारों रुपया खर्च करके लखनऊ और इलाहाबाद जाते हैं। लेकिन एक हाई कोर्ट की बेंच मेरठ नहीं जा सकती। मेरी समझ में इसमें स्तर नीचा होने की कोई बात नहीं है। सालों हो जाते हैं उनकी अपीलों की कोई सुनवाई नहीं हो पाती। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि पश्चिमी जिलों के लिए मेरठ में अविलम्ब हाई कोर्ट की और बोर्ड आफ रेवेन्यू की एक बेंच की स्थापना निश्चित रूप से की जाय।

इन शब्दों के साथ में अपने सुझावों को पुनः दोहराना चाहता हूं कि एक तो कोर्ट-फीस में बहुत कमी की जाय, दूसरे गरीब जनता के हितों की रक्षा के लिए लिटीगेंट्स क्लाजेज में दोनों प्रोसीजरों में आमूल परिवर्तन किया जाय और तीसरे पश्चिमी जिलों के लिए मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच तथा बोर्ड आफ रेवेन्यू की स्थापना तुरन्त की जाय।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज बहुत वर्षों के बाद इस प्रकार का बजट सुनने को मिला। इसमें न्याय पद्धति में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है और कारागारों में कुछ सुधार करने का प्रस्ताव लाये हैं। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 30 वर्षों से लगातार उन्हें कुर्सी पर बैठने का समय मिला, सुधार करने के लिए पूरा मौका मिला, लेकिन मुझे भी अभी जेल में रहने का मौका मिला, अंग्रेजी पराधीनता के युग में जो उनकी हालत थी अब कांग्रेसी शासन में उससे बदतर कर दी गयी है और ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं जो जेल के अन्दर न होता हो। श्रीमान् जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है जेलों में मिलाई के समय में। एक रेट दो रुपए का खुला हुआ है। जब तक जेलर के पास दो रुपए पहुंच नहीं जाते तब तक मिलाई में अड़चन डाली जाती हैं। गेट के पास दलाल लगे रहते हैं जो रुपया इकट्ठा करते हैं और रिश्वतें लेते हैं और रुपया लेकर उनकी मिलाई स्वीकार करते हैं।

जहां तक जेल के सामान की बात है, जेल का सामान जेल में बिकता है अधिक दामों पर। जेल की दाल, आटा, मसाले वगैरह बैरकों में दिया जाता है वह बाजार से सस्ता होता हैं। इसलिए मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता था कि जेलों में होने वाली इस चोरी और बाजार को बन्द कर दें। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बेड़ियां डालने और बेड़ियां काटने में होता है। जब मैं जेल में था तो मेरे साथ एक जयगुरु देव जी बाबाजी थे। मैंने देखा कि एक दिन वह पूजा कर रहे थे, सुबह का समय था और जेलर साहब ने किसी को भेजा उन्हें बुलाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं पूजा कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद आऊंगा। जेलर का हुक्म हुआ कि चार सिपाही पकड़ कर ले आओ, उन्होंने कहा कि जेल का भगवान मैं हूं, यहां मेरी पूजा होती है। बाबाजी को पकड़ कर ले गये। जब उनसे जेलर ने पूछा कि क्यों नहीं आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि यहां मेरी पूजा होती है, डाल दो इनके बेड़ियां और उनके बेड़ियां डाल दी गयीं। ऐसे रोज अनेकों बार नाटक होते थे। एक बार बेड़ी डाली जाती थी, फिर रुपया लेकर काटी जाती थी। इस प्रकार यह भ्रष्टाचार समाप्त करने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

इसी के साथ ही श्रीमान् जी, जेलों में जो सबसे बड़ी यह कल्पना हम करते थे कि जेल में बन्दियों का सुधार होगा और जो वहाँ से बन्दी निकलेंगे वह उद्यमी बनकर योग्य बनकर निकलेंगे, उनका मस्तिष्क बदला हुआ आयेगा, समाज के अच्छे व्यक्ति बनकर रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज स्थिति यह है कि जेल में भला आदमी पहुंच जाय और कुछ दिन रहकर आवे तो अपराधी बनकर आता है। वहाँ की व्यवस्था, रहने-सहने का ढंग, दुर्व्यवस्था को देख कर मन में बड़ा दुख होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हर जेल म एक मारल टीचर रहता है। मुझे मौका मिला जेल में। मैंने जेलर साहब से पूछा कि यह कैसा मारल टीचर है जो पान लाकर और जेलर को पान खिलाकर चला जाता है। मैंने नोट किया कि एक महीने में एक बार भी उसने किसी बैरक में जाकर मारल टीचिंग कुछ नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरीशचन्द्र तिवारी]

की। पहले हम देखते थे कि जेलों में निवाड़ बनती थी, पट्टा बनता था, और लघु उद्योग सिखाये जाते थे, आज कोई उद्योग नहीं है। इसलिए आज जेलों में बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। वहाँ ऐसे सुधार की हम कल्पना करते हैं कि बिगड़ा हुआ व्यक्ति सदाचारी बनकर समाज में लौटेगा, ऐसे कुटीर उद्योग सीख कर आवेगा ताकि बाहर आकर वह अपना कारोबार चला सके, अपना जीवन-यापन कर सके। यह कल्पना 30 साल के काँग्रेसी शासन में समाप्त हो गयी। आज उस व्यवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

जहाँ तक न्याय व्यवस्था की बात है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी भ्रष्टाचार की है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमने यह ऐलान किया है कि स्वच्छ प्रशासन देंगे। हमने चुनाव के समय भी यह घोषणा की है कि समाज से भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और आज ये कचहरियाँ भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गयी है। इसलिए सब से पहला कदम जिसकी आवश्यकता है वह यह है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करें। कौन नहीं जानता कि वहाँ तारीख बढ़ाने के लिए रुपया लिया जाता है। और अब तो मुकदमें के जजमेन्ट की दलाली भी होने लगी है। इसलिए जल्द से जल्द कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आम जनता यह समझ सके कि हमें न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचार कम होगा।

एक अभियोजक विभाग है ए0पी0पी0 और पी0पी0का जो सरकारी मुकदमों की पैरवी करते हैं। अप्रैल, 1974 में दण्ड प्रक्रिया में जो परिवर्तन किया गया था कि उन्हें पुलिस अधिकारियों से मुक्त किया जायगा और जिलाधिकारियों के अन्तर्गत रख कर निष्पक्ष रूप से पैरवी करने का अवसर दिया जायगा लेकिन आज भी ए0पी0पी0 और पी0पी0 पुलिस के चंगुल में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यथाशीघ्र जहाँ और परिवर्तन किए जायं वहाँ इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ए0पी0पी0 और पी0पी0 का जो अभियोजन विभाग है वह पुलिस विभाग से मुक्त किया जाय ताकि वह निष्पक्ष रूप से सरकारी मुकदमों की पैरवी कर सकें।

इसके अलावा जी0आर0पी0 में 4–5 जिलों के लिए एक ही पी0पी0 रखा जाता है, जो रात-दिन दौरा कर के एक जिले से दूसरे जिले में भागता फिरता है, उसके ठहरने की जगह नहीं होती, वह देर से पहुंचता है और मुकदमें की ठीक से पैरवी नहीं हो पाती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिले के पी0पी0 के साथ ही एक ए0पी0पी0 वहाँ डिप्यूट किया जाय। जी0आर0पी0 में अलग ए0पी0पी0 रखने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मन्त्री जी इसमें भी संशोधन करने की कृपा करें।

श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)—

मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं माननीय न्याय मन्त्री जी से।

श्री अधिष्ठाता—

शास्त्री जी, जब न्याय मन्त्री जी बोलें तब आपको प्रश्नों की मैं अनुमति दूगा। अभी आप बैठें।

श्री देव बहादुर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि न्याय मन्त्री जी के अनुदान पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में दो शब्द कहने का आपने मुझे अवसर दिया। मान्यवर,

न्यायालयों की मान्यता हो, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े जहाँ जनतन्त्र है वहाँ इसकी बड़ी आवश्यकता है। जहाँ कानून का राज है वहाँ आवश्यकता इस बात की है कि न्यायालयों की मान्यता बढ़े, उनमें लोगों का विश्वास हो तब जाकर जनतन्त्र अच्छी तरह से चल सकता है। इस कटौती का अगर हम विवेचन करें वर्तमान स्थिति में, तो ऐसा लगता है कि जहाँ यह आवश्यक है कि न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास हो, उसकी प्रतिष्ठा हो और कोई बेगुनाह आदमी को न्यायालय में सजा न मिले, वहाँ यह भी आवश्यक है कि गुनहगार आदमी किसी तरह से बच न सके। यह तभी सम्भव है जब न्यायपालिका की कार्यविधि में किसी का हस्तक्षेप न हो। लेकिन जनता पार्टी की सरकार जब आई तो पहला काम उसने यह किया कि जार्ज फर्नांडिस का मुकदमा न्यायालय से वापस लेकर जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठा दिया। यह उनको नहीं करना चाहिए था। इनको न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए था कि न्यायपालिका जार्ज फर्नांडीस के साथ न्याय करेगी। आखिर क्यों नहीं यकीन किया गया न्याय पालिका पर ?

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य से कहूंगा कि एक नियम बना हुआ है कि जो माननीय सदस्य यहाँ पर सदन में न हों, उनका नाम न लिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह––

मान्यवर, जनता पार्टी की हुकूमत जब आई, इस देश, प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है। मान्यवर, ये जनता पार्टी के लोग चुनाव से पहले यह कहते थे कि हम मीसा खत्म करेंगे, डी0आई0आर0 खत्म करेंगे और इतना प्रभावी कानून बनावेंगे, जिससे समाज विरोधी तत्व स्वतः भयभीत होंगे और शान्ति व्यवस्था कायम होगी। कौन सा कानून इन्होंने बनाया है, जिससे कि समाज में शान्ति स्थापित होगी ? आज मंहगाई, तस्करी, ब्लैक मार्केटिंग आदि बढ़ रही है। कोई कानून इनके पास है कि जिससे ये यह रोक सकें। यह तो मान्यवर, नीति की बात कहता हूं, सुझाव भी दूगा। एक बात और कहूंगा। जहाँ-जहाँ जिस जिले में नया-नया सब डिवीजन खुला है, परगनाधिकारी जहाँ पर बनाये गये हैं, वहाँ पर लाक-अप अभी तक नहीं बने हैं। जहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत स्थापित की गयी है, वहाँ पर लाक-अप निश्चित रूप से स्थापित किये जायं। मैं नैनीताल की बात कहता हूं। रूद्रपुर में एस0डी0एम0 का कार्यालय खोला गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कार्यालय अभी तक नहीं खोला गया है। वहाँ के निवासियों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सम्बन्धित मुकदमों में काशीपुर जाना पड़ता है, दूर-दूर जाना पड़ता है। वहाँ पर रुद्रपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत खोलने की कृपा करें तो अच्छा होगा। आपको न्याय सस्ता करना चाहिए था। आपने कोर्ट-फीस बढ़ा दी, तो न्याय सस्ता हो ही नहीं सकता है। जिस तरह आप यह भी कहते हैं कि हम गरीबों को मुफ्त में वकीलों की सहायता देगें। एक मुफ्त रूप में वकील रख देने से सहायता नहीं होगी। ऐसे–ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जेब में पैसा नहीं है, जो न्यायालय तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था करिए। उनके आने-जाने के लिए, नकल के लिए, जब तक यह सब व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक वह अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते और न न्याय पा सकते है।

[श्री देव बहादुर सिंह]

मान्यवर, आप भ्रष्टाचार न्यायालय से दूर करने की बात करते हैं। मैं सुझाव दूंगा। न्यायालय में भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सबसे अधिक हाथ किसका है ? वकीलों का है। वह कहते हैं 10 रुपया दो, तारीख दूसरी ले लें। 20 रुपया दो, जल्दी से नकल मिल जाय। मान्यवर, मैं तो यह कहता हूं कि वकीलों के लिए एक आचार संहिता की रचना करें। भ्रष्टाचार अगर मिटाना चाहते हैं। तो आचार संहिता बनायें। अगर वह आचार संहिता के विरुद्ध कोई काम करते हैं, तो आप उनका लाइसेन्स खत्म कर सकते हैं। जिसको लाइसेन्स दो, उसे आचार संहिता के अनुसार लाइसेन्स दें। मान्यवर, जब चुनाव हो रहा था उस समय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया था कि एटीसेपेटरी बेल लागू की जायगी। इन्हें यह नहीं मालूम था कि ये प्रशासन में आयगें, नहीं तो न कहते। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि उस समय आपने क्यों नहीं सोचा कि एन्टीसिपेटरी बेल समाप्त कर देने के बाद कोई भी व्यक्ति जो समाज विरोधी है, वह भय मुक्त हो जायगा और स्वतन्त्र रूप से जितना अपराध है वह करता रहेगा, कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी है कि बेगुनाह पकड़े जाते हैं वह भी इससे बच नहीं पाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पूर्व घोषित नीति है उसके अनुसार एन्टीसिपेटरी बेल को पुनः लागू करें तब मैं समझूंगा कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं रह गया है।

जेलों के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी बरेली जेल में रहे हैं। अब जब वह मन्त्री हो गये हैं उनके जो वहाँ के साथी हैं वह उत्सुक थे मन्त्री जी को बुलाया था स्वागत के लिए। लेकिन मन्त्री जी वहाँ नहीं गये। मथुरा गये थे। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी बरेली जाते और वहाँ के कैदियों को जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करते और अब वहाँ क्या सुधार हुआ है इसकी पहले से तुलना करते।

मान्यवर, जेलों में भोजन की बड़ी अव्यवस्था है। जो जेल के मैनुअल में है वह किसी कैदी को नहीं मिलता है। जो विशेष कैदी हैं, जैसे मन्त्री जी विशेष कैदी होके जेल में गये थे तो उनको आमलेट, टोस्ट, काफी, रजाई भी मिलता होगा। वह जेल में रहे तो लेकिन उनकी कठिनाइयां नहीं समझ पाये। पहले क्लास में जो जायगा उसको जेलों की जो वास्तविक स्थिति है वह नहीं मालूम होगी। तो इस तरफ ध्यान दिया जाय। मिलाई के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। बिना पैसे दिए मिलाई नहीं होती है। तो यह जो कठिनाइयां हैं इनको दूर करने की कृपा करें।

मैं सम्पूर्णानन्द जेल कैम्प जो नैनीताल में है उस सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। कैदी जेल में जाते हैं, अब नीति बदल गयी है। अब रिफार्मेटरी, सुधार करने की नीति है। जो 10-15 साल जेलों में रह जाते हैं उनका जो मूल्यवान जीवन है वह समाप्त हो जाता है और जब वह लौटकर घर जाते हैं तो उनको घर उजड़ा हुआ मिलता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब वह घर जायें तो वह अपने परिवार को फिर पायें। सम्पूर्णानन्द कैम्प में लोगों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिए गए हैं। यह कांग्रेस सरकार में हुआ है। वहां भैंस पालने के लिए और छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगाने के लिए ऋण दिया गया है। इसका नतीजा यह है कि जिनको ऋण दिये गये हैं उनसे शतप्रतिशत वसूली हो गयी है। कितने ही लोगों ने घरों को पैसा भेजा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस योजना को अन्य जेलों में लागू करने की व्यवस्था

करें तो इससे बड़ा फायदा होगा, जो कैदी जेल में हैं वह इस तरह से अपने घर को कुछ भेज सकेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, जेलों में जो अस्पताल हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब है। मन्त्री जी सदन को जेलों की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जेलों में डाक्टर जाना नहीं चाहते। जिस डाक्टर को आप भेजते हैं लगता है कुछ सजा उसे दी जा रही है। इसलिए कुछ प्रलोभन दें कि डाक्टर वहां जाना पसन्द करें और कैदियों के इलाज की व्यवस्था हो सके। जो दवाएं वहां दी जाती हैं उनका उपयोग नहीं होता है वह मार्केट में बिक जाती हैं। उसके बदले खराब दवाएं दी जाती हैं। जो दूध दिया जाता है उसमें 1 फीसदी दूध और 99 फीसदी पानी होता है। इसी तरह से फलों की स्थिति है। मैं चाहता हूं कि आप एक उड़न दस्ता बनाएं जो भोजन, दवा इन सबकी जांच बिना किसी कार्यक्रम के करे तो बड़ा अच्छा होगा। मान्यवर, विभाग के जो कर्मचारी हैं, मैं सुझाव देना चाहता हूं उस सम्बन्ध में। आपके यहां बड़ी मनमानी है। प्रोन्नति में बड़ी मनमानी है। जो प्रोन्नतियां हुई हैं उनकी जांच करायें। ऐसे लोगों को प्रोन्नत किया गया है जिनका कैरेक्टर रोल लाल स्याही से भरा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री देव बहादुर सिंह—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन में पहली पहली बार जो बोलने का मौका आपने दिया है मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। हमारे न्याय मन्त्री महोदय ने न्याय प्रशासन और कारागार से सम्बन्धित जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं मन्त्री महोदय को कुछ अपने सुझाव देना चाहूंगा जिनसे बजट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उनसे भ्रष्टाचार को दूर करने में और वादकारियों को काफी सहूलियतें होंगी। सबसे पहला मेरा सुझाव यह है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट नियुक्ति हुए है वह समाप्त कर दिये जायं। यह स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट कांग्रेसी शासन काल में नियुक्त किये गये थे। महज ओब्लाइज करने की दृष्टि से। इनको रिटायर होने के बाद में एप्वाइन्ट किया गया। यह राजनीतिक एप्वाइन्टमेन्ट किए गए ताकि इलेक्शन जीतने में उनसे मदद मिलती रहे। मैं न्याय मन्त्री जी से कहूंगा कि इन रिटायर्ड आफिसर को स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट

[श्री नरेश चन्द्र]

बनाने की क्या आवश्यकता है जबकि मुन्सिफ पब्लिक सर्विस कमीशन से मिल जाते हैं। इस समय 7 लाख क्रिमिनल केसेज उत्तर प्रदेश में पेन्डिंग हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी को और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस बात का ज्ञापन दिया जा चुका है कि 7 लाख जो पेन्डिंग केसेज हैं उनके निपटाने का जल्द से जल्द प्राविधान कोई किया जाय। 1975 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने जो मुन्सिफ की परीक्षा ली थी उसमें पिछले जितने रिकार्ड थे उनको अभ्यार्थियों ने समाप्त कर दिया था। लेकिन उसमें से काफी अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया। इसका कारण यह बताया गया कि 53 प्रतिशत से इन्टरव्यू में नम्बर जिनको कम मिले हैं उनको नहीं लिया जाएगा। भले ही लिखित परीक्षा में कितने ही नम्बर पाये हों। इसलिये मेरा सुझाव है कि 1970-1975 और 1968 इन 3 सालों में जितने भी लोग मुन्सिफ परीक्षा में क्वालीफाई हुए हैं और जिनके अच्छे नम्बर हों उन सबको ले लिया जाय और तत्काल स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट जो हैं उनको समाप्त करने का प्राविधान किया जाय।

मान्यवर, दूसरा सुझाव यह है कि हमारे कृषक भाई जो कि देहात में रहते हैं और उनके वेलफेयर की हम दोहाई देते हैं उनकी जमीनों के बारे में न्याय किस प्रकार से होता है, उसमें श्रीमन्, देखें कि एस0डी0एम0 जो हैं वह माल के मुकदमें तथा और तमाम मुकदमें करते हैं जबकि उनके पास मुकदमें करने का कोई समय नहीं रहता है। उनका सारा कार्यकाल ऐसे ही समाप्त होता है जैसे कि कहीं उनकी ड्यूटी मन्त्री महोदय के वहां लगती है, कभी बाढ़ पीड़ितों में सहायता के लिए जाना पड़ता है। महीने में 2-4 दिन वह बैठते हैं। इसलिए सारी पब्लिक जो सुबह आती है वह साढ़े चार बजे शाम को केवल पेशकार को पैसे देकर और तारीख लेकर वापस घर को लौट जाती है। उसके बाद जब 4-5 साल हो जाते हैं तो एडीशनल कमिश्नर के वहां अपील होती है और वहां यह सारी अपीलें समाप्त कर दी जाती हैं। इसलिए एडीशनल कमिश्नर के बजाय डिस्ट्रिक्ट जज को अपीलें सुनने का मौका दिया जाय क्योंकि एडीशनल कमिश्नर भी माल के मुकदमें में कोई न्याय नहीं करते हैं। अधिकांश देखा गया है कि अन्य विभागों के अधिकारियों को एडीशनल कमिश्नर बना दिया जाता है जिससे वादकारियों के साथ अन्याय, अपीलें सुनकर किया जाता है। मेरा तीसरा निवेदन यह है कि न्याय के विकेन्द्रीकरण की बात कही गयी है। यह कहा गया है कि मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट तहसील हेडक्वार्टर पर भेजे जायें। कागज पर तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर इस तरह से न्याय का विकेन्द्रीकरण किया जायगा तो इससे केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और वादकारियों के साथ कतई न्याय नहीं हो पाएगा। जब मुन्सिफ तहसील हेडक्वार्टर पर बैठेंगे तो वादकारी अच्छा वकील हेडक्वार्टर से ले जाने में समर्थ नहीं होगा। जो अच्छा वकील है वह अपनी आमदनी के मुताबिक 100 रुपया रोज या 50 रुपया रोज मेहनताना लेता है। वह जाता है, डिप्टी साहब के यहां तारीख पड़ जाती है और वह लौटकर चला आता है और वकील पूरी फीस ले लेता है। परिणाम यह है कि मुवक्किल अच्छे वकील का लाभ नहीं उठा पाता और न ही अच्छा वकील हेडक्वार्टर छोड़ कर जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसे इतनी फुरसत ही नहीं मिलती। इसलिए इस प्रकार के न्याय के विकेन्द्रीकरण करने से जनता को लाभ के स्थान पर असुविधा ही होगी। इसके साथ ही जब छोटी-छोटी जगहों पर अदालतें

होंगी तो वे वहां पब्लिक के टच में रहेंगे और उन पर प्रभाव पड़ेगा जिससे भ्रष्टाचार फैलेगा।

चौथी चीज यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में गवाहों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन गवाहों को जो खर्चा 50 साल पहले दिया जाता था वही आज भी दिया जाता है। वह इतना कम है कि कोई भी आदमी अपना दिन भर का काम छोड़कर गवाही के लिए आना पसन्द नहीं करता। चार-चार, पांच-पांच बार समन भेजे जाते हैं फिर भी वह हाजिर नहीं होता। जब वारन्ट जारी किया जाता है तब वह आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस खर्चे को बढ़ाया जाय।

जो छोटी-छोटी चीजें हैं उनका प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। जैसे मुकदमे में नकल मिलने की बात है जो तीन- चार पेशी के बाद में मिलती है और वह भी ऐसी होती है जो पढ़ने में नहीं आती। जो नए रंगरूट सिपाही भर्ती होते हैं वही आफिस में नकल बनाते हैं। जब शिकायत की जाती है तो यह कहा जाता है कि कापीइस्ट एविलेबुल नहीं है। जहां पर मुकदमे इस आधार पर बढ़ते हैं कि कापी नहीं मिलती तो मेरा निवेदन है कि कापीइस्ट बढ़ाने का प्रयास किया जाय। इसी तरह से समन जो कि बुनियादी चीज है वह किसी भी जिले में नहीं मिलेंगे। उसकी दो पर्त होती है। एक पर्त तो गवाह या मुल्जिम को दी जाती है और दूसरी पर दस्तखत होकर लौट आती है। लेकिन उसके प्रारूप अवलेबल नहीं है। नतीजा यह है कि एक कागज पर 10, 10 नाम लिख कर सिपाही तामिल के लिए ले जाता है और बता आता है कि फलां दिन तारीख है। जब वादकारी आता है तो उसको पता नहीं चलता कि उसका मुकदमा किस कोर्ट में है। अगर पाँच मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट हैं तो वह हर जगह चक्कर लगाता है और तब कहीं ढूंढ पाता है।

इसी प्रकार जहाँ तक एन्टीसिपेटरी बेल का सवाल है इसमें वाकई न्याय मन्त्री जी का कथन सही है इसका फायदा होर्डन्ड क्रिमिनल्स को मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान नहीं रखा जाना चाहिए वरना मुल्जिम बिना जेल जाए जमानत करा लिया करेंगे। सम्भ्रान्त व्यक्ति जो बन्द हो जाते हैं उनको इसमें मौका नहीं मिल पाता। लिहाजा जमानत के सिलसिले में जो कानून औरतों, नाबालिग बच्चों को जमानत पर प्रिफिरेन्स देता है उसमें इन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय....

एक सदस्य—

अच्छा.....

*श्री श्याम देव—

घबड़ाइए नहीं, बता रहा हूं। मान्यवर, न्याय और कारागार मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान कारागार विभाग की व्यवस्था की ओर ले जाना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि जनता पार्टी की लोक प्रिय सरकार में जो कारागार मन्त्री बनाए गए हैं उनके पास कारागार और न्याय दोनों हैं। मैं आपका ध्यान गम्भीर मसले की ओर ले जाना चाहता हूं कि आज कारागारों में शौचालयों को साफ करने के लिए हमारे हरिजनों का और पिछड़ी जाति का नाम लेते हैं। कटौती के प्रस्ताव में भाषण देते समय, इस सदन के बाहर और भीतर, यही नाम लेते हैं। मान्यवर, इनके कुकृत्यों का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे पूज्य बापू महात्मा गाँधी कहा करते थे कि मानव का शौचालय मानव ही धोयेगा। तीस वर्ष तक इन लोगों ने क्या किया है। मैं वाराणसी कारागार में रहा हूं। वहाँ मैं ऐसे अपराधी से मिला था जो शौच अपने कन्धे पर ले जा कर फेंकता था। मैंने पूछा कि किस अपराध में आए हो उसने नहीं बताया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जेलर ने बताया कि वह आई0 पी0 सी0 की धारा 109 के अन्तर्गत यहाँ आया है। बड़ी शर्म की बात है कि तीस वर्ष राज्य करने के बाद भी शौचालयों और अपने कारागार के शौचालयों को साफ करने के लिए मनुष्यों को अपराधी बनाया जाय और जेल में केवल इसलिए लाया जाय कि शौचालय से उनको टट्टी को फेंकना है। मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि आई0 पी0 सी0 के धारा 109 को डिलीट कर दिया जाय और उसको हटा दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के सदस्य जब कटौती के प्रस्ताव पर भाषण देते हैं तो कटौती के प्रस्ताव पर न बोल कर सीधे यह कहते हैं कि हरिजनों के साथ अन्याय हुआ। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इनके राज्य ने हरिजनों के लिए क्या-क्या किया। इसका उदाहरण आप को इस पुस्तक में मिलेगा जो कि छपवा कर हम लोगों को दी गयी है। इसमें दिखाया गया है कि किस विभाग में जन जाति के लोगों को कितनी जगहें मिली हैं। पृष्ठ 5 में कारागार विभाग के सम्बन्ध में आप देखेंगे प्रथम श्रेणी की नियुक्ति के लिए 5.4, द्वितीय श्रेणी के लिए 3.5 और इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के लिए कोई हरिजन इन को नहीं मिला। कितनी शर्म की बात है। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि हमारे विपक्ष के सदस्य बार-बार हरिजनों की समस्या को लेकर इस सदन को गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जिसने जनता पार्टी को श्रद्धा और स्नेह दिया है।

मैं बता देना चाहता हूं कि आज न्यायालयों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है उस के लिए कौन दोषी है? 19 महीने के कार्यकाल में यही लोग थे जिनको अब मुस्कराने में शर्म नहीं आती, ऐसा मसला आए तो उनका मस्तक झुक जाना चाहिए। जो भ्रष्टाचार आज दिखाई दे रहा है वह राजनीतिक कारणों से बढ़ा है और हमारी सरकार अगर निर्णय ले कर अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ती है तो विरोध पक्ष वाले आज भी बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जेलों में जो सुधार हो रहा है वह बहुत सराहनीय है। देवकुमार यादव जी ने कहा कि जेल मन्त्री होने के तुरन्त बाद क्यों नहीं वह बरेली जेल देखने गए। वह सदन के पुराने सदस्य हैं। उनको ज्ञात होना चाहिए कि 11 जुलाई को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह सदन शपथ ले रहा है। उसके बाद वित्तीय मामलों से सम्बन्धित अनेक कठिनाइयाँ सामने आईं। इस प्रकार की बातें कह कर वह सदन को हमेशा गुमराह करना चाहते हैं। इतना मैं और कहना चाहता हूं कि आज भी नौकरशाही हावी है। यह वह नौकरशाही है जिसको पिछली सरकार ने पाल रखा था। 19 महीने जिस नौकरशाही ने हमको सताया आज भी वह इसी स्थान पर विराजमान हैं चाहे मुख्य सचिव का पद हो अथवा कारागार सचिव का पद हो। आज भी ऐसा आभास होता है कि यह नौकर शाही पुराने रवैए को अपनाए हुए हैं और काँग्रेसियों के इशारे पर चल रही है। जनता पार्टी की सरकार के जो आदेश होते हैं उनका वह पालन नहीं करती, उनको लिंगर आन करती है और इस प्रकार वह जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि संजय गाँधी और इन्दिरा गाँधी का हाथ इन सब कारगुजारियों . . . .

श्री अधिष्ठाता—

नियम यह है कि जो लोग इस सदन के सदस्य न हों, उनका नाम न लिया जाय।

श्री श्याम देव—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं नाम नहीं लूंगा परन्तु मैं पुन: यह बतलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार इस बात पर तुली हुई है और दृढ़ है कि उसने जनता के साथ जो वायदे किए हैं उनको वह पूरा करेगी। जेल के सुधार के नाम पर कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनको यदि कभी जेल जाना पड़ा तो वे वहाँ के अपने अनुभव सदन के समक्ष रख सकेंगे। माननीय न्याय मन्त्री जी कारागार मन्त्री भी हैं, वे पूज्य बापू के इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करेंगे "पाप से घृणा करो न कि पापी से।" काँग्रेस के राज्य में इस सिद्धान्त को बापू का नाम लेने वालों ने हत्या की है। मैं अन्त में कारागार तथा न्याय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और यह चाहूंगा कि विपक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे वह वापस ले लेगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभी न्यायपालिका के महत्व के बारे में हमारे न्याय मन्त्री जी ने काफी प्रकाश डाला। यह सही है कि न्यायपालिका का बहुत बड़ा महत्व होता है बशर्ते उससे न्याय मिले और यदि न्याय नहीं मिलता है तो उस न्यायपालिका का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आज जिस न्यायपालिका की बागडोर हमारी सरकार के हाथ में है, हमारे मन्त्री जी के हाथ में है, क्या हम उससे न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि अपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक भूखा आदमी अपनी भूख मिटाने के लिए दो रोटी कहीं से उठाता है तो इन्हीं अदालतों से उसे सजा दी जाती है। न्याय ही मिलना होता तो उस भूखे की भूख देखी जाती और उसके लिए जिम्मेदार लोग देखे जाते। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस सिद्धान्त को यदि माना जाता तो आज कई मन्त्रियों के हाथों में हथकड़ियां पड़ी होती। न्याय का तकाजा यही था कि भूखे को रोटी दी जाती।

न्याय के बारे में जिस तरह से मन्त्री जी ने कहा और बजट का समर्थन करने वाले जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने जिसे न्याय की संज्ञा दी है वह उचित नहीं है, वह न्याय नहीं सजा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज अदालतों में क्या हो रहा है? जगह-जगह पैसे का व्यापार हो रहा है, सौदेबाजी हो रही है, चाहे छोटे-छोटे मामले हों या बड़े।

[श्री राम आसरे वर्मा]

एक वकील खुद अपने मुवक्किल से, जब वह अदालत के अन्दर जाता है तो फाइल देखने तक के लिए पैसा दिलाता है। पहले की भांति आज भी पैसा ही सर्वोपरि माना जाता है, उसके बोझ से आज भी आदमी दबा पड़ा है। जो गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए या समाज के निर्बल वर्ग के लोगों के लिए मन्त्री जी ने कल्पना की है, मैं उसे कल्पना कहूंगा जब तक कि वह व्यावहारिक रूप में नहीं आती, आज भी निर्बल को सबल द्वारा दबाया जा रहा है।

जब हम जेलों की तरफ आते हैं तो आज भी कांग्रेसी शासन की तरह ही मन्त्री जी ने हम लोगों को जेलों की तरफ जाने के लिए कहा है। एक बात जो माननीय मन्त्री जी ने जेल मैनुअल में संशोधन करने की कही है उसका मैं स्वागत करूंगा और यदि वह ऐसा करते हैं तो निश्चित ही यह स्वागत की बात है। यह एक सराहनीय कदम होगा। पता नहीं कितनी पुरानी परिस्थितियों का जेल मैनुअल आज भी बदली हुई परिस्थितियों में लागू किया जाता है बिना यह सोचे समझे कि आज से 30 साल पहले क्या परिस्थिति थी, वही मैनुअल आज लागू किया जाता है। अगर उसमें संशोधन होता है तो यह बहुत अच्छी बात होगी और वह संशोधन आज भी व्यवहारिक परिस्थितियों को सामने रख कर किया जाय तो बड़ी खुशी की बात होगी। जेलों के अन्दर क्या होता है और क्या नहीं। इस सदन के अधिकाँश सदस्य इसको अपनी आँखों से देख चुके हैं। कहा जाता है कि जेल मानव सुधार का एक स्थान है, एक अड्डा है। लेकिन बहुत सी ऐसी मिसाल आपको मिलेंगी कि यदि कोई बेगुनाह जाने-अनजाने किसी तरह से जेल पहुंच जाता है तो वह गुनाहगार बनकर निकलता है। व्यवहार में देखा यह गया है कि जेलें सुधार का अड्डा नहीं रह गयी हैं। यदि कोई आदमी चोरी-डकैती आदि के बारे में जानकारी नहीं रखता है तो वह इसकी सबसे अच्छी ट्रेनिंग जेल से लेकर आता है। सुधार का क्या, जीवन को बर्बाद करने का अड्डा जेल बना हुआ है। मैं यहाँ एक मिसाल आपको दूं। इसी लखनऊ की जेल में एक बेगुनाह लड़का फंसा था और जब वह जेल से निकला तो पक्का गिरहकट होकर निकला। उसकी ट्रेनिंग जेल में हुई। काँग्रेसी शासन काल में यह हुआ और जेलों में यही सिखाया गया। मैं जनता पार्टी की सरकार से यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि काँग्रेसी शासन में जो कुछ जेलों में होता रहा, कृपा करके उसको खत्म करें, वही सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। वहाँ के अधिकारियों को जेलों के बाहर देख लिया जाए, तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, किन्तु जो बाहर सीधे साधे दिखाई देते हैं, जेलों के अन्दर उनका दानवी रूप दिखाई देता है। तमाम तरह की बातें जेलों में होती हैं। आज जेल में जो व्यवस्था कही जाती है, उसके बारे में कुछ बात कहना चाहता हूं (लाल बत्ती होने पर) मैं दो मिनट और चाहूंगा। जो व्यवस्था और व्यवहार काँग्रेसी शासन में देखा जाता था वह आज भी मैं देख रहा हूं। केन्द्रीय गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह ने....

श्री अधिष्ठाता—

मैं बार-बार कहता हूं कि जो माननीय व्यक्ति इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनके नाम न लिए जाएं। यह व्यवस्था बार-बार हो चुकी है। आप जानते हैं कि मैं नियमों का बहुत पालन करने वाला हूं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, भारत सरकार के गृह मन्त्री ने जिन नकसलपंथी बन्दियों को राजनैतिक बन्दी माना है, उत्तर प्रदेश में उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दी जा रही हैं और जो लोग जेलों में बीमार हैं, उनके इलाज और पैरोल की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसी तरह से तमाम होम्योपैथिक छात्र जेल भेजे गए हैं। हमारे यहाँ जिला हरदोई में भी बहुत से छात्र बन्दी हैं, उनमें से एक ने आत्मदाह की इत्तिला दी है। किन्तु मालूम पड़ता है कि सरकार को उसकी कोई इत्तिला नहीं दी गयी है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं न्याय और कारागार विभाग की अनुदानों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं—

(श्री राम प्रताप शास्त्री के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

शास्त्री जी आप खुद समझदार हैं। आप मेरी मजबूरी समझिए और बैठ जाइए।

श्री ओंकार नाथ—

मैं न्याय मन्त्री महोदय द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी सदस्य की ओर से पेश किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, भारतीय शासन व्यवस्था में, जैसा कि प्रजातन्त्र की हमारी भावना है तथा जैसी कि हमारे संविधान की भावना है, अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रमुखतः तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में न्याय पाने के लिए न्याय पालिका ही सबसे प्रमुख अंग है। कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व न्याय के अनुसार व्यवस्था कायम करना। विधायिका का काम है कानून बनाना, समाज के हित के लिए अच्छे कानून बनाना। उद्देश्य यह है कि आम जनता को राहत मिले। यह हम लोगों की भावना है? अपनी प्रजातन्त्रीय पद्धति में, हम चाहते हैं कि आम आदमी को न्याय मिले। किसी के साथ ज्यादती न हो। यही कुशल शासन का मुख्य स्वरूप है। किसी भी लोकप्रिय शासन का यह प्रमुख कर्तव्य है कि किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार न हो, किसी का हक न मारा जाय, किसी के साथ ज्यादती न हो। सम्पूर्ण विश्व में जब से सभ्यता आयी, तब से अगर शासन की कहीं भी आवश्यकता हुई है तो केवल इसी बात को ले कर हुई है कि जो सबल और शक्तिशाली वर्ग है वह छोटे या कमजोर वर्ग को सता न सके। मत्स्य न्याय या अरण्य न्याय को रोकने के लिए, किसी के साथ ज्यादती न हो, इसीलिए न्यायपालिका और राज्य शासन की व्यवस्था सोची जाती है। यह बात निश्चित ही है कि अच्छा न्याय वही कहा जा सकता है जिसमें छोटे वर्ग को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, छोटे वर्ग के साथ ज्यादती न हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओंकार नाथ]

मुझे पुराना इतिहास याद आता है। जहाँगीर के शासन काल में अगर एक फकीर भी जंजीर हिलाता था तो उसको भी न्याय मिलता था। इसी भावना को लेकर हम न्याय देंगे। न्याय ऐसा होना चाहिए कि हर एक को न्याय पाने के लिए कष्ट न उठाना पड़े। यह सोचना न पड़े कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। तभी न्याय सही कहा जा सकता है। जहाँ तक वर्तमान लोकप्रिय सरकार की बात है, मुझे पूरा विश्वास है, इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान लोकप्रिय सरकार आम जनता के लिए, छोटे वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए न्याय देने के लिए सही ढंग से सुविधा मिले, यह उसकी पूरी कोशिश है। मेरा निश्चित मत है कि अपनी सरकार वास्तव में अंत्योदय की भावना को लेकर, छोटे वर्ग की भावना ले कर, जो न्याय व्यवस्था चलाने जा रही है, वास्तव में इस लोकप्रिय सरकार को बड़ी सफलता मिलेगी। मैं इसके साथ ही यह जरूर कहता हूं कि माननीय न्याय मन्त्री ने जो बजट पेश किया है वह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो वास्तव में न्याय के आधारभूत सिद्धान्त हैं उसको उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से रखा है।

माननीय मन्त्री जी ने एक बात जेल मैनुअल में आमूल चूल परिवर्तन के बारे में कही है। जब हम लोग जेल में थे तो देखा था कि जेल मैनुअल पुराना था और हम लोगों को उसी के आधार पर चीजे दी जाती थीं। मैं कहना चाहता हूं कि तब के रेट्स कम थे और अब वह रेट्स बहुत ज्यादा है लेकिन अभी भी कैदियों को उसी पुराने रेट्स से सामग्री दी जाती है। अगर जेल मैनुअल में परिवर्तन की बात है तो वह बहुत ही सराहनीय है।

इसी तरह से अधिवक्ताओं की जिनकी मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती थी उनको सहायता के रूप में 5,000 रुपया दिया जाता था। यह रकम बहुत ही कम थी। इस सरकार ने इस रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया है जो बहुत ही उचित किया है। सरकारी वकीलों की नियुक्ति के विषय में जो कदम उठाया गया है वह बहुत ही सराहनीय है।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त।

श्री ओंकार नाथ—

थोड़ा सा समय और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री ओंकार नाथ—

जो बाते बजट में कही गयी है वह बहुत ही सराहनीय हैं। माननीय न्याय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। मेरा प्रयास है कि जो माननीय सदस्य कभी न बोले हों, उनको मौका अवश्य मिले।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे न्याय तथा कारागार अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। समय बहुत ही सीमित है इसलिए मैं संक्षेप में ही अपने विचार आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूंगा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता मालूम होती है कि माननीय न्याय मन्त्री जी ने जब अपना कार्य भार संभाला है बहुत सुन्दर तरीके से कार्य करना शुरू किया है। उन्होंने सभी माननीय सदस्यों को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने सभी सदस्यों से सुझाव मांगे हैं। यह बहुत ही स्वस्थ परम्परा डाली है और यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं सर्वप्रथम कारागार के विषय में अपने सुझाव देना चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी मथुरा कारागार गए थे मैं उसकी जानकारी दे दूं कि इस मथुरा कारागार की स्थिति आज चालीस वर्षों यानी सन् 1930 से इसी प्रकार चली आ रही है। अनेक बार इसमें सुधार के लिए सुझाव दिए गए लेकिन आज तक कोई भी सुधार नहीं हो पाया। पिछली कांग्रेसी शासन की कृपा से हमें गत वर्ष उसमें रहने का कुछ समय मिला। वहां की व्यवस्था को देखने से मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस कारागार की स्थिति यहां के शौचालयों की स्थिति को देखते हुए यह किसी नर्क से कम नहीं कही जा सकती। वहां शौचालयों, रोशनी व भवनों की बड़ी दुर्व्यवस्था है, स्थिति बड़ी शोचनीय है। जो लोग वहां पर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वे सुधर कर आते हैं लेकिन मैं कह सकता हूं कि यदि कोई वहां प्रथम बार जाता है, वह वहां से कठोर, कुटिल अपराधी बन कर निकलता है।

अधिक न कह कर मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां रहने वाले बच्चों की हालत बड़ी ही दयनीय है। मैंने उन नन्हें-नन्हें बच्चों को देखा है जो 109 में पकड़ कर बिना टिकट सफर करने के अपराध में जेल भेज दिए जाते हैं, वह वहां पर पुराने अपराधियों के सम्पर्क में आ कर जिन अपराधों को वह जानता भी नहीं है, उनको सीखने के बाद थोड़े ही दिनों में बाहर आने के बाद उन्हीं अपराधों को कर वह पुन: जेल में आ जाता है। जिसने भी इस स्थिति को देखा है, वह कह सकता है और मैं भी कह सकता हूं कि यह स्थिति बड़ी ही दर्दनाक है! अत: मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे बाल अपराधियों को उन पुराने अपराधियों के साथ न रखकर अलग हिस्से में रखा जाए। जिससे उन का सम्पर्क पुराने अपराधियों के साथ न हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी योजनायें वित्त साध्य हैं, लेकिन यदि इन बातों की ओर ध्यान दिया जाये तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। रोशनी की, भवनों की, वहां के कमरों की फर्शें कच्ची हैं तथा शौचालयों की समस्या को यदि आप प्राथमिकता दे सकें और वहां की भौतिक स्थिति को सुधार सकें तो मेरा विश्वास है कि जेलों की हालत में काफी सुधार आ जाएगा।

बड़े से बड़े अपराधी को हम मानव मानते हैं। भारतीय संस्कृति हर मनुष्य के अन्दर ईश्वर का दर्शन करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। बड़े से बड़े अपराधी के लिए हमारी कामना रहती है कि वह सुधरे। बड़े-बड़े कातिल, डाकुओं ने लोक नायक जय प्रकाश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

नारायण के सामने तहसीलदार और उसके साथियों ने उनके सामने आत्म समर्पण कर दिया जिससे उनके दिल बदले और उनका जीवन बदला। हम आपसे आशा करते हैं कि यदि आप इन प्राथमिकताओं को जिनका जिक्र मैंने पहले किया, दे सकेंगे तो वह कातिल भी सुधरेगा।

महारानी गायत्री देवी के साथ जो साथी बन्द हुए थे उनकी मुलाकात मैं एक व्यक्ति से करा दूं। वहां के जेलर ने कुछ लोगों की मुलाकात, उससे मिलने आए लोगों से करवा दी, मानवता के नाम पर, तो उसे इतना कड़ा दन्ड दे दिया गया। मानवता का नाम जेलों के अन्दर नहीं है। जिन्होंने उस जीवन को नहीं देखा है, वह उनकी कल्पना नहीं कर सकते। मान्यवर, सुधार के साथ-साथ वहां कुछ अध्यात्म का भी समावेश होना चाहिए। अध्यात्म के नाम पर वहां एक शिक्षक थे पता नहीं कब वह आते हैं, कब चले जाते हैं। बच्चों की शिक्षा कागज पर होती है और उनका कोई शिक्षण नहीं होता है। तो इन बातों की ओर ध्यान देने से निश्चय ही जेलों की स्थिति में सुधार होगा। कहने को नियम के अन्तर्गत कोई सामान जेल में नहीं मंगाया जा सकता, लेकिन पैसा यदि हो तो सब कुछ मंगाया जा सकता है। कैसा बुरा आचरण, मिथ्याचरण जेल के अन्दर होता है, यह हम सभी जानते हैं। इसका बन्द किया जाना बहुत आवश्यक है।

न्यायपालिका के सिद्धान्तों की जो चर्चा माननीय मन्त्री जी ने की है वह निर्विवाद है, लेकिन इन सिद्धान्तों का हम कहां तक परिपालन कर सकेंगे? मुकदमें जल्दी फैसल हों, यह हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। मेरा कहना है कि छोटे मुकदमों के लिए मोबाइल कोर्ट्स, चलती-फिरती अदालतों की व्यवस्था हो सके तो मेरा विश्वास है कि उसके अन्दर बहुत से लोग जिनको शहरों में आना पड़ता है उनकी कठिनाई बच जायगी। दूसरी बात यह है कि न्यायाधीश समय से न्यायालय में आवें इस बात की व्यवस्था माननीय मन्त्री जी करने की कोशिश करें। मथुरा में एक न्यायालय ऐसा है कि जहां सुबह से शाम तक न्यायाधीश आते ही नहीं। मैजिस्ट्रेट का पूरा दिन निकल जाता है, अपने लंच रूम में बिता देते हैं, बाहर निकलते ही नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--

तो श्रीमन्, ऐसी व्यवस्था की जाय कि न्यायाधीश ऐसा आचरण रखें जिससे मालूम हो कि वे वास्तव में गौरवनिष्ठ हैं और इसका परिचय दे सकें तो उससे जनता में आस्था बढ़ेगी। आशा है कि मन्त्री जी इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

(श्री कन्हई सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

हमारी पार्टी वालों को समय नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता--

आपका भी आ रहा है, तसल्ली और धीरज रखें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

हमारा भी ख्याल रखिए।

श्री अधिष्ठाता--

सत्ता पक्ष के दो बोल चुकें फिर अवसर मिलेगा।

*श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, 19 महीने की आपात स्थिति के बाद जनता ने कांग्रेस से ऊब कर जो जनता पार्टी को लोक और विधान सभा में जिता कर एक सुख का अनुभव किया था कि अब कुछ गरीब जनता को राहत मिलेगी और जो 30 साल के कांग्रेस शासन से जनता ऊबी हुई थी तो उसने सोचा कि अब कुछ बदलाव आवेगा। सन् 1968 के आम चुनाव में जब जनता ऊबी थी तो स्व0 डा0 राम मनोहर लोहिया ने, जो महान समाजवादी विचारक थे, यह भविष्य-वाणी की थी कि जनता काँग्रेस से ऊब चुकी है, अब समय बदलेगा और संविद सरकार की स्थापना होगी। लेकिन जो संविद सरकार बनेगी उसका कर्तव्य होगा कि एक निश्चित अवधि के अन्दर, 4-6 महीने के अन्दर, कोई ऐसा चमत्कारी कार्य करे जिससे ऊबी हुई जनता को महसूस होने लगे कि काँग्रेस के बाद अब एक दूसरी पार्टी आयी और हम सुख की लहर में आगे बढ़े। लेकिन वह नहीं हुआ। उसी प्रकार से अब जनता पार्टी की सरकार के आने से जनता में खुशी उत्पन्न हुई कि अब कोई रचनात्मक कार्य यह सरकार करेगी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी तक वही भ्रष्टाचार जो कांग्रेस में था वह अब भी है बल्कि उससे ज्यादा महंगाई और अदालतों में अन्याय बढ़ गया है। प्रदेश का 80 फीसदी व्यक्ति जो देहात में रहता है जब वह पट्टे के लिए जाता है या किसी बैनामे कराने के लिए लेखपाल के पास जाता है, तो गरीब जनता पढ़ी-लिखी नहीं है, उससे 50-50 रुपया इन्तखाब के लेते हैं। इसके बाद जो बैनामे कराने जाते हैं उन पर जो फीस पड़ती है उसके बाद सब-रजिस्ट्रार 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से रिश्वत लेते हैं। इसी तरह दाखिल खारिज में वकीलों को ठहराया जाता है, चपरासी हैं और तमाम कर्मचारी हैं वह पैसा लेते हैं फिर भी 3-3, 4-4 साल तक दाखिल खारिज के मामले पड़े रहते हैं। गरीब जनता मीलों से किराए वगैरह का व्यय करके आती है लेकिन अदालतों में तारीखें बढ़ा दी जाती हैं। अदालत में घुसते ही चपरासी 1 रुपया ले लेता है, पेशकार मेज के नीचे से अंगुली उठाता है कि 2 रुपए दो नहीं तो तारीख नहीं लगायेंगे, शाम को तारीख देते हैं। 10 रुपए उस गरीब के खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि अदालतों में यह जो अन्याय होता है यह जल्द से जल्द दूर किया जाय। तभी जनता समझेगी कि जनता पार्टी की हुकूमत आयी है, नहीं तो कांग्रेस और जनता पार्टी में क्या फर्क रह जायगा ?

इसी तरह से जेलों में भी हम देखते हैं कि फटे कम्बल दिये जाते हैं। जो दूध मिलता है उसमें से डब्बू भर दूध जेल के कर्मचारियों ने पी लिया और उतना ही पानी मिला दिया। वहाँ भी रिश्वत चल रही है। शाक-सब्जी में उसी तरह से कूड़ा-करकट मिला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हई सिंह]

रहता है। रोटी अब भी सही नहीं मिलती है । सुपरिन्टेन्डेंट या आई0 जी0 आते हैं तो खूब सफाई हो जाती है लेकिन अन्दर जो खटमल और जूएं होते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। अगर कोई रचनात्मक कार्य एक निश्चित समय में, 4-5 महीने के अन्दर नहीं दिखाया जायगा तो जनता पार्टी और काँग्रेस में कोई अन्तर नहीं रह जायगा। हम तभी समझेंगे कि जब यहाँ से भ्रष्टाचार, भुखमरी, रिश्वतखोरी, मूल्यवृद्धि आदि का अन्त एक दायरे में, 4-6 महीने के अन्दर कर दिया जायगा।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। कार्यवाही को स्थगित कर दीजिए क्योंकि कोरम की संख्या देख लें।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, अनुशासन पर्व के प्रणेता विनोबाजी का कहना है कि आदर्श राज्य व्यवस्था वही होगी जिसमें पुलिस, अदालत और जेल, तीनों ही समाप्त कर दी जायं। लेकिन यह तो एक सपना है, जब तक यह सपना साकार नहीं होता, तब तक इनमें सुधार की आवश्यकता है और संयोग से आज अदालत और जेल, दोनों ही के बजट पर बहस हो रही है। जो लोग जेलों में रहे हैं, जनता पार्टी भी जेलों में ही पैदा हुई और काँग्रेस पार्टी भी शासन में जेल के माध्यम से ही आयी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जेलों की स्थिति में, जेल के बंदियों की हालत में जिस तरह के सुधार की अपेक्षा शासन से रही है उस तरह का सुधार नहीं हुआ। मैं आप से कहना चाहता हूं कि एक महिला जो नक्सलवादी होने के कारण बन्द हुई थी, अभी एक महीने पहले रिहा हुई थी, उसने अपनी पुस्तक के माध्यम से जेल का पूर्ण चित्र दिया है, वह जेल में सुधार करने वाले लोगों को देखना तथा पढ़ना चाहिए।

मान्यवर, जेल के सुधार के सम्बन्ध में एक विधान सभाई दल की कमेटी बनावें। मान्यवर, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो मौजूदा जेल मैनुअल है, वह रद्दी की टोकरी में फेकने लायक है। उसको पुराने लोगों ने तैयार किया है। उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके परिवर्तन की आवश्यकता है ? इस सम्बन्ध में मैं चार बातें सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि उच्च श्रेणी और साधारण श्रेणी के बन्दी का जो मान्यवर, सवाल है, वह स्पष्ट होना चाहिए। मान्यवर, जब हम लोग बन्द थे, उस समय सुरक्षा बन्दी के रूप में थे। जो निरोध बन्दी होंगे, उनको उच्च श्रेणी में रहने का अख्तियार है, लेकिन आपात स्थिति के दौरान उन्हें उससे वंचित रखा गया। जो क्लासिफिकेशन का तरीका है उसको बदलना चाहिए। राजनैतिक बन्दियों के लिए जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि जो बन्दी जेल के अन्दर राजनैतिक कारणों से भेजा जा रहा है या गैर राजनैतिक कारणों से भेजा जा रहा है, उसको उसके हिसाब से सुविधा दिया करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात शौचालय की व्यवस्था जेलों में बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। जो केन्द्रीय कारागार, नैनी है, उसमें शौचालय का फिर से निर्माण किया जा रहा है। शौचालय को नए ढंग से निर्माण किया जाना चाहिए।

तीसरी बात जेलों में जो इमारतें हैं, वे बहुत पुरानी हो गयी हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। मान्यवर, बरेली में जिस बैरिक में मैं रहता था, उसके लिए कहा जाता था कि बरसात में यह तो चूती नहीं है, यह तो बरसती है। केन्द्रीय कारागार, नैनी जो है, उसकी भी यही हालत है। वहाँ पर बन्दियों की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहाँ की जितनी इमारतें हैं, उनको नए ढंग से बनाया जाय।

चौथी बात जेलों के अन्दर जो साधारण बन्दी हैं, उनके साथ वहाँ के वार्डर, जेलर दुर्व्यवहार करते हैं। उसके सम्बन्ध में एक स्पष्ट आदेश होना चाहिए, नियम और कानून होना चाहिए। जेल के अन्दर जो पहली घंटी होती है, वह आपकी लाल बत्ती से ज्यादा खतरनाक होती है। आपातकालीन स्थिति के दौरान बहुत सारी जेलों में लाठी चार्ज अकारण हुआ था। बलिया जेल में मैं था, मेरे सामने अकारण लाठी चार्ज हुआ था। नृशंसता के साथ लोगों को पीटा गया। केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में भी लाठी चार्ज हुआ। मान्यवर, वह खबर न तो अखबारों में आई और न प्रकाशित हुई और न जुडिशियल जाँच हुई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की एक समिति बना कर आपात स्थिति में जहाँ पर, जिन-जिन जेलों में लाठी चार्ज हुआ, नए सिरे से, कमेटी बनाकर उसकी जाँच करावें। मान्यवर, सितारगंज जेल जो है, इसको राज्य सरकार ने सुधार के रूप में बनाया था। मेरा कहना है कि इस सूबे की सभी जेलों में इस तरह से सुधारात्मक योजना बनाई जाय। मान्यवर, मैंने तिहाड़ सेन्ट्रल जेल का भी हाल देखा है, जेल के अन्दर बहुत अच्छी कैन्टीन है, जहाँ पर सभी बन्दी बिना रोक-टोक के चाय पीते हैं। नहाने का साबुन मिलता है, पैसों से खरीद सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ सेन्ट्रल जेल में जिस तरह से कैन्टीन की व्यवस्था है वैसे ही सभी जेलों में कैन्टीन की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसकी देख-रेख होनी चाहिए।

पाँचवीं बात मैं कहना चाहता हूं कि जेलों में उत्पादन के काम में जो बंदी लगे हुए हैं, जितने लोग श्रम में लगे हुए हैं उनको पारिश्रमिक उचित ढंग से नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि जेलों के अन्दर पीतल के बरतन बनाए जाते हैं, जेलों के अन्दर कपड़ा बनाया जाता है कम्बल बनाने का काम होता है। तो जो इस तरह के उत्पादन के काम में लगे हुए हैं उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाय और हर बन्दी को प्रति दिन 5 रुपए पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पैरोल की व्यवस्था जो है वह ठीक नहीं है। साधारण बन्दियों को जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके घर वालों के लोग खाते पीते नहीं है उनको पैरोल नहीं मिल पाता है। वे भी पेरोल पाने के हकदार हैं, जिनके पैरोकार नहीं हैं, उनको पेरोल पाने में दिक्कत होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय कारागारों के जो अधीक्षक लोग हैं, वहां के जो लोग पेरोल की शर्तों को पूरा करते हैं और बन्दी हैं, तो साल में 15 दिन घर जाने की छूट, उनको देनी चाहिए।

[श्री मोहन सिंह]

इसी तरह से प्रोबेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्रोबेशन बोर्ड बैठता है। जिन लोगों के पैरोकार नहीं है वह 15-16 साल जेलों में सड़ते रहते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम के द्वारा कि जो प्रोबेशन बोर्ड लखनऊ में बैठता है, 3-4 बार बैठता है। तो प्रोबेशन बोर्ड को केन्द्रीय कारागारों में बैठायें और बन्दियों के सारे कागजातों को निरीक्षण करके, अगर सारी शर्तें पूरी हों तो प्रोबेशन बोर्ड वहां पर ही उनको छोड़ने के आदेश कर दें।

मान्यवर, जेलों के अन्दर जो बीमारियां होती हैं वह कुछ खास कारणों से होती हैं। इन बीमारियों के निदान के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकांश जेलों में जो अस्पताल हैं वहां पर पंखों का प्रबन्ध नहीं है। बहुत सी जेलों में पंखों का इन्तजाम नहीं है। देवरिया में जो जेल है, नयी बनी है, उसमें शौचालय तो अच्छे ढंग के हैं लेकिन पंखों का इन्तजाम अभी तक नहीं हुआ है। इसको नियमानुसार योजना बनाकर पूरा किया जाय। क्योंकि गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। बरेली में तो साधारण बन्दियों के लिए इन्तजाम हो गया है। साधारण बन्दियों को गर्मी में 6 बजे शाम को बन्द कर दिया जाता है, गर्मी का रूप बड़ा भयंकर होता है। हमारी उनके प्रति मानवीय दृष्टि होनी चाहिए। उनकी शिकायत है कि राजनीतिक बन्दी जब तक जेलों में बन्द रहते हैं उनको स्वयं के बारे में चिन्ता रहती हैं लेकिन जेल से जाने के बाद वह जेल के बन्दियों को भूल जाते हैं; मैं कहना चाहता हूं कि सारी जेलों में चाहे उच्च श्रेणी के बन्दी हों या सामान्य श्रेणी के बन्दी हों उनके लिए पंखों का प्रबन्ध होना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुलाकात के जो तौर तरीके हैं वह बहुत गलत हैं। आपने किशोर सदन की स्थापना बरेली में की है। 18 साल से कम के जो बच्चे कक्षा 8-10 या इन्टरमीडिएट पास हैं, अनजाने में उन्होंने कोई अपराध कर दिया है तो उनको सुधारने के लिए इस सदन में भेजा जाता है। उनसे काम भी लिया जाता है। मैं समझता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि 18 साल की उम्र जो किशोर सदन के लिये है उसको बढ़ाया जाय। 25 साल तक इसको करना चाहिए। बरेली के अलावा भी 3-4 जगहों पर इन सदनों को बनाना चाहिए। 25 साल से ज्यादा उम्र के जितने बन्दी हैं उनको मिक्स नहीं होने देना चाहिए। इन दोनों प्रकार के बन्दियों को अलग-अलग रखना चाहिए। जिस तरह के अमानवीय काम जेलों के अन्दर होते हैं, अधिष्ठाता महोदय, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते है। 25 साल से कम उम्र वाले बन्दियों को 25 सालों से अधिक वाले बन्दियों के साथ नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से जेलों में सुधार बहुत आवश्यक है। लेकिन समय अभाव के कारण कहा नहीं जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री मोहन सिंह—

तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि सदन के सम्मानित सदस्यों की एक समिति बनायें जो जेलों की स्थिति पर 6 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे और उसके बाद एक बिल इस सदन के अन्दर लाया जाय और पास कराया जाय। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

और कटौती का प्रस्ताव जो रखा गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि जेलों के सुधार के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। इस बजट में कम पैसा रखा गया है। मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)––

अधिष्ठाता महोदय, आपातकाल की स्थिति में मैं लखनऊ जिला जेल का बन्दी रहा हूं। इस जेल में जेलर ने एक युवती के साथ में बलात्कार किया था। जेल के अन्दर से मैंने तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी को व कारागार मन्त्री जी को बहुत पत्र लिखे लेकिन किसी का मुझको उत्तर नहीं मिला। मैंने बलात्कार सम्बन्धी इस प्रकार के प्रश्न भेजे थे कि पूरक प्रश्नों की सहायता न पड़े और विधान सभा में बलात्कार सिद्ध हो। और उस जेलर के विरुद्ध कार्यवाही हो सके। मान्यवर, काफी दिनों बाद मुझको यह मालूम हुआ कि जेलर ने सचिवालय से बलात्कार सम्बन्धी प्रश्न गायब करा दिए और कोई पता ही नहीं चला। यह मुझको तब मालूम हुआ जब मैं लिखते-लिखते परेशान हो गया और इत्तिफाक से मौका मिल गया तो मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को बाहर से एक पत्र दिया। उसका उत्तर मुझको मिला कि इस तरह का कोई प्रश्न उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ है। फिर मान्यवर,इत्तिफाक से एक दिन तत्कालीन कारागार मन्त्री जेल पधारे उस समय उनके एक मित्र भी हमारे साथ बन्दी थे। उन्होंने माननीय कारागार मन्त्री को चाय पर आमंत्रित किया और रिफारमेटरी जेल में ले आए। जब वह मन्त्री जी हमारे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि मन्त्री जी यह सौभाग्य है कि जेल के अन्दर चाय के बहाने आपके दर्शन हो गए मैंने उनसे कहा कि आप कुल 15 मिनट मुझको दे दें, मैं सिद्ध कर दूंगा कि इस जेलर ने एक युवती के साथ जेल में बलात्कार किया और जेल के अधिकारियों ने उसको दबा दिया। मैंने उनसे कहा मैं यह भी सिद्ध करूंगा कि जेलर ढाई-तीन हजार रुपए रोज इस जेल से कमाकर ले जाता है और बड़े चैलेन्ज के साथ वह कमाता है। मैंने कहा कि आप बेड़ी-रजिस्टर जेल से मंगा लें मैं उससे साबित कर दूंगा कि रोजाना कितना रुपया इस जेल से कमाकर वह ले जाता है? मैंने उनसे निवेदन किया कि इस समय मैं विधान सभा का सदस्य हूं। अगर मैं यह दोनों बातें सिद्ध न कर सकूं तो विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा लिख रहा हूं और आपके हाथ में दे रहा हूं, आप जाकर दे दें। कारागार मन्त्री साहब जानते थे लेकिन वह पीछा छुड़ाना चाहते थे। कहने लगे देहलवी जी आज तो मुझे माफ कर दीजिए मेरा प्रोग्राम लगा है।

एक सदस्य––

उनका नाम क्या था?

श्री मोती लाल देहलवी––

कारागार मन्त्री थे गोयल साहब। नाम के लिए मना है इसलिए नाम नही लिया था। मान्यवर, मुझसे कहने लगे कि यह डी0 आई0 जी0 अमुक तारीख को जाँच करने आयेंगे और इनकी जाँच के पश्चात् चौथे दिन मैं खुद आऊंगा। लेकिन न तो वह डी0 आई0 जी0 ही आए और न मन्त्री जी। कई माह बीत गए। मन्त्री जी भी नहीं आए। जब मैं छट कर आया तो मुझे मौका मिला विधान सभा में। मुझे याद आता है कि मैंने उस समय के कारागार मन्त्री जी से इस्तीफे की माँग की थी। मैंने कहा था कि इस जेलर को आप

[श्री मोती लाल देहलवी]

उचित सजा दें अथवा आप इस्तीफा दें। मान्यवर, चूंकि आज हमारी सरकार है। मुझको याद पड़ता है कि इस समय के कारागार मन्त्री उस समय विरोध पक्ष में थे। उन्होंने मेरी इस बात को सुना होगा। मैं उम्मीद करता था कि माननीय कारागार मन्त्री उस जेलर के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी वह जेलर लखनऊ की जेल में मौजूद हैं। मेरी नैतिकता का तकाजा है और इस सरकार की नैतिकता का तकाजा है कि या तो ऐसे जेलर के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें अथवा इनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय कई विधायक हैं जो मेरे साथ जेल में थे। कई एक मिनिस्टर भी हैं, जो मेरे साथ जेल में थे। उनको सारी घटना की जानकारी है। जानकारी होते हुए भी आज तक यह जनता पार्टी की सरकार मौन है, चुप है, आँख मीचे हुए है। मैं समझता हूं यह बहुत शर्म की बात है। आखिर इस तरह के सवालात हमसे पूछे जा सकते हैं और हमारी गर्दन झुक सकती है। आज इनको पूरा अवसर है उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का। साथ ही इनको चाहिए कि गायब हुए प्रश्नों की इन्क्वायरी करें कि वह कैसे गायब हो गए क्योंकि सचिवालय से प्रश्नों का गायब होना बहुत गम्भीर बात है। जो अधिकारी दोषी हों उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

यह स्पष्टीकरण कीजिए कि सचिवालय से आपका मतलब क्या है? शासकीय सचिवालय या विधान सभा सचिवालय? सचिवालय से आपका मतलब क्या है?

श्री मोती लाल देहलवी—

आप भी जानते होंगे आपने भी बहुत जेल काटी हैं। जब जेल से प्रश्न भेजे जाते हैं तो सीधे अध्यक्ष महोदय को नहीं आते? प्रश्न विभाग भी नहीं आते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कारागार (2) में आए। यही मुझको बताया गया था। इसलिए सचिवालय का मतलब है कारागार (2) (टू)।

श्री अधिष्ठाता—

बस ठीक है।

*श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस प्रकार की चर्चा चल रही है आपने जो मौका दिया आपका आभारी मैं हूं।

मान्यवर, न्याय और जेल का जहाँ तक सम्बन्ध है, न्याय और कानून का जहाँ तक ताल्लुक है, व्यवस्था जो होती है वह समाज का दर्पण होती है और कानून की जो व्यवस्था होती है वह समाज का दर्पण होती है क्योंकि कानून मनुष्य की मंशा होती है, समाज की मंशा होती है इसीलिए उसका पालन कराया जाता है। कानून तभी लागू होता है जब आदमी नैतिकता और सभ्यता से गिर जाता है, लेकिन मान्यवर, सभ्यता और नैतिकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कभी कानून से नहीं आती। मनुष्य गलत होगा तो कानून गलत होगा। जैसी वर्ग व्यवस्था होगी उसी प्रकार कानून होगा। पूंजीवादी व्यवस्था होगी तो पूंजीवादी कानून होगा। हिन्दुस्तान में पूरी व्यवस्था पूंजीवादी है इसलिए कानून में पूंजीवादी हैं। कुछ गरीबों के लिए अमीरों के लिए कानून बटा हुआ है। हिन्दुस्तान में बेगुनाहों को सजा मिलती है। वहाँ गुनाहों को बख्शा जाता है। आज हिन्दुस्तान में गरीबों की सम्पति को लूट कर लोग अरबपति बन बैठे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती लेकिन अगर कोई झूठा पकड़ा जाता है तो वह 379 में बन्द हो जाता है। तो जहाँ तक कानून और व्यवस्था का सवाल है और इससे मुक्ति होने का सवाल है जब तक आमूल परिवर्तन नहीं किया जायगा तब तक यह समाज जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है इससे मुक्त नहीं हो सकता है और इससे कानून बरी नहीं हो सकता। हमारे न्याय मन्त्री जी का कहना है कि न्यायालय को स्वच्छ बनाना है, सक्षम बनाना है और हमारे न्यायालयों के अधिष्ठाता को या जजों को पवित्र बनाना है। यह बड़ा मुश्किल है। जैसा वातावरण है, जैसी अर्थ व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनैतिक व्यवस्था है, उसका पूरा असर जज के ऊपर, अदालत के ऊपर रहेगा। इन न्यायालयों के दुर्गुण दूर हो जायेंगे बड़ी नामुमकिन बात है।

मान्यवर, न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जितने भी ऐसे सजायाफ्ता, सजा वाले केसेज हैं, उनको कार्यपालिका से अलग कर दिया जाय। छोटे-छोटे से ले कर बड़े से बड़े तक जितने भी केसेज हैं उनको कार्यपालिका से अलग कर दिया जाय। दूसरी बात न्यायपालिकाओं में जो भ्रष्टाचार है ..

(नेता विरोधी दल का श्री गंगा प्रसाद से आपस में बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय गंगा प्रसाद जी माननीय नेता विरोधी दल, आप इस तरह से सदन में बात न करें।

श्री मित्र सेन––

उसे खत्म करने के लिए अंकुश लगाया जाना चाहिये माननीय मन्त्री जी ने जेल मैनुअल में परिवर्तन करने की बात कही। जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होता तब तक जेल मैनुअल में आमूल परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि शोषण की छूट रहेगी तो यह नियमावली बदलने से कुछ नहीं होगा। जेलों के अन्दर भ्रष्टाचार के बारे में हमारे देहलवी जी ने अपना अनुभव बताया। मैंने 7-8 वर्ष उत्तर प्रदेश की जेलों में काटे हैं। बनारस का अनुभव मुझे है, नैनी का अनुभव है। आपातकाल में बरेली जेल का अनुभव हुआ लखनऊ जेल का अनुभव है और फैजाबाद में उच्च श्रेणी जेल का भी अनुभव है। मैंने देखा है कि जेल का कोई अधिकारी ऐसा नहीं है अगर उसके घरों में छापा मारा जाय तो लाखों की सम्पत्ति जेलों से लूटी हुई न मिले। कोई भी जेलर, सुपरिन्टेंडेंट, डी0 आई0 जी0 तथा आई0 जी0 ऐसा नहीं है जिसने ट्रान्सफर्स, राशन कटौती आदि की वजह से अपने अपने घरों को न भरा हो। न जाने कितना फर्नीचर वह उठा कर ले जाते हैं। कई-कई भैंसें तथा गायें उनके घर पर बन्धी मिलेंगी। जितनी उनकी इनकम होती है उससे चौगुना उनका खर्च होता है। कैसे यह भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा? यह दूर नहीं हो सकता।

[श्री मित्र सेन]

जेलों में न्याय व्यवस्था में सुधार मामूली बात नहीं है। जेल के अन्दर यह देखने को मिलता है कि गरीब आदमी को आजादी का हक नहीं मिला है। जंगलों में मुसहर पकड़ने वालों को 109 में पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिया जाता है और उनसे फिर टट्टियाँ साफ कराई जाती हैं। यह पूंजीवादी देश की आजादी है। मरने वालों के लिए मरने की, राजनीतिक लोगों को भौंकने की तथा बेकारों को बेकार रहने की आजादी है। इस आजादी को आप कब तक बरकरार रखेंगे? इस तरह की आजादी की दया पर इस देश की जनता कब तक जिन्दा रह सकती है? उसे क्रान्ति करना है। जनता पार्टी की सरकार से कुछ उम्मीदों की अपेक्षा हैं। जेलों के अन्दर जो परेशानियाँ हैं उनके बारे में मेरा यह सुझाव है कि वहाँ पर रोटी, पानी तथा दैनिक जिन्दगी की जो जरूरतें हैं उनमें कम से कम बन्दियों को भागीदार बना दिया जाय कमेटी का।

इसके अलावा जेलों में जो बन्दी रहते हैं गर्मियों में सड़ जाते हैं उनके लिए पंखे की व्यवस्था की जाय। इसके अलावा बन्दियों की छूट पर भी विचार करना चाहिए। लम्बी अवधि के जो बन्दी हैं उनकी अवधि में अधिक छूट होनी चाहिए। जहाँ महीने में 7 दिन की छूट दी जाती है वहाँ उसे 15 दिन की छूट मिलनी चाहिए जैसा उनका आचरण हो उसके मुताबिक। जेलों के अन्दर लैटरिन की व्यवस्था बहुत खराब है जिससे तमाम लोग संक्रामक रोगों के मरीज बनते हैं। उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बन्दियों से जो परिश्रम वाले काम कराये जाते हैं वे काम किसी बाहरी व्यवस्था से कराए जायं। जेल अधिकारियों के हाथ में जब वे काम होते हैं तो उनका शोषण किया जाता है। बाहरी व्यवस्था के जरिए, कोई निगम बनाया जाय तो उनकी मजदूरी तथा पारिश्रमिक ईमानदारी से उनको मिल सकेगा। इस तरह वह लगन से तथा मेहनत से काम कर सकेंगे।

मैं यह भी चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था में छोटे से छोटे जुर्म को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाय, पूर्ण रूप से न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया जाय। चोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई न कोई कमेटी मुकर्रर होनी चाहिए। जो जज और मुन्सिफ हैं जो घूस लेते हैं उसकी कोई पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए जेल की व्यवस्था में भी काफी सुधार की आवश्यकता है।

तीसरे नक्सलपंथियों पर जेलों में काफी अत्याचार हो चुका है। अब उनके साथ हम दर्दी होनी चाहिए और जेलों से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)--

अधिष्ठाता महोदय, न्याय प्रशासन के बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। पंचायत राज ऐक्ट से सम्बन्धित धारा 22 से 25 तक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं इससे उत्तराधिकार के सम्बन्ध में ऐसे लोगों को लाभ पहुंचेगा जो कि उत्तराधिकार से वंचित है। एक मृतक यदि दो पुत्रों को छोड़ जाता है तो उसके बाद उन दो पुत्रों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी दूसरा भाई हो जाता है और उसकी संन्तान सम्पत्ति से वंचित हो जाती है। यह तो मुझे ठीक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से मालूम नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा होता है। इसके साथ-साथ मेरी जानकारी है कि एक मृतक यदि दो पत्नियां छोड़ जाता है तो दोनों पत्नियां उत्तराधिकारी होती हैं लेकिन अगर कुछ काल बाद एक मर जाती है तो दूसरी पत्नी को सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और वह सारी सम्पत्ति का अपनी संतान को उत्तराधिकारी बना देती है और दूसरी पत्नी जो मृतक हो गई उसकी संतान वंचित हो जाती है और वह दर-दर मारे फिरते हैं और उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में भली प्रकार जानकारी प्राप्त कर इसमें संशोधन करें, उत्तराधिकार के सम्बन्ध में न्याय होना चाहिए। कितने ही लोग अभी तक उत्तराधिकार केअधिकार से वंचित हो चुके हैं। उनको उत्तराधिकार का अधिकार दिलाया जाय। यह बात मैं समझता हूं कि न्याय की होगी।

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

न्याय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि न्याय प्रणाली को हम इस तरह बनाने जा रहे हैं कि हमारे प्रदेश में स्वच्छन्द याय सब को प्राप्त हो। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में स्वच्छ न्याय दिलाना है तो न्यायाधीशों के सम्बन्ध में न्यायाधीशों के ऊपर भी दृष्टि रखनी होगी। मैं समझता हूं कि 30 सालों में हम देश में लोगों को न्याय नहीं दिला पाए हैं। और हमारे देश में न्याय पैसे में बिकता रहा है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं मैं जानता हूं कि ऐसे कुछ कोर्ट हैं, यह हमारी सामाजिक बुराई हैं हमारे देश में न्याय बिकता है। श्रीमन्, मैं न्याय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि इस प्रणाली को वे दूर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। जनता पार्टी की सरकार इस काम को ठीक कर सकती हैं तो लोगों को न्याय मिलेगा। अगर यही प्रणाली रही तो मुझे दुख है इसमें न्यायाधीश ही दोषी नहीं हैं, इसमें पैसे से खरीदने वाला दूसरा पक्ष भी दोषी है और इसके बीच में जो दलाल-वकील लोग हैं, वे भी इसके दोषी हैं। न्याय को पैसे से बिकवाने वाले दलाल और खरीदने वाला दूसरा पक्ष तथा न्याय बेचने वाले न्यायाधीश सभी समान रूप से इसके लिए दोषी हैं। मैं चाहूंगा, इस प्रणाली को समाप्त किया जाए और इस पर एक कड़ी निगाह रखी जाए। मैं न्याय मन्त्री का कृतज्ञ हूं, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया है, वास्तव में यदि ऐसा ही हुआ और कथनी और करनी में अन्तर नहीं हुआ, तो इस देश में वास्तव में न्याय प्राप्त होगा। लेकिन साथ साथ मैं यह जरूर चाहूंगा कि कुछ काले कानूनों द्वारा जिन लोगों को अन्याय से पीड़ित होना पड़ा है, उनके बारे में क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको फिर से न्याय प्राप्त हो? जैसा अभी मैंने उत्तराधिकार के विषय में कहा हैं। इसका आश्वासन मैं चाहूंगा और इस वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह अपने भाषण में अवश्य कुछ उत्तर दें और इस बात का आश्वासन जनता में देने की कृपा करें कि वास्तव में न्याय उनको न्याय के रूप में प्राप्त होगा। जो उत्तराधिकार से वंचित रहे हैं, जिसमें भीषण-भीषण काँड हुए हैं इन उत्तराधिकार के दो प्रकार के कानूनों द्वारा, धारा 22 से 25 तक जिसमें यह बात हुई है वह उसमें तुरन्त परिवर्तन कर दें। साथ ही ऐसी अनाधिकार चेष्टा करने वालों को दंडित किया जाए और उत्तराधिकार से वंचित रहने वालों को पुन: उत्तराधिकार दिलाने की कृपा की जाए।

श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय न्याय मन्त्री जी की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं भारत की 60 करोड़ जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिसने लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों में जनतन्त्र तथा न्यायपालिका की रक्षा की है, वह बधाई की पात्र है। साथ ही साथ जो आज कारागार तथा न्यायपालिका के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, उस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जो जेल की हालत है वह बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि यह कांग्रेसी शासन की पुरानी व्यवस्था है। इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है यह जेल बहुत पुराने समय से बने हुए चले आ रहे हैं और मुझे जेल जाने का मौका इस अपातकालीन स्थिति में मिला है। मैंने देखा है, वहाँ रहना दुश्वार है। जहाँ तक बरसात के मौसम का सवाल है, इन दिनों में रात के वक्त लोगों को रहना दुश्कर है। क्योंकि वहाँ पर लाइट की कमी की वजह से लोगों को, खास तौर से मैं बाराबंकी के लिए जिक्र कर रहा हूं, रात में लोग जमीन पर लेटते थे, रोशनी की कमी की वजह से उनको साँप बिच्छू का खतरा बना रहता था। साथ ही साथ, अन्डर ट्रायल के लिए व्यवस्था है कि उनसे जेल में काम न लिया जाय लेकिन इसके बावजूद भी अन्डरट्रायल्स से मुतवातिर काम लिया जाता है।

साथ ही साथ भोजन वगैरह की व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी है। साग सब्जी के उनको दर्शन नहीं होते हैं। केवल मरसा वगैरह का साग ही दिया जाता है। राशन इतना खराब होता है कि उसमें कंकड़ मिले रहते हैं?

इसके अलावा जहाँ तक कपड़े का सवाल है, जाड़े के दिनों में उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। वे बेचारे जाड़ों में ठिठुरते रहते हैं? साथ ही साथ जो टाट-पट्टी दी जाती है उसकी हालत बहुत खराब है।

साथ ही साथ मैं कहूंगा कि वहाँ खटमल का दरबार मुस्तकिल लगा रहता है। खटमलों की वजह से सोना दुश्कर हो जाता है। मैं इन चीजों की तरफ माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी इस दुर्व्यवस्था को दूर करने का प्रयास करें।

साथ ही साथ जो सेल बने हुए हैं जिसमें अकेला मुलजिम रखा जाता है, उसमें लैटरिन की भी व्यवस्था, उसी में वह पेशाब भी करता है और उसी में वह लेटता भी है। ये सारी चीजे घृणित हैं। साथ ही साथ गर्मियों के दिनों में उसमें रहना बहुत ही खराब महसूस होता है। तनहाई की बैरकों की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

जेल के शौचालयों की बहुत खराब हालत है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि हर बैरक मे पानी के लिए नल की व्यवस्था होनी चाहिए। और शौचालय फ्लश टाइप के होने चाहिए नहीं तो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

वहाँ लाइब्रेरी भी होती है, लेकिन उसमें किताबें नहीं होती। कहने के लिए जेल में लाइब्रेरी मौजूद है लेकिन पढ़ने के लिए जब किताबें खोजी जाती हैं तो उनकी व्यवस्था नहीं है। वहाँ अध्यापकों का भी अच्छा इन्तजाम नहीं है। इन चीजों की व्यवस्था तभी सुचारू रूप से हो सकती है जब कि जेल मैनुअल में आमूल परिवर्तन किया जाय।

इसके अलावा न्यायपालिका की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहने के लिए न्यायपालिका बनी हुई है लेकिन जो मुकदमेबाज लोग हैं उनको न्याय सुलभ नहीं हो पाता है। उसकी वजह यह है कि मुकदमों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जाती है और मैजिस्ट्रैटों की संख्या घटती जाती है। अगर हमारी सरकार यह चाहती है कि लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिले तो उसके लिए जरूरी है कि अदालतों की स्थापना की जाय, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, जजों की वहाँ पर नियुक्ति की जाय। तभी बहुत से पुराने मुकदमें जो पड़े हैं उनका निपटारा किया जा सकता है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान तहसील अदालतों की ओर ले जाना चाहता हूं। उनमें बहुत सी कमियाँ हैं। परगनाधिकारी तहसील में चले गए हैं लेकिन उनके रहने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है जो कर्मचारी गए हैं उनके भी रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत में उनको न्याय करने में मुश्किल हो गयी है। राज्य सरकार का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और परगनाधिकारी पर इतनी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि वह सब मामलों में ध्यान ही नहीं दे पाता है। मेरा सुझाव है कि परगनाधिकारी एक्जीक्यूटिव आफीसर का काम करे और अलग से जुडीशियल आफीसर की नियुक्ति की जाए। रोजाना काफी तादाद में दरख्वास्तें आती हैं, परगनाधिकारी को इतना समय नहीं मिल पाता है कि गाँव-गाँव जाकर उनकी छानबीन करे और उन पर कार्यवाही करे। तहसीलों में एक्जीक्यूटिव आफीसर और एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा शासन का काम चलने वाला नहीं है। मुकदमों में जो देरी की जाती है उसके कई कारण हैं। मुकदमों में चार्जशीट जो आती है उसमें बड़ी देरी की जाती है और जब वह आ जाती है तो पुलिस आफिस में बहुत समय तक पड़ी रहती है। इस तरह से जो लोग जमानत पर होते हैं उनको बारबार आना पड़ता है जिसके कारण आने जाने में तमाम पैसा खर्च होता है, तो जो यह कहा जाता है कि सस्ता न्याय दिया जाएगा वह नहीं हो पाता है। समन वगैरह की सर्विस का मामला है यह बहुत ही कठिन कार्य है। जो लोग पैसा खर्च लेते हैं उन पर सर्विस नहीं हो पाती है। गाँव में पार्टी बन्दी चलती है और लोग पैसा देकर वापस करा देते हैं और उसमें यह लिखा देते हैं कि लेने से इन्कार किया। इन हालातों को देखते हुए मैं चाहूंगा कि न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया जाए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो आई0 पी0 सी0 और सी आर0 पी0 सी0 हैं यह बहुत पुरानी हैं। इसमें जो 109 और 110 धारायें हैं इनके द्वारा बड़े लोग छोटे लोगों को परेशान करते हैं। उन पर 109 के मुकदमें चलवा देते हैं और फिर पैरवी करते हैं और अपने घर काम करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय सत्यपाल सिंह यादव, बोलेंगे उसके बाद माननीय मन्त्री जी बोलेंगे।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मेरे कटौती के प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष में बोलने का अवसर दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि न्याय प्रशासन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य पाल सिंह यादव]

और कारागार के सम्बन्ध में जो बातें मैंने रखी थीं, उनको माननीय सदस्यों ने चाहे वे इधर के हों चाहे उधर के हों, हमारी बात का समर्थन किया है। मैं कारागार के विषय में 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। वहाँ पर एक तो शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है। जहाँ पर कैदी सोते हैं उसी के पास शौचालय बने हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मैं चाहता हूं कि जेलों में फ्लश टाइप लेटरिन्स बनवाने की व्यवस्था की जाए। मैं समझता हूं कि फ्लश लेटरिन्स बनाने की योजना पिछली सरकार ने स्वीकार कर ली थी।

एक बात का मैं जिक्र कर रहा हूं वह है कि जेलों में भोजन की व्यवस्था अत्यन्त ही शोचनीय है। दाल के नाम पर जो दाल दी जाती है और उस दाल से यदि आप नहा लें तो वैसे ही नहा लेंगे जैसे पानी से नहाते हैं। एक भी दाने दाल का नाम नहीं है। रोटी काली होती है, जली होती है। जेल अधीक्षक और जेलर जेल में चोरी करवा देते हैं। और वह अनाज बाजार में बिकता है। हमने देखा है कि वह रोटी जेलर के जानवर खाते हैं। उस बाजार में बिकने वाले अनाज का साल भर का कांट्रेक्ट होता है। पहले वह गल्ला खरीदते हैं और फिर चोरी करवाते हैं।

पहले जेल विजिटर्स हुआ करते थे वह किसी तरह उन पर नियन्त्रण रखते थे। लेकिन अब वह नहीं हैं और उस जेलर पर अब कोई भी अंकुश नहीं है कि उनकी चोरी पकड़ी जा सके। किसी प्रकार भी माननीय सदस्यों का या जन प्रतिनिधियों का अंकुश नहीं है। हमने पहले भी जेलों में ऐसी चोरियों को पकड़ा है और मैंने पिछली सरकार को लिख कर दिया और उस पर कार्यवाही भी हुई। आज जेलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

प्रोबेशन की प्रक्रिया मान्यवर इतनी जटिल है कि जब कोई बन्दी जेल में होता है तो उसके घर वाले इतनी जानकारी नहीं रखते, उनके पास साधन नहीं हैं कि वह लखनऊ आ सकें, आपके सचिवालय आ सकें जिससे उनकी जमानत हो सके। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ शक्तियां जेल अधीक्षक और जेल मजिस्ट्रेट को अवश्य दी जानी चाहिए कि यदि किसी बन्दी का चरित्र अच्छा है उसका दोष नहीं है तो उसको प्रोबेशन की जमानत उसकी सिफारिश पर हो सके इसके लिए मेरा आप से निवेदन है कि प्रोबेशन पर जमानत की प्रक्रिया को आप सरल बनायें।

मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि हमारे नए जेल मन्त्री जी जिनमें कार्य करने की क्षमता है, जेलों में सुधार करने की उनकी इच्छा है, जनता को उनसे बड़ी आशायें हैं, उनकी निगाह इस ओर अवश्य जाएंगी।

जेल प्रशासन के बारे में एक निवेदन और कर दूं। इस समय जो प्रमोशन्स की व्यवस्था है उसके अन्तर्गत आप बड़ा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट अधिक से अधिक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रट हो जाता है। ए0पी0ओ0जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा पी0ओ0 हो जाते हैं। इसके अलावा जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता हैं वह सेशन्स जज, सिविल जज और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाता है तो उनके तो प्रमोशन के लिए काफी गुंजाइश रहती है और उसके काफी प्रमोशन्स होते हैं। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने जीवन के आखिरी चरणों में अधिक से अधिक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रट हो जाता है। इस तरह से सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेटों में घोर कुंठा और निराशा व्याप्त है। मेरा आप से

अनुरोध है कि इसमें सुधार लाने की कृपा करें। इसी तरह से जो ए0पी0पी0 हैं वे आखिर में ज्यादा से ज्यादा पी0पी0 यानी पब्लिक प्रासीक्यूटर बन जाते हैं जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। एक सबइंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर फिर डी0वाई0एस0पी0 फिर एस0पी0 और एस0एस0पी0 आदि बन जाता है, लेकिन इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अतः मेरा आप से अनुरोध है कि इन की ओर भी आप ध्यान देने की कृपा करें। जिससे इन लोगों में जो कुंठा विद्यमान है, वह दूर की जा सके।

इन सब बातों के लिए मैं समझता हूं कि आप को आमूल परिवर्तन करने की बात सोचनी होगी। यह बात मैं विरोधी दल में होने के नाते नहीं कह रहा हूं। हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने भी कही हैं। आपको आए अभी डेढ़ माह ही हुआ है मैं नहीं कहता कि आप इतने कम समय में ही सारा काम कर लें लेकिन कुछ बातों की ओर तो आप को अवश्य ही ध्यान देना होगा ताकि जो आपने वायदे किए हैं, जनता को आपसे बड़ी-बड़ी आशाएं हैं, वे पूरी हो सकें। देखना यह है कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम इस समय महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं या सस्ते की तरफ। अगर दिशा गलत है तो अन्जाम गलत होकर रहेगा। उसी तरह न्यायपालिका और जेलों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, देखना यह है कि घटा है या बढ़ा है। अगर घट रहा है, आपने देख लिया तो हमें कुछ नहीं कहना है और अगर बढ़ रहा है तो यह एक दिशा तो है कि हम दो महीने के अन्दर सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं या गलत दिशा की ओर। अगर बढ़ रहा है तो यह इसी प्रकार बढ़ता रहेगा। तो इसमें आमूल-चूल परिवर्तन की बात सोचें। कत्ल और डकैतियों के सम्बन्ध में यह होता है कि कोई डकैती ऐसी नहीं होती कि जिसमें गवाहों से पहिचानने में गड़बड़ी न होती हो। खैर, यह तो प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। यह उस आई0पी0सी0, ताजीरात हिन्द की देन है, ला0 मैकाले ने अंग्रेजों के जमाने में बनाया था, उनको तो ध्यान नहीं था फौजदारी के मामलों को ठीक से सुलझाने का, उनका ध्येय तो यही था कि लगान किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा वसूल करें और अपना अंकुश बनाए रखें। इस काले कानून में आज भगवान और गीता और कुरान की कसम खिलाई जाती है गवाही देने से पहले और गवाही झूठी दिलाई जाती है। अन्जाम यह होता है कि इन्साफ नहीं मिलता, तो विटनेस बाक्स में जाकर जो यह गीता, कुरान की कसम खिलाने की प्रक्रिया है इसमें भी आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यह मैं नहीं कहता कि आप दो महीने में क्या-क्या नहीं कर पाए, लेकिन इस प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं इसमें आप सक्षम हैं।

इसके साथ-साथ आपने कुछ और भी क्रान्तिकारी वादे किए थे कि सवा छः एकड़ लगान माफी, बिक्री-कर खत्म होगा, सस्ता न्याय। न्याय सस्ता तभी मिलेगा जब न्याय जल्दी ला सकें ताकि बार-बार लोगों को अदालतों में न आना पड़े। मैंने देखा कि न्यायालयों में सरकारी वकील तो 10—10बार गवाही पेश नहीं करते तो उनके लिए कुछ नहीं लेकिन अभियुक्त अगर एक बार सफाई पेश नहीं कर पाता तो मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। यह तर्कसंगत बात नहीं है, न्याय की बात नहीं है। इस प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा और इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए।

कोर्ट फीस के लिए. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप तो दूसरा भाषण दे रहे हैं। आपको जवाब देना चाहिए।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

मैं वही कह रहा हूं। जो माननीय सदस्यों ने बात कही है, कोर्ट फीस के सम्बन्ध मे उन्होंने कहा है कि कम होनी चाहिए। कम नहीं करते हैं तो सस्ता न्याय दिलाने की बात थोथी बात रह जाती है। तो कोर्ट फीस के बारे में आपको विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

कुछ सदस्यों ने कहा कि न्याय के पहलू कुछ ऐसे हैं जिन में एग्जिक्यूटिव शक्तियाँ, प्रशासनिक और अधिनायिक दोनों एक जगह एकत्रित हैं। 1974 में अलग किया गया था, तो इस त्रुटि को दूर करने की आवश्यकता है तभी इन्साफ मिल पाएगा।

109 और 110 दफाएं आज गरीबों के लिए बनाई गयी है, यही मालूम होता है। किसी अमीर के लिए नहीं। किसी अमीर का ल ;का बन्द नहीं होता। पुलिस विभाग के लोग इनाम पाने के लिए गरीबों को बन्द कर देते हैं और वह सजा काटते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार का कोई सुधार होना चाहिए जिससे पुलिस वाले फायदा उठाने के लिए, इनाम पाने के लिए 109 और 110 का दुरुपयोग न करें जिसके अन्दर यह न्याय प्रणाली प्रभावित हो रही है और गरीबों को इन्साफ नहीं मिल पा रहा है।

जिलाधिकारी किसी को लाइसेन्स के ऊपर आर्म्स देता है तो उसी के निदेश पर परगनाधिकारी उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति करता है। अगर अस्वीकृत करता है तो जिलाधिकारी के यहाँ ही अपील होती है। जब परगनाधिकारी जिलाधिकारी के निदेश का पालन करते हैं और उन्हीं के यहाँ अपील आती है तो इसका क्या औचित्य है? जब कोई अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता है कि उसे कोई वेपन मिलना चाहिए तो ऐसे लोगों को इन्साफ नहीं मिल पाता है। एक तरफ कार्यकारिणी की उनके पास शक्ति है और दूसरी ओर इन्साफ करने की शक्ति भी उन्हीं के पास विद्यमान है। इस प्रक्रिया में भी आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

अन्त में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं आपसे यह कहूंगा कि जो सुझाव हमारे माननीय सदस्यों ने दिए हैं उन पर आप विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो आप द्वारा अवसर पा कर किसी न किसी रूप में मुझे सुझाव दिए और मैं उनका भी आभारी हूं जो बोलने का अवसर न पाकर मन के अन्दर ही सुझावों को संजोए रहे। मैं उनसे आशा करता हूं कि वह लिखित सुझाव मुझे भेज देंगे और मैं उनके गुणावगुण पर विचार करके उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं इस बात को मानता हूं कि समाज और शासन में कोई भी परिवर्तन तभी आ सकता है जब उससे सम्बन्धित सभी लोग सामूहिक रूप से, संगठित रूप से एक दूसरे के सुझाव का आदर करते हुए कार्य करें, नियम बनाएं, पद्धति बनाए और परिवर्तन लायें। इसीलिए प्रारम्भ के दिनों में ही जब मुझे यह भार सौंपा गया तो मैंने अपने सभी माननीय सदस्यों को पत्र लिख कर यह आग्रह किया था कि न्याय और जेल से सम्बन्धित जो सुधार चाहते हों वह लिख कर दें, मैं आदर के साथ उन पर विचार करके यथासम्भव उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न करूंगा। इसी दृष्टि से यह पहला अवसर है जबकि बार एसोसिएशनों और जिला जजों से कानून के बारे में सुझाव माँगे गए, उनके सुझाव आ भी गए हैं और उनका हम आदर भी कर रहे हैं। जब हमने उनसे कहा कि आप लोग सुझाव कम भेजते हैं तो उन्होंने कहा कि अब तक जो शासन था उसने हम लोगों के सुझावों का कभी आदर नहीं किया इसलिए हम लोग सुझाव देने में हिचकिचाते हैं। इसीलिए मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप कोई भी सुझाव भेजें डेढ़ महीने के अन्दर मैं उसका उत्तर भेज दूंगा और हमारे विभाग के अधिकारियों ने, जिनको मैं धन्यवाद देता हूं, उनके सुझावों का आदर किया और हमारे आदेशों के अनुसार उनका उत्तर भी दिया।

माननीय सदस्यों ने जनता पार्टी के समस्त वायदों की याद दिलाई, विशेष रूप से मंहगाई और भ्रष्टाचार के बारे में। जब इतने अनुभवी साथी भी जानबूझ कर ऐसी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जानते हुए भी वह अनजान बनते हैं, गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं। साधारण किसान से भी पूछिए, जो दुनिया को रोज की गतिविधियों से दूर है, वह भी जानता है कि समाज की बहुत सी बुराइयाँ एक–दो महीने या साल, दो साल में उत्पन्न नहीं होती। विशेषकर शासन के कार्यों के कारण समाज में जो अच्छाई या बुराई उत्पन्न होती है वह दो–चार महीने या साल–दो साल में नहीं होती। शासन के कार्यों का परिणाम या दुष्परिणाम बहुत वर्षों बाद दिखलाई पड़ता है। आज मंहगाई और भ्रष्टाचार की भी वही स्थिति है। मैं यह नहीं कहता कि मंहगई और भ्रष्टाचार नारायण दत्त जी तिवारी या बहुगुणा जी के कार्यकाल की बात थी। यह तो पिछले 30 साल शासन रहा उसके कार्यों का परिणाम है। यह बुराइयाँ एक दिन में हटाई जा सकती हों, यह सम्भव नहीं है। हाँ जनता पार्टी यह आश्वासन देती है कि इन बुराइयों को दूर करने के लिए वह कटिबद्ध है, लेकिन इसमें समय लगेगा। जो बुराइयाँ 30 वर्षों के कार्यों के परिणामस्वरूप आई हैं उनको तीन महीनें में अगर कोई माननीय सदस्य दूर करने को कहे तो यह बात समझ में नहीं आती। यह भी मैं उसके विवेक पर ही छोड़ता हूं कि वह यह सोचे कि यह जो माँग है कितनी यथोचित है।

मान्यवर, इसी तरह से न्यायाधीशों का नाम लेते हुए जस्टिस अस्थाना का नाम लिया गया और कहा गया कि वह पार्टियों में जाते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्यों कहा गया? यह या तो अनभिज्ञतावश कहा गया हो या और कारणों से कहा गया हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि जस्टिस अस्थाना पहले थे, लेकिन इस समय वह राज्य सभा के सदस्य हैं। मैंने अपने पूर्व भाषण में मेरठ बेंच की चर्चा किया था। लेकिन हमारे, जो कभी हमारे साथ बैठने वाले विरोधी की भाषा में स्वर मिलाने वाले, साथी आज उधर हैं, दुर्भाग्य है, तरस भी आता है कि पहले भी वह विरोध में थे और आज भी वह विरोध में ही

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

बैठते हैं, उन्होंने यह कहा कि मैंने अपने भाषण में यह बात कही कि मेरठ बेंच स्थापित करने से प्रदेश की अखण्डता को खतरा पैदा होगा। यह न तो मेरा विचार है, न तो मेरे दल का विचार है और न तो शासन का ही विचार है कि मेरठ में बेंच स्थापति करने से प्रदेश को खतरा पहुंचेगा। यह मेरठ बेंच विचाराधीन है। यह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार जो निर्णय देगी, वह मुझे शिरोधार्य होगा। मैंने यह कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ आख्या माँगी है, कुछ पूछ-ताछ की है मेरठ बेंच के बारे में, वह भेज दिया जायगा और उसके बाद जो केन्द्रीय सरकार का आदेश होगा, वह इस सरकार को शिरोधार्य होगा।

वकीलों की व्यवस्था के बारे में कहा गया। मान्यवर, वकील न्यायपालिका का अंग है, न्यायपालिका की अच्छाई और बुराई के लिए वह जिम्मेदार है। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता में वह भागीदार है। मान्यवर, उसका प्रोफेशन है, वह उसका पेशा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे विभाग ने यह निर्णय लिया है कि बार एसोसिएशन को एक रुपया वार्षिक, टोकेन की तरह से है, पर जमीन दे दी जायगी, न्यायालय के कम्पाउण्ड के अन्दर। वह चन्दे से बार असोसिएशन उस पर बना लें, शासन को कोई आपत्ति नहीं है। शासन जमीन देने के लिए तैयार है, अब भवन बनाने का काम चन्दा लगा कर बार एसोसिएशन कर ले। यह उनका सहयोग भी होगा शासन के प्रति, क्योंकि वह संकट को जानते हैं कि किस तरह से इस शासन को वित्तीय संकट में छोड़ा गया है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हर सहयोग मेरा, हर सहयोग उनका हो जिससे दोनों की समस्याएं सुलझ जायं।

मान्यवर, न्यायाधीशों और वकीलों के कोड आफ कण्डक्ट की बात की गयी। मान्यवर, वह बुरे दिन होंगे, वह दुरदिन होगा, समाज के लिए, न्यायपालिका के लिए, जिस दिन माननीय न्यायाधीशों और समाज के सर्वोच्च वकील वर्ग के लिए शासन को कोड आफ कंडक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा विश्वास है, इस सदन की आज भावना प्रकट हुई, जनता की आकाँक्षा बढ़ी है, इन सबको देखते हुए, सबसे जागरूक वर्ग, सबसे जिम्मेदार वर्ग स्वयं में परिवर्तन लाएगा। जिस तरह से शासन आश्वस्त करता है, वह भी आश्वस्त करेंगे और जनता में उनके प्रति विश्वास पुनः स्थापित होगा। यह मैं आशा करता हूं कि वह दिन नहीं आएगा कि शासन द्वारा माननीय न्यायाधीशों के लिए और वकीलों के लिए कोड आफ कण्डक्ट बनाने की आवश्यकता होगी।

मान्यवर, विकेन्द्रीकरण के बारे में बात की गयी। कुछ साथियों ने कहा कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों को तहसील केन्द्रों पर ले जाया जाय। कुछ साथियों ने कहा कि न ले जायं। तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनता को सरल, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए विकेन्द्रीकरण करना होगा। हम विकेन्द्रीकरण को अपनाएं। शासन इसको कार्यान्वित कर रहा है लेकिन कुछ वित्तीय संकट हैं। प्राथमिक आधार पर आवश्यकता को देखा जा रहा है और विचार किया जा रहा है कि धीरे-धीरे मुन्सिफ न्यायालयों को तहसील केन्द्रों पर ले जाया जाय। मुन्सिफ कार्यालय को दूसरी जगहों पर ले जाना यह तो जरूरी है ही लेकिन आज जो समस्या है उसको देखते हुए कि जिले की आबादी, पूरे

जिले की आबादी, पूरे जिले का शिक्षित वर्ग, बौद्धिक वर्ग धीरे-धीरे जिला केन्द्रों पर एकत्रित होता जा रहा है। सारा विकास जिले के केन्द्र पर सिमट रहा है इसके लिए और भी विकेन्द्रीकरण आवश्यक है।

आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है, शौचालय और अन्य सारी चीजों की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मान्यवर, शासन की नीति है कि यह जो सभ्यता है उसका गाँवों की ओर भी विकास हो। तो मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट को तहसील केन्द्रों पर ले जाने से जहाँ न्याय आसानी से मिलेगा वहाँ उसके साथ-साथ वकील वर्ग भी वहाँ जायेगा। वहाँ रहेगा तो अनेक चीजों का विकास होगा। अनेक समस्याएं सुधरेंगी। एक तो न्याय मिलेगा, आवासीय समस्या है, शहरों की आबादी बढ़ने की समस्या है और अन्य जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। तहसील केन्द्रों पर मुन्सिफ और वकील रहेंगे तो वहाँ की शिक्षा, सभ्यता और रहन-सहन पर असर होगा और वहाँ की लोकैलिटी पर भी असर होगा। तो इस तरह से दो फायदे होंगे, न्याय मिलेगा और सभ्यता का विकास गाँवों में चालू होगा। अनेक समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए शासन इस पक्ष में है कि विकेन्द्रीकरण किया जाय। कहा जा रहा है कि तहसील स्तर पर ले जायेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। दिक्कतें होंगी। तो जब हम अपने घर को बदलते हैं व्यवस्था में परिवर्तन आता है तो थोड़े समय के लिए अव्यवस्था दिखलाई पड़ती है। इस थोड़ी सी अव्यवस्था को देखकर ऐसी व्यवस्था न करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। जब हम पुराने घर को छोड़कर नए घर में जाते हैं तो पुराने घर में बहुत सा सामान रह जाता है। चूल्हा नए मकान में चला गया बेलन पुराने घर में रह गया तो इस तरह की अव्यवस्था थोड़े समय के लिए होती है। इस अव्यवस्था के कारण हम नए मकान में जाने का निर्णय नहीं बदलते हैं। तो विकेन्द्रीकरण की नीति को कार्यान्वित किया जायगा। विकेन्द्रीकरण के पीछे जैसा मैंने कहा कि छोटे-छोटे मुकदमों को न्यायालयों से हटाकर तहसील स्तर की एजेंसियां लागू की जायेंगी जो तत्काल फैसला करें। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मोबाइल-कोर्ट का सुझाव है। यह विचाराधीन है।

एक प्रश्न और विचाराधीन है। गाँधी-वादी आदर्शों के अनुसार कि हमारे गाँव सम्पन्न हों, सुदृढ़ हों, सक्षम हों, यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या गाँवों के अन्दर कोई समिति हो जो न्याय पालिका के समकक्ष हो, जिसमें जनता का विश्वास हो। क्योंकि न्याय पंचायतों में वह विश्वास नहीं रहा है जो न्याय पाने के साथ-साथ में होना चाहिए। इसलिए न्याय पंचायतों की जगह पर कोई समिति बनाई जाय जिसमें जनता का विश्वास हो और जो गाँव के स्तर पर निर्णय दे जिससे गाँव विकसित हों, स्वावलम्बी हों। यह भी विकेन्द्रीकरण के अन्दर है। मान्यवर, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात आई। फ्री लीगल-एड की बात हम पूरी नहीं कर पाए। उसके ढांचे में नया परिवर्तन किया जाय जिससे फ्री-लीगल-एड का लाभ गरीब जनता को मिल सके। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि उनको नकल लेने के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जाय, उनको फीस जमा करने के लिए सहायता दी जाय। तो मान्यवर, तीन महीने का कार्यकाल हमको मिला है इसका मतलब यह नहीं कि हमारी दृष्टि से ओझल हो जाय। इसलिए अगले साल जब बजट प्रस्तुत करेंगे तो कुछ करके दिखायेंगे, जो नीति है गरीबों को अधिक से अधिक सहायता देना उसमें शासन बल देकर उनको विकसित लोगों के बराबर कर सके।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि न्याय प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77 में निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता जिसमें कहा गया है कि कानूनी सहायता देने वाले वकीलों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है तथा ऐसी नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के वकीलों को यथासम्भव प्राथमिकता दी जायगी। इन्होंने हरिजनों का नाम नहीं लिया है जबकि कह रहे हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता दी जायगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने भारतीय दण्ड विधि के अनुसार कौन-कौन धाराओं के अनुसार कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता दी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जिस ओर माननीय सदस्य ने इंगित किया वह अच्छा किया। मैं तो अपने द्वारा किया गया कार्य ही भूल रहा था। इसलिए मान्यवर, सरकार ने वकीलों की नियुक्ति, डी0जी0 सी0, ए0डी0जी0सी0 की नियुक्ति, पैनल लाइयरकी नियुक्ति के आदेश दिए हैं, जिसकी कापी यदि माननीय सदस्य देखना चाहें तो मैं दिखला दूंगा, जिलाधीश को स्पष्ट निर्देश भेजे हैं कि इन लोगों की नियुक्ति में पिछड़े वर्ग के लोगों, हरिजन लोगों और शिड्यूल कास्ट के लोग यदि एप्लाई करते हैं तो शासन की नीति है कि उनको प्राथमिकता दी जाय, उनको प्राथमिकता देकर पैनल में नाम भेजे जायं, यह आदेश यहाँ से जा चुके हैं।

मान्यवर, स्पेशल मजिस्ट्रेट की समाप्ति के बारे में माँग की गयी है। तो सब बातें जिनको प्रारम्भ में कहा गया उन्हीं को पुनः दोहराया गया है। मैंने प्रारम्भ में कहा था कि स्पेशल मजिस्ट्रेट को समाप्त करके उनकी जगह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने की नीति को शासन ने स्वीकार कर लिया है। 200 स्पेशल मजिस्ट्रट नियक्त हैं। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें जल्दी नहीं कर सकते हैं चूंकि उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा होती है और ज्यों ही नियुक्ति की कार्यवाही पूरी कर दी जायगी स्पेशल मजिस्ट्रेट को हटा कर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट रख दिए जायेंगे।

मान्यवर, जहां तक कापिस्ट का सवाल है। यह पुलिस विभाग के अन्तर्गत थे। 500 कापिस्ट का प्राविधान बजट में किया गया है। इससे न्याय पाने वालों को मुकदमें की कापी जल्दी मिल जाएगी।

मान्यवर, जहां तक पंचायती कानून और दूसरे कानूनों की बात कही गयी है उनमें अलग-अलग परिवर्तन करना उचित नहीं है। मैंने प्रारम्भ में कहा था कि अपने विभाग में एक सेल बना दिया है जिसका नाम पंचायती कानून और प्रदेश में पहले जितने कानून बनाए हैं उनको और अधिक व्यावहारिक और सरल बनाने के लिए उनका पुनरीक्षण किया जायेगा। वह चाहे न्याय विभाग से सम्बन्धित हों या न हों। उनमें जो भी सुझाव आयेंगे व्यावहारिकता के आधार पर अध्ययन करके विभाग के सामने प्रस्तुत किया जायगा फिर चाहे उन को स्वीकार करें या न करें। इसलिए सारे कानूनों पर काम पहले से ही चल रहा है। इस लिए अलग-अलग बातों पर अलग-अलग काम लेना उचित नहीं होगा।

हमारे एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने बड़ा अजीब प्रश्न उठाया कि जार्ज फरनाण्डीज का मुकदमा वापस लेकर न्यायालय में अविश्वास प्रकट किया है। मान्यवर, न्यायालयों पर जिन्होंने अविश्वास किया और जो उसके पात्र थे वही आज हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं।

जार्ज का मुकदमा अदालत से वापस लेकर न्यायालय में अविश्वास प्रकट नहीं किया बल्कि लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि अब गलत मुकदमें चलाकर किसी को नहीं फंसाया जायगा। लोगों के ऊपर किसी विद्वेष की भावना से अब मुकदमें नहीं चलेंगे, यह विश्वास पैदा करने के लिए जार्ज का मुकदमा केन्द्रीय सरकार ने वापस लिया और साथ ही मान्यवर, प्रदेशीय सरकार ने भी राजनैतिक मुकदमों को विशेष रूप से वापस लेने का आदेश किया है। इससे न्याय-पालिकाओं में अविश्वास प्रकट करना नहीं है बल्कि लोगों में यह विश्वास सुदृढ़ करने की दृष्टि से किया है कि अब किसी के विरुद्ध राजनैतिक विद्वेष से कोई कार्यवाही नहीं होगी, गलत मुकदमें चलाकर किसी को फंसाया नहीं जायगा। इसी दृष्टि से मान्यवर, यह कार्यवाही की गयी।

एन्टीसिपेटरी बेल की बात कही गयी। इसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है। हमारे माननीय सदस्यों ने भी स्वीकार किया कि इस प्रावीजन से लोगों ने गलत फायदा उठाया है और वे लोग लाभान्वित हुए जिनको पुलिस के हाथ में रहना चाहिये था, जेल के अन्दर होना चाहिए था। इसी दृष्टि से एन्टीसिपेटरी बेल का प्रावीजन अण्डर कन्सीडरेशन है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था हमारी नीति है कि कोई भी सभ्य व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति पुलिस के हाथों गलत तरीकों से अपमानित न हो। जहां शासन का यह धर्म है वहीं शासन का यह भी धर्म है कि समाज को और शासन को विखंडित करने वाला व्यक्ति कानून की ढिलाई की वजह से पुलिस के हाथों से निकल न जाय। इन दोनों बातों को बैलेन्स करते हुए सी0आर0पी0सी0 ऐक्ट में और साथ ही ऐन्टीसिपेटरी बेल के प्राविजन पर विचार किया जा रहा है और विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायगा।

जुडिशियरी में मुन्सिफ और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पक्षपात करने की बात कही गई। मान्यवर, हमारी नीति किसी के साथ पक्षपात करने की नहीं है। जिसका जितना ड्यू है उसको दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष––

मन्त्री जी, थोड़ा कारागार के बारे म भी प्रकाश डालिए क्योंकि समय अधिक नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

धन्यवाद। ए0पी0पी0 की बात कही गयी। उसके बारे में भी कार्यवाही की जा रही है। हमने आग्रह किया है कि न्याय सचिव और गृह सचिव आपस में बैठकर उनके प्रतिनिधि मण्डल को बुलाकर बात कर लें और रिपोर्ट तयार करें। उसके बाद मन्त्रि मण्डल या शासन उस पर विचार कर अन्तिम निर्णय लेगा। इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इस पर विचार चल रहा है और विचार में थोड़ा समय लगता ही है।

मान्यवर, लोग भी इच्छुक हैं और आप भी कि मैं जेल के बारे में कुछ कहूं। जेल से इतना लगाव हो गया है कि उसकी बात अच्छी लगती है। अधिकारियों के प्रोन्नति की बात कही गयी। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही कर लें और मन्त्री को पता न लगे। जितनी प्रोन्नति हुई है उनको मैंने देखा है। केवल सीनियारिटी के आधार पर लोग कम्प्लेन्ट करते हैं। केवल सीनियारिटी ही आधार नहीं हो सकती।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

किसी अधिकारी ने अपने लम्बे समय में क्या कार्य किया है वह भी प्रोन्नति का आधार बनता है। उस पर ही प्रोन्नति दी गयी है और मैं उससे सन्तुष्ट हूं। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि मेरी सारी जानकारी परफेक्ट है, पूर्ण है। हो सकता है कि माननीय सदस्यों की जानकारी कुछ ऐसी हो जहां गलती हो। वे मुझे इसके लिए इंगित करेंगे ताकि उसमें जांच करा सकें और गलत तरीके से प्रोन्नत हुए हैं ठीक किये जायं। माननीय सदस्य हर पहलू पर अपने विचारों से अपने सुझावों से अवगत कराते रहेंगे, मेरा आग्रह है।

शौचालय साफ करने की बात माननीय सदस्यों ने कही। इस बात के निदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अब कन्धे पर शौच नहीं ढोएगा। इसके लिए ठेला गाड़ी दिलाई जाय। पी0आर0ए0 लैट्रीन के लिए दस लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। लेकिन कोई भी काम एक साथ नहीं हो सकते।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

पहले भाषण मन्त्री जी को समाप्त करने दीजिए। आप लोग शान्त रहें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

भोजन की व्यवस्था की बात कही गयी। इसमें सुधार के लिए हम 30 तारीख को अपने अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं। कोई निर्णय लेंगे। भोजन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समुचित रूप से चलाने के लिए जेल व्यवस्था भी भागीदार होगी इस बात का निर्णय लिया जा चुका है।

जेल में गलत काम के लिए दंडित कई जेलर निलम्बित किए जा चुके हैं और आज भी मैं स्वयं उन्हें देखता हूं, जिससे अधिकारी सन्तुष्ट नहीं होते। प्रशासन को चुस्त करने के लिए यदि किसी का निलम्बन आवश्यक है तो उनको निलम्बित किया जाता है। लखनऊ जेलर के बारे में मोती लाल देहलवी जी से अधिक नहीं कहना चाहूंगा। यदि वे उपस्थित हों तो सुन लें, नहीं कोई बता देगा कि जिस जेलर की बात उन्होंने कही उसकी पूरी फाइल हमारे पास है। उसमें बहुत से तथ्य हैं। वे आकर देख लेंगे और उसके बाद स्वयं बता देंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जाय।

जेल व्यवस्था के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य जेलों का विजिट करें। जो दो महीने का हम ने जेल सुधार टारगेट रखा है वे दो महीने के बाद वहां जायं और देखें कि जेल प्रशासन में सुधार आया है या नहीं और तब अपनी रिपोर्ट दें, चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के। जो भी सुझाव देंगे उस पर पूरा गौर करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, अन्त में सभी माननीय सदस्यों से और इस सदन के माध्यम से, न्याय पालिका के प्रति जो लोगों की धारणा है, न्यायपालिका से जो लोगों की अपेक्षा है, लोकतन्त्र

में न्यायपालिका का जो महत्व है इन सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए न्यायपालिका से सम्बन्धित जितने भी लोग हैं वे न्यायपालिका की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्रतिस्थापित करने के लिए उसमें आस्था और विश्वास बढ़ाने के लिए न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के लिए अपने-अपने कार्यों का, कर्त्तव्यों का पुनर्निरीक्षण करें। देश में कुछ ही लोग हैं जिन्हें इस देश में लोकतन्त्र न भाता हो वरना इस देश में लोकतन्त्र रहे, अमर रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका प्रतिष्ठित रहे, विश्वसनीय रहे, स्वतन्त्र रहे, निष्पक्ष रहे। इसमें कुछ कमियां आयीं होंगी, आई हैं। माननीय सदस्यों ने जन-भावना के अनुसार जो वस्तु-स्थिति प्रकट की है मैं आशा करता हूं कि प्रदेशीय न्यायपालिका से सम्बन्धित जितने भी लोग हैं, चाहे वे बेंच में बैठते हों, चाहे बार में बैठते हों, चाहे न्यायालय कर्मचारी हों, चाहे बार से सम्बन्धित कर्मचारी हो माननीय विधायक हो या जनता हो सब का यह कर्तव्य है कि इस न्यायपालिका को प्रतिस्थापित करने के लिए अपने कार्यों का, अपने योगदान का पुनर्निरीक्षण करें और ऐसे कार्य भविष्य के लिए, अब तक जो हुआ सो हुआ, लोकतन्त्र को बचाने के लिए, लोकतन्त्र को अमर करने के लिए आवश्यक है हम न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाएं। इसके लिए हमें योगदान दें यही मेरा आग्रह है और आशा करता हूं कि अपने कार्यों का पुनरीक्षण करके न्यायपालिका की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेंगे जिससे न्यायपालिका में आस्था कायम हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथी से आग्रह करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे और सदन से आशा करूंगा कि वह प्रस्तावित अनुदानों को स्वीकार करेगा।

श्री सत्यपाल सिंह यादव––

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं। एक स्पष्टीकरण अवश्य चाहता हूं कि शाहजहांपुर के अन्दर जो बार एसोसिएशन का भवन है उसे तोड़ कर आप न्यायालय के लिए भवन बनाने जा रहें हैं तो क्या आप बार एसोसिएशन के भवन के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

मेरी जानकारी में नहीं है और विभाग की जानकारी में भी नहीं है। इतना जानता हूं कि बार एसोसिएशन की कोई इमारत को गिरा कर न्यायालय नहीं बनाया जायगा और अगर गिराया जायगा तो बार एसोसिएशन की इमारत बनाई जायगी।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4––न्याय प्रशासन––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4––न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,03,52,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--कारागार--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22--कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,28,42,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

कल पिण्डदान करना है। क्या सदन स्थगित रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत मैंने रियासत हुसैन साहब की सूचना को स्वीकार किया है। "जिला मुरादाबाद में अराजकता और अशान्ति के कारण जनता में घोर असन्तोष" दिनांक 21 सितम्बर, 1977 को मुरादाबाद मुख्यालय पर 8 लाशों का पोस्टमार्टम के लिए आना तथा दिनांक 21 व 22 सितम्बर को पुलिस द्वारा एक हरिजन नौजवान को हरिजन कालोनी में गोली से मारना। इसको मैंने स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी को सूचना दें कि किस तारीख को वक्तव्य देंगे ?

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

सूचना दे देंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उद्योग मन्त्री जी ने 5 तारीख इसके लिए मुकर्रर कर दी है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त व्यवस्था का प्रश्न नहीं, प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। आप बैठें। आज से 29, 30, 3, 4 तक सब तारीख लगी हुई हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

पहली को या तीसरी को कर दें।

श्री अध्यक्ष---

तीन तारीख के लिए पहले ही आपका मलेरिया के लिए वक्तव्य देने के लिए रख दिया है। पांच तारीख को वक्तव्य दे दें।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

मान्यवर, कल पितृ विसर्जन है, मैंने कल की बैठक स्थगित करने के लिए मांग की थी।

(व्यवधान)

समस्त उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर मुरादाबाद में मलेरिया के भारी प्रकोप तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं के अभाव के सम्बन्ध में होने वाले नियम 51 के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष---

आप रुकिए। 14 आइटम पर रियासत हुसैन जी के प्रश्न पर स्वास्थ्य मन्त्री जी को आज वक्तव्य देना था उसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसको उनके अनुरोध पर 3 अक्तूबर के लिए स्थगित कर दिया गया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा उपकुलपति का घेराव व आमरण अनशन के सम्बन्ध में होने वाले नियम 51 के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष---

आइटम नं0 15 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उपकुलपति का उनके निवास स्थान पर घेराव तथा आमरण अनशन के सम्बन्ध में आज वक्तव्य देना था, शिक्षा मन्त्री जी ने अनुरोध किया है कि इसको 13 तारीख के लिए मुलतवी कर दिया जाय। मैंने इसको 29 तारीख के लिए कर दिया है।

सदन में आज होने वाले वक्तव्यों के स्थगन पर आपत्ति

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)---

मान्यवर, 29 तारीख को तीन घंटे की सूखे पर चर्चा के लिए रखा है औ उस दिन राजस्व विभाग की मांगों पर बहस और उनको पास होना है। उसके बाद तीन घंटे की बहस है। हम लोगों ने यह बहस के लिए जो नियम 51 में मांग की है उसमें करीब 47 लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसी हालत में 29 तारीख तक बढ़ाना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है उसकी अवज्ञा की जा रही है, यह सदन का अवमान है। आपके आदेश के अनुसार वक्तव्य देने में माननीय मन्त्री जी आना-कानी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज वक्तव्य न दें तो हर हालत में कल वक्तव्य हो जाय। सम्पूर्ण शिक्षा जगत में आज बेचैनी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैं माननीय सदस्य, देवरिया को बधाई देता हूं, बिलकुल ठीक उद्गार उन्होंने व्यक्त किए मैं स्वयं आपसे आग्रह करने वाला था कि यह हो क्या रहा है? आज एक मन्त्री बीमार है, उनकी तबियत खराब है।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

वास्तव में उनकी तबियत खराब।.....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

लेकिन स्वायत्त शासन मन्त्री जी उसके लिए सक्षम हैं वह शिक्षा मन्त्री जी की ओर से वक्तव्य दे सकते हैं। मन्त्रि मण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व है।

(व्यवधान)

आज की ही बात नहीं है 7-8 वक्तव्य स्थगित हो गए हैं। क्या सभी बीमार हो गए?

श्री अध्यक्ष---

ऐसा नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या तमाम सभी मन्त्री बीमार हो गये हैं, शिक्षा मन्त्री बीमार, वित्त मन्त्री बीमार, सब बीमार हैं एक गन्ना विकास मन्त्री जी का आया तो उन्होंने भी उत्तर जो दिया वह भी बीमार हैं फिर श्रीमन् इसका महत्व चला जाता है। इसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि वक्तव्यों से संकट टल जाते हैं। स्थिति का समाधान हो जाता है और शासन का मन्तव्य मालूम हो जाय तो बाहर हड़ताल समाप्त हो सकती है अगर हमारे प्रश्नों का समाधान हो जाय तो हम भी सहयोग दे सकते हैं।

तो यहां पर जो वक्तव्य दिए जाते हैं, उसके कई लाभ होते हैं। इतनी देर लगाना उचित नहीं है। श्रीमन्, काम-रोको-प्रस्ताव होता तो उसी दिन वक्तव्य देना पड़ता है। श्रीमन्, आप हमारे लिए उदार हैं, उतने ही आप शासन-पक्ष के प्रति भी उदार मालूम पड़ते हैं। किन्तु सरकारी पक्ष वाले इसका नाजायज लाभ उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं उदार तो दोनों पक्षों के प्रति हूं, यह आप जानते हैं। अब आप वक्तव्य देने के लिए स्वायत्त शासन मन्त्री जी को उत्तेजित कर सकते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इन्हें श्रीमन्, वक्तव्य देना चाहिए और मैं तो कहूंगा कि आज ही देना चाहिए। भले ही सदन को इसके लिए आप एक घंटे के लिए अभी स्थगित कर दें। आज इलाहाबाद विश्व-विद्यालय ही बन्द नहीं है, आगरा में बन्द है, बरेली में बन्द है। माननीय सदस्य, देवरिया श्री मोहन सिंह जी ने प्रस्ताव शून्य-प्रहर में रखा था, उसमें उन्होंने ठीक ही कहा है कि प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भर में एक के बाद एक विद्यालय, विश्वविद्यालय बन्द होते चले जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि विद्यालय बन्द हों। तो वक्तव्य न देकर शासन या चाहता है कि विद्यालय बन्द रहें ?

श्री अध्यक्ष—

स्वायत्त शासन मन्त्री जी, क्या कल आपके लिए इस पर वक्तव्य देना सम्भव होगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

कल के लिए तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि पाण्डेय जी ने कुछ इस पर निवेदन किया है, अब इस पर आपका निर्णय क्या होगा, मुझे पता नहीं ? आज 26 तारीख है, अब दो दिन ही शेष हैं। शिक्षा मंत्री जी ने किन परिस्थितियों में इसे स्थगित करने की प्रार्थना की है, मैं कह नहीं सकता, वह मुझे मालूम नहीं है, तो इसके लिए मुझे उनसे सम्पर्क करना पड़ेगा तभी मैं कल इस पर बता सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—

देखिए 29 को इस पर चर्चा सम्भव नहीं है। क्योंकि उस दिन के लिए मैंने नियम 52 में राजस्व के बजट के साथ-साथ ढाई घंटे की चर्चा का प्रस्ताव, सूखे और बाढ़ की स्थिति पर स्वीकार किया है। इसलिए बेहतर यह होगा कि अगर आप कल नहीं तो 28 को दे दीजिएगा। 28 तारीख मैं अब निश्चित करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

28 को मैं दे दूंगा।

प्रदेश भर में 57 जिले हैं, उनमें नेता विरोधी दल को आगरा और बरेली के दो जिले ही पसन्द आए हैं, क्योंकि उन्होंने इन दो जिलों का ही नाम याद रखा है।

(हंसी)

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

कल पितृ आह्वान है और अधिकांश लोग इसमें पिण्ड-दान वगैरह करते हैं, अध्यक्ष जी यह बड़ा धार्मिक दिन है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि कल सदन स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

नहीं-नहीं, यह सम्भव नहीं है, कल ग्राण्ट्स हैं।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
26 सितम्बर, 1977।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 662 पर)

श्री गिरजाशंकर तिवारी जिला कृषि अधिकारी, राय बरेली के विरुद्ध आरोपों की सूची

1—बफर गोदाम रायबरेली में 12 टन 4 कुन्टल 97 किलो यूरिया खाद, जिसकी कीमत लगभग 24,840 रु0 होती है, का गबन।

2—बफर गोदाम, रायबरेली में रिबैगिंग के नाम पर लगभग 1,600 नए बोरों का फर्जी प्रयोग दिखाकर लगभग 5,000 रु0 का गबन।

3—सितम्बर, 1975 से जनवरी, 1976 तक कुल पाँच महीने में पुनः 39 टन यूरिया खाद जिसकी कीमत लगभग 78,000 रु0 होती है, का बफर गोदाम रायबरेली द्वारा पुनः गबन।

4—गृह-कर एवं जल-कर के लिए स्वीकृत रु0 17,000 का दुर्विनियोग एवं गबन।

5—मूंगफली की खरीदारी में भ्रष्टाचार एवं घपला।

6—पुराने रेट के उर्वरकों में गबन व घपलेबाजी।

7—कृषि बीज भण्डार, रोरा पर पन्द्रह-सोलह हजार रुपए के गबन के मामले में कोई कार्यवाही न करना।

8—कृषि बीज भण्डार, रोहगों पर लगभग पाँच हजार का गबन होने के बावजूद केस का दबाया जाना।

9—कृषि बीज भण्डार, डल्हौना, जिला रायबरेली में लाखों रुपए का गबन।

10—टी0 ए0 बिलों का फर्जी आहरण।

11—श्री माता सुमिरन भूतपूर्व इंचार्ज तथा श्री मुराहूं सिंह, भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारी, कृषि द्वारा अनेक घपले किए जाने के बाद भी उनके विरुद्ध कार्यवाही न करना।

12—बीज भण्डार, बुरारी दौली में गम्भीर फोरजरी के बावजूद भी कार्यवाही न करना।

13—बफर गोदाम, बछरावां के इंचार्ज, श्री संगम लाल से 34 टन खाद का ब्लैक कराना तथा हेराफेरी द्वारा उसे ठीक कराना एवं 628 रु0 गलत ढुलाई चार्ज करना।

14—श्री सरनाम सिंह, सहायक विकास अधिकारी, कृषि, बछरावाँ ने मार्च, 1973 में एक एक फर्जी ऊसर सुधार दिखाकर जिप्सम में 80 प्रतिशत का अनुदान दिलाया। मामला प्रकाश में आने पर कार्यवाही न होना।

15—श्री सरनाम सिंह, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा 600 रु0 के बारह डिमान्स्ट्रेशन बोर्ड न देने का मामला दबा दिया जाना।

16—बीज स्टाक की सस्ते दर पर नीलामी।

17—भ्रष्टाचार की शिकायतों में जाँच न करना।

18—कृषि फार्म, बीबीपुर में एक ट्रैक्टर आपरेटर की अवैधानिक नियुक्ति।

19—श्री हरि शंकर पाण्डे, भूतपूर्व इंचार्ज को पुनः सेवा में अवैधानिक ढंग से स्थापित करना।

20—नियोजन विभाग के एक प्रचार सहायक की गलत ढंग से सीड स्टोर इंचार्ज के पद पर नियुक्ति करना।

21--भूतपूर्व इंचार्ज श्री राजपाल के विरुद्ध कोई जाँच न करना ।

22--कृषि फार्म, दरियापुर, जिला रायबरेली में बोए जाने वाले हरे चारे का दुरुपयोग।

23--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाओं का दुरुपयोग ।

24--गबन से धन अर्जन करके चालिस हजार रुपए की लागत का घर पर ट्रैक्टर खरीदना ।

25--भ्रष्टाचार से चल एवं अचल सम्पत्ति का अर्जन ।

26--उन्नाव जिले में धपले बाजी ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिए ताराँकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 671 पर)

"कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हापुड़ (गाजियाबाद) के नवीन मण्डी स्थल निर्माण हेतु ग्राम ततारपुर, पटना के भू-स्वामियों का नाम व क्षेत्रफल भूमि जो मण्डी समिति, हापुड़ द्वारा मण्डी निर्माण हेतु अधिग्रहण किया गया है।"

सूची

क्रम-सं0	नाम भूस्वामी व पता		अर्जित किया गया क्षेत्रफल बी0	बिस्वा0	बिस्वांसी
1	श्री सरदार जस्सा सिंह पुत्र भगत सिंह, हापुड़	..	0	13	14
2	श्री शिवचरन पु0 मन्दराम, निवासी ततारपुर	..	02	12	05
3	श्री ब्रह्म सिंह पुत्र नन्द राम, निवासी ततारपुर	..	02	11	12
4	श्री मंगला पुत्र पूरन, निवासी सोटावाली	..	3	18	17
5	श्री महताब पुत्र हरचरन, निवासी ततारपुर	..	7	06	16
6	श्री भरता पुत्र हरजैन, निवासी ततारपुर	..	0	0	10
7	श्री तेजराम पुत्र महताब, निवासी ततारपुर	..	1	0	0
8	श्री दीवान पुत्र देवी सहाय, निवासी ततारपुर	..	0	14	00
9	श्री रघुवीर पुत्र हरदेव, निवासी ततारपुर	..	9	09	13
10	श्री ओंकार सिंह पुत्र नन्दराम, निवासी ततारपुर	..	2	15	06
11	श्री दल्ले पुत्र नेतराम, निवासी ततारपुर	..	9	01	01
12	श्री काले पुत्र नेतराम, निवासी ततारपुर	..	7	16	00
13	श्री महेन्द्रपाल अव्यस्क आयु 15 वर्ष, संरक्षक राम सरन दत्तक पुत्र गंगा सरन।		4	04	00
14	श्री रघुवीर पुत्र बघेलू सिंह, सा0 ततारपुर	..	3	18	00
15	श्री शीश राम पुत्र लखपत सिंह, निवासी ततारपुर	..	6	17	00
16	श्री ओम कुमार आयु 12 वर्ष, शिवकुमार 15 वर्ष नाबालिग बबिलयात पुत्र वरनकोरि माता खुद पुत्र गण जागर सिंह, निवासी ततारपुर।		0	08	00
17	श्री लल्लू पुत्र सागर सिंह, निवासी ततारपुर	..	2	13	09
18	श्री टीकम सिंह पुत्र बघेलू सिंह, निवासी ततारपुर	..	3	12	00
19	श्री स्वरूप पुत्र हरदत्ता, साकिन ततारपुर	..	1	00	00
20	श्री छोटे पुत्र लक्षमन, साकिन सोटावाली	..	0	01	00
21	श्री लक्षमन रघुबीर पुत्र भुसिंह, निवासी सोटावाली	..	0	02	00
22	श्री धनीराम पुत्र शेरा, निवासी सोटावाली	..	0	07	00

क्रम-सं0	नाम भूस्वामी व पता	अर्जित किया गया क्षेत्रफल बी0	बिस्वा0	बिस्वासी
23	श्री हरी सिंह पुत्र खचेड़ू सिंह, निवासी सोटावाली ..	0	03	00
24	श्री सुबराती पुत्र करीम बक्श, निवासी ततारपुर ..	2	02	00
25	श्री नत्थू सिंह पुत्र राम लाल, निवासी सोटावाली ..	0	11	00
26	श्री ध्यान सिंह पुत्र जस्सा सिंह, निवासी हापुड़ रेलवे रोड	08	02	00
27	श्रीमती मन्दकौर पत्नी जस्सासिंह, हापुड़ रेलवे रोड ..	02	08	00
28	श्री वेद प्रकाश पुत्र सुन्दर दास, हापु रेलवे रोड ..	03	11	15
29	कु0 भगवन्त कौर पुत्री जस्सा सिंह, हापु रेलवे रोड ..	09	15	05
30	श्री खजान सिंह पुत्र जस्सासिंह, हापु रेलवे रोड ..	08	02	08
31	श्री बलवीर सिंह पुत्र रघुबीर सिंह, निवासी ततारपुर ..	03	03	01
32	श्री ओंकार सिंह पुत्र श्याम सिंह, निवासी ततारपुर ..	0	09	12
33	श्री श्याम सिंह पुत्र उमराव सिंह, निवासी ततारपुर ..	0	09	200
34	श्री ओमवीर सिंह पुत्र कालेसिंह, निवासी ततारपुर ..	0	09	04
35	माया वती बेवा ईश्वर, निवासी ततारपुर ..	0	08	14
36	श्री जागर सिंह पुत्र उमराव सिंह, निवासी ततारपुर ..	0	09	05
37	श्री गजराज पुत्र बूड़े सिंह, साकिन ततारपुर ..	0	09	03
38	श्री राम प्रसाद, भीखा पुत्र सरूप सिंह, निवासी ततारपुर ..	0	10	04
39	श्री लक्षमन, रघुबीर, करुणा, कन्हैया पुत्र ग0 भूपा, निवासी सोटावाली।	2	19	00
	कुल योग ..	114	19	16
		72 एकड़		

पीअ0एस0यू0पी0—एल0 333 वि0 सभा (744)—1978—8431।